



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24102026-277394
CG-DL-E-24102026-277394

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 326]
No. 326]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 22, 2026/आश्विन 30, 1948
NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 22, 2026/ASVINA 30, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अंतिम निष्कर्ष

नई दिल्ली, 22 अक्तूबर, 2026

मामला सं. एडी (एसएसआर) – 02/2026

विषय: चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “ट्रेलरों के लिए एक्सल” के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की सनसेट समीक्षा जांच।

क **मामले की पृष्ठभूमि**

फा. सं. 7/5/2026-डीजीटीआर.—समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे “अधिनियम” भी कहा गया है) तथा समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) पाटनरोधी नियमावली, 1995 (जिसे आगे “पाटनरोधी नियमावली” अथवा “पाटनरोधी नियमावली” भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

1. जबकि, चीन जन. गण. (जिसे आगे “संबद्ध देश” भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “ट्रेलरों के लिए एक्सल” (जिसे आगे “विचाराधीन उत्पाद”, “विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी)” अथवा “संबद्ध वस्तुएँ” भी कहा गया है) के

- आयातों से संबंधित मूल पाटनरोधी जांच अभिहित प्राधिकारी (जिसे आगे “प्राधिकारी” भी कहा गया है) द्वारा अधिसूचना सं. 14/17/2015-डीजीएडी दिनांक 28 दिसंबर 2015 के माध्यम से शुरू की गई थी। प्राधिकारी ने इस संबंध में दिनांक 30 सितंबर 2016 के अंतिम निष्कर्षों के माध्यम से पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की थी और केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना सं. 54/2016-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 29 नवंबर 2016 के माध्यम से शुल्क लगाया गया था।
2. और जबकि, अधिसूचना सं. 4/11/2020-डीजीटीआर दिनांक 15 सितंबर 2020 के माध्यम से एक परिहार-रोधी जांच शुरू की गई थी। दिनांक 14 सितंबर 2021 के अंतिम निष्कर्षों द्वारा प्राधिकारी ने इस संबंध में “पूर्णतः नॉकड डाउन/सेमी नॉकड डाउन अवस्था में ट्रेलरों के लिए एक्सल” के आयातों पर मौजूदा शुल्क का विस्तार किए जाने की सिफारिश की और अधिसूचना सं. 69/2021-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 13 दिसंबर 2021 के माध्यम से उक्त शुल्क का इस प्रकार विस्तार किया गया, जिसकी अवधि विचाराधीन उत्पाद पर लागू शुल्क के साथ समाप्त होने वाली थी।
 3. और जबकि, पहली सनसेट समीक्षा अधिसूचना सं. 7/7/2021-डीजीटीआर दिनांक 19 अप्रैल 2021 के माध्यम से शुरू की गई थी। प्राधिकारी ने इस संबंध में दिनांक 27 अक्टूबर 2021 के अंतिम निष्कर्षों द्वारा शुल्क को जारी रखने की सिफारिश की और केंद्र सरकार ने अधिसूचना सं. 04/2022-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 24 जनवरी 2022 के माध्यम से शुल्क को आगे पांच वर्षों की अवधि के लिए जारी रखा। यह शुल्क 23 जनवरी 2027 तक लागू है।
 4. वर्तमान में लागू शुल्क गुआंगडोंग फूवा हेवी इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड द्वारा उत्पादित विचाराधीन संबद्ध वस्तुओं पर 0.16 अमेरिकी डॉलर प्रति किलोग्राम तथा किसी अन्य उत्पादक की विचाराधीन संबद्ध वस्तुओं पर 0.31 अमेरिकी डॉलर प्रति किलोग्राम है। यह टैरिफ मद 8716 90 10 के प्रावधानों के अंतर्गत आने वाले “ट्रेलरों के लिए एक्सल” पर लागू होता है, जिसमें सेमी नॉकड डाउन/पूर्णतः नॉकड डाउन अवस्था में ट्रेलरों के लिए एक्सल, अर्थात् असंयोजित, अधूरी अथवा अपूर्ण अवस्था में एक्सल भी शामिल हैं।
 5. और जबकि, मैसर्स यॉर्क ट्रांसपोर्ट इन्फ्रिपमेंट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (जिसे आगे “आवेदक” अथवा “घरेलू उद्योग” भी कहा गया है) ने अधिनियम की धारा 9क(5) के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम 23(1ख) के अनुसार प्राधिकारी के समक्ष विधिवत् समर्थित आवेदन दायर किया, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना है तथा दूसरी सनसेट समीक्षा और शुल्क को जारी रखने का अनुरोध किया गया।
 6. और जबकि, आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर संतुष्ट होने के पश्चात प्राधिकारी ने इस संबंध में अधिसूचना सं. 7/5/2026-डीजीटीआर दिनांक 20 मार्च 2026 (मामला सं. एडी (एसएसआर)-02/2026), जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया, के माध्यम से वर्तमान सनसेट समीक्षा शुरू की ताकि शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा की जा सके और यह जांच की जा सके कि इसकी समाप्ति से घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना है या नहीं।
 7. वर्तमान समीक्षा के दायरे में दिनांक 27 अक्टूबर 2021 के अंतिम निष्कर्षों के सभी पहलू शामिल हैं। नियम 23(3) के अनुसार नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के प्रावधान आवश्यक परिवर्तनों सहित इस समीक्षा पर लागू होते हैं।

ख प्रक्रिया

8. जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है:

8.1 जांच की शुरुआत

- i. नियम 6 के अनुसार, आवेदन की जांच करने तथा पाटन, क्षति, संभावना और कारणात्मक संबंध के प्रथम दृष्टया साक्ष्य पाए जाने पर, प्राधिकारी ने इस संबंध में दिनांक 20 मार्च 2026 की जांच शुरुआत अधिसूचना जारी की, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित हुई, और संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयातों से संबंधित सनसेट समीक्षा पाटनरोधी जांच शुरू की।
- ii. नियम 5(5) के अनुसार, जांच शुरू करने से पहले संबद्ध देश की सरकार को भारत में उसके दूतावास के माध्यम से वर्तमान पाटनरोधी आवेदन प्राप्त होने के बारे में अधिसूचित किया गया था।
- iii. नियम 6(2) के अनुसार, आवेदन में उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध देश के दूतावास, संबद्ध देश में विचाराधीन उत्पाद के ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, भारत में विचाराधीन संबद्ध वस्तुओं के ज्ञात आयातकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षों के साथ जांच शुरुआत अधिसूचना की एक प्रति साझा करके हितबद्ध पक्षों को जांच शुरू होने की सूचना दी गई।

8.2 वर्तमान जांच अवधि और क्षति अवधि

9. वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ वर्तमान जांच अवधि (पीओआई) 1 अक्टूबर 2024 से 30 सितंबर 2025 (12 माह) है। क्षति अवधि में वित्त वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25 तथा वर्तमान जांच अवधि शामिल हैं।

8.3 आयात संबंधी आंकड़े

10. डीजी सिस्टम्स से क्षति अवधि और वर्तमान जांच अवधि के लिए विचाराधीन संबद्ध वस्तुओं के आयातों का लेनदेन-वार विवरण उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। प्राधिकारी ने इस संबंध में लेनदेनों की समुचित जांच करने के पश्चात आयातों की मात्रा और मूल्य की गणना तथा अपेक्षित विश्लेषण के लिए डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों पर भरोसा किया है।

8.4 आवेदन के अगोपनीय रूपांतर का परिचालन

11. नियम 6(3) के अनुसार, आवेदन के अगोपनीय रूपांतर की एक प्रति भारत में संबद्ध देश के दूतावास के माध्यम से वहां की सरकार, विचाराधीन संबद्ध वस्तुओं के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों तथा आवेदन की प्रति लिखित रूप से मांगने वाले अन्य हितबद्ध पक्षों को उपलब्ध कराई गई। अगोपनीय रूपांतर अन्य हितबद्ध पक्षों को सेतु पोर्टल के माध्यम से भी उपलब्ध कराया गया।

8.5 संबद्ध देश के उत्पादकों और निर्यातकों द्वारा प्रतिभागिता

12. प्राधिकारी ने इस संबंध में पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को निर्यातक प्रश्नावली भेजी:

गुआंगडोंग फूवा हेवी इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड
गुआंगझोउ हुआजिंग मशीन मैनुफैक्चरर कंपनी लिमिटेड
ग्लोबल विन व्हीकल कंपनी लिमिटेड
शिजियाझुआंग आओतोंग मशीनरी मैनुफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड
गुआंगझोउ टीएनडी एक्सल कंपनी लिमिटेड

13. इसके प्रत्युत्तर में, केवल गुआंगडोंग फूवा हेवी इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड (जिसे आगे “गुआंगडोंग फूवा” अथवा “फूवा” भी कहा गया है) ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है। संबद्ध देश के किसी अन्य उत्पादक अथवा निर्यातक ने प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया है और न ही कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। किसी उत्पादक अथवा निर्यातक ने बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार के लिए दावा दायर नहीं किया है।

8.6 आयातकों और प्रयोक्ताओं द्वारा प्रतिभागिता

14. प्राधिकारी ने इस संबंध में पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार भारत में विचाराधीन संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं को आयातक तथा प्रयोक्ता प्रश्नावली भेजी:

हेवी ड्यूटी ट्रेलर पार्ट्स लॉयल
एचजे-एक्सल इंडिया मैनुफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड
इंटीग्रेटी इंजीनियरिंग वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड
जमना ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड
एडीआर एक्सल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
रोडऑन एक्सल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
एच.डी. ट्रेलर्स प्राइवेट लिमिटेड
टाइगरिश ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड
टाटा इंटरनेशनल डीएलटी प्राइवेट लिमिटेड

ब्लैक डायमंड मोटर्स / ब्लैक डायमंड मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड
इंडियन ऑटो व्हील्स
सैट्रैक इंजीनियरिंग
टाटा इंटरनेशनल व्हीकल एप्लीकेशंस प्राइवेट लिमिटेड
वंदना ट्रेलर्स
सीमलेस ऑटोटेक प्राइवेट लिमिटेड
कमल कोच वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड
ट्राटेक इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड

15. इसके प्रत्युत्तर में, केवल एच.डी. ट्रेलर्स प्राइवेट लिमिटेड (जिसे आगे “एचडीटीपीएल” भी कहा गया है) ने आयातक प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है। विचाराधीन संबद्ध वस्तुओं के किसी प्रयोक्ता अथवा प्रयोक्ता संघ ने प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया है और न ही कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है।

8.7 पंजीकृत हितबद्ध पक्ष

16. निर्धारित समय-सीमा के भीतर स्वयं को पंजीकृत कराने वाले हितबद्ध पक्षों की सूची 25 मई 2026 को जारी की गई और महानिदेशालय की वेबसाइट पर रखी गई। पंजीकृत हितबद्ध पक्ष यॉर्क ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, चीन जन. गण. का दूतावास, एच.डी. ट्रेलर्स प्राइवेट लिमिटेड तथा गुआंगडोंग फूवा हेवी इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड हैं। सभी पंजीकृत हितबद्ध पक्षों को अपने अभ्यावेदनों का अगोपनीय रूपांतर अन्य सभी हितबद्ध पक्षों को परिचालित करने का निर्देश दिया गया।

8.8 समय-सीमा में विस्तार

17. हितबद्ध पक्षों से प्राप्त अनुरोधों पर प्राधिकारी ने इस संबंध में दिनांक 28 अप्रैल 2026 की सूचना के माध्यम से प्रश्नावली के उत्तर दायर करने की समय-सीमा 14 मई 2026 तक बढ़ा दी।

8.9 आर्थिक हित प्रश्नावली

18. प्राधिकारी ने इस संबंध में संबद्ध देश के दूतावास, सभी ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, आयातकों/प्रयोक्ताओं, घरेलू उद्योग तथा भारत के अन्य ज्ञात उत्पादकों को आर्थिक हित प्रश्नावली जारी की, ताकि सभी हितधारक वर्तमान जांच से संबंधित प्रासंगिक सूचना, जिसमें उनके परिचालनों पर पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने के संभावित प्रभाव की सूचना भी शामिल है, उपलब्ध करा सकें। इसके अतिरिक्त, दिनांक 24 मार्च 2026 के ई-मेल द्वारा प्राधिकारी ने संबंधित लाइन मंत्रालय होने के नाते सचिव, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (परिवहन प्रभाग) को संबोधित किया और मंत्रालय से संचार प्राप्त होने के 37 दिनों के भीतर, जहां तक प्रासंगिक हो, आर्थिक हित प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करने का अनुरोध किया। संबंधित लाइन मंत्रालय से उत्तर मांगने का उद्देश्य विचाराधीन उत्पाद से जुड़े डाउनस्ट्रीम उद्योगों और अन्य हितधारकों पर पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने के संभावित प्रभाव का क्षेत्रीय आकलन प्राप्त करना था। ऐसे इनपुट का उद्देश्य उपाय को जारी रखने के आर्थिक हित संबंधी प्रभावों की संतुलित जांच करने में प्राधिकारी की सहायता करना था। आज तक उक्त मंत्रालय से आर्थिक हित प्रश्नावली का कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। इस संबंध में घरेलू उद्योग ने इस संबंध में अपने आवेदन और अभ्यावेदनों में तथा एचडीटीपीएल ने अपने आयातक प्रश्नावली उत्तर में सूचना उपलब्ध कराई है। किसी प्रयोक्ता ने कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई है।

8.10 मौखिक सुनवाई

19. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने इस संबंध में 24 सितंबर 2026 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित सुनवाई में हितबद्ध पक्षों को अपने विचार मौखिक रूप से प्रस्तुत करने का अवसर दिया। सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत करने वाले पक्षों से मौखिक रूप से व्यक्त विचारों के लिखित अभ्यावेदन और उसके बाद प्रत्युत्तर अभ्यावेदन दायर करने का अनुरोध किया गया। घरेलू उद्योग, गुआंगडोंग फूवा (उत्पादक/निर्यातक) तथा एचडीटीपीएल (आयातक) ने लिखित तथा प्रत्युत्तर अभ्यावेदन दायर किए हैं।

8.11 आगे की प्रक्रिया

20. आवेदक ने कोई उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) पद्धति प्रस्तावित नहीं की थी, क्योंकि मूल जांच अथवा पहली सनसेट समीक्षा में भी कोई पीसीएन पद्धति नहीं अपनाई गई थी। हितबद्ध पक्षों को जांच शुरू होने के 15 दिनों के भीतर विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) के दायरे और पीसीएन पद्धति पर टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया था। उक्त अवधि में कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई। तथापि, एचडीटीपीएल द्वारा बाद में अपने अभ्यावेदनों में उत्पाद के दायरे के संबंध में उठाए गए तर्कों की इन अंतिम निष्कर्षों में जांच की गई है।
21. घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना, सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) तथा पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III को ध्यान में रखते हुए भारत में विचाराधीन संबद्ध वस्तुओं की उत्पादन की अनुकूलतम लागत तथा उन्हें बनाने और बेचने की लागत के आधार पर क्षतिरहित कीमत ("एनआईपी") निर्धारित की गई है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा या नहीं।
22. इस जांच के दौरान हितबद्ध पक्षों द्वारा किए गए अभ्यावेदनों पर, जहां तक वे साक्ष्य से समर्थित हैं और वर्तमान समीक्षा के लिए प्रासंगिक माने गए हैं, प्राधिकारी द्वारा इन अंतिम निष्कर्षों में समुचित रूप से विचार किया गया है।
23. हितबद्ध पक्षों द्वारा गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई सूचना की गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने इस संबंध में जहां उचित था वहां गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया तथा अन्य हितबद्ध पक्षों को प्रकट नहीं किया गया। जहां संभव था, गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षों को गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।
24. जहां किसी हितबद्ध पक्ष ने वर्तमान जांच के दौरान आवश्यक सूचना तक पहुंच देने से इनकार किया है अथवा अन्यथा आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं कराई है या जांच में महत्वपूर्ण रूप से बाधा डाली है, वहां प्राधिकारी ने इस संबंध में ऐसे पक्ष को असहयोगी माना है और पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने विचार/टिप्पणियां दर्ज की हैं।
25. प्राधिकारी ने इस संबंध में जांच के दौरान, जहां तक संभव था, हितबद्ध पक्षों द्वारा उपलब्ध कराई गई उस सूचना की शुद्धता के संबंध में स्वयं को संतुष्ट किया है जो इन अंतिम निष्कर्षों का आधार बनती है, तथा हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों/दस्तावेजों का उस सीमा तक सत्यापन किया है जिस सीमा तक उसे प्रासंगिक, व्यवहार्य और आवश्यक माना गया।
26. एंटी-डॉपिंग नियमों के नियम 16 के साथ पठित नियम 23 के अनुसार, प्राधिकरण ने 14 अक्टूबर 2026 की प्रकटीकरण विवरणी जारी की।
27. इन अंतिम निष्कर्षों में '***' हितबद्ध पक्ष द्वारा गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई और पाटनरोधी नियमावली के प्रावधानों के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा गोपनीय मानी गई सूचना को दर्शाता है।
28. संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = ₹ 86.76 है, जो सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 14 के प्रावधानों के अंतर्गत आयातित वस्तुओं के मूल्य के रूपांतरण के लिए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा अधिसूचित और वर्तमान जांच अवधि के दौरान लागू विनिमय दरों का औसत है। इन अंतिम निष्कर्षों में सर्वत्र यही दर लागू की गई है। स्रोत: <https://foservices.icegate.gov.in/#/services/viewExchangeRate>

ग विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

29. वर्तमान सनसेट समीक्षा जांच में विचाराधीन उत्पाद, जैसा कि दिनांक 20 मार्च 2026 की जांच शुरुआत अधिसूचना में परिभाषित किया गया है, निम्नानुसार है:

"वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद 'ट्रेलरों के लिए एक्सल' है। विचाराधीन संबद्ध वस्तुओं का विनिर्माण और बिक्री विभिन्न प्रकारों में की जाती है। तथापि, इन सभी प्रकारों की मूल उत्पाद विशेषताएं और अंतिम उपयोग समान रहते हैं तथा ऐसे सभी प्रकार के ट्रेलर एक्सल को विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) के दायरे में शामिल किया गया है। ऐसे सभी प्रकार तुलनीय मूल विशेषताओं तथा समान कार्यों/उपयोगों वाले एक समरूप विचाराधीन उत्पाद का गठन करते हैं।"

प्राधिकारी यह भी नोट करता है कि विचाराधीन उत्पाद एक वाहन पुर्जा और सहायक सामग्री है, जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 87 के प्रावधानों के अंतर्गत आता है तथा आगे सीमा शुल्क उप-शीर्ष संख्या 87169010 के प्रावधानों के अंतर्गत वर्गीकृत है। तथापि, चूंकि यह उप-शीर्ष एक समर्पित वर्गीकरण नहीं है, इसलिए सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और इस जांच के लिए निर्धारित उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

विचाराधीन उत्पाद के दायरे और विवरण पर आपत्ति के संबंध में प्राधिकारी इस संबंध में यह नोट करता है कि जांच शुरुआत अधिसूचना में विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) को स्पष्ट रूप से 'ट्रेलरों के लिए एक्सल' के रूप में परिभाषित किया गया था तथा ट्रेलरों के अलावा अन्य वाहनों के लिए एक्सल विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) के दायरे से बाहर हैं और आवेदक तथा अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा किए गए अन्य सभी अभ्यावेदनों की भी जांच की गई है।"

ग.1 अन्य हितबद्ध पक्षों के विचार

30. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के दायरे के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षों ने इस संबंध में निम्नलिखित अभ्यावेदन किए हैं:

- क उत्पाद के दायरे की स्पष्टता: जांच शुरुआत अधिसूचना में सभी प्रकार के ट्रेलर एक्सल शामिल हैं, जिनमें ड्राइव (लाइव) एक्सल भी शामिल हो सकते हैं, जबकि आवेदन में विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) को डेड (डमी) एक्सल तक सीमित रखा गया है। अधिसूचना अस्पष्ट है और विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) के दायरे से अधिक व्यापक है।
- ख सीमलेस एक्सल: सीमलेस (एकल) ट्यूब वाले एक्सल विनिर्माण प्रक्रिया, कच्चे माल, मजबूती, भार-वहन क्षमता और टिकाऊपन की दृष्टि से वेल्डेड ट्यूब वाले एक्सल से भिन्न हैं। सीमलेस एक्सल का भारत में विनिर्माण नहीं किया जाता और एचडीटीपीएल द्वारा ट्रेलर विनिर्माताओं की विशिष्ट मांग पर इनका आयात किया जाता है।
- ग सीकेडी/एसकेडी आयात: एचडीटीपीएल ने या तो विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) अथवा केवल ट्यूब (बीम) का आयात किया है तथा भारत में उसके विनिर्माण में 70% से अधिक मूल्य संवर्धन होता है। सीकेडी/एसकेडी आयातों के संबंध में निष्कर्ष उस पर लागू नहीं होते।
- घ गुआंगडोंग फूवा ने उत्पाद के दायरे के संबंध में कोई अभ्यावेदन नहीं किया है।

ग.2 घरेलू उद्योग के विचार

31. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के दायरे के संबंध में घरेलू उद्योग ने इस संबंध में निम्नलिखित अभ्यावेदन किए हैं:

- क उत्पाद के दायरे की स्पष्टता: विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) "ट्रेलरों के लिए एक्सल" है, जो सेमी-ट्रेलरों और अन्य भारी-भरकम ट्रेलरों में प्रयुक्त एक गैर-चालित (डेड) एक्सल है। इसका दायरा मूल जांच, परिहार-रोधी जांच और पहली सनसेट समीक्षा के समान है तथा ऐसा कोई नया तथ्य नहीं है जो किसी परिवर्तन को उचित ठहराता हो।
- ख सीमलेस एक्सल: एचडीटीपीएल के अपने प्रश्नावली उत्तर में उसके द्वारा आयातित वस्तुओं को उसी टैरिफ मद के प्रावधानों के अंतर्गत ट्रेलरों के लिए गैर-चालित एक्सल बताया गया है। बीम का सीमलेस अथवा वेल्डेड होना विनिर्माण मार्ग का अंतर है; आवश्यक विशेषताएं, कार्य और अंतिम उपयोग समान हैं। सनसेट समीक्षा किसी पहले से निर्धारित दायरे को पुनः खोलने का मंच नहीं है और कोई अपवर्जन शुल्क से बचने के लिए एक नया मार्ग खोल देगा।
- ग समान वस्तु: घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुएं और संबद्ध देश से आयातित वस्तुएं तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से एक-दूसरे का स्थान ले सकती हैं और समान वस्तुएं हैं। घरेलू उद्योग विचाराधीन संबद्ध वस्तुओं के सभी आकारों का उत्पादन करता है।
- घ वर्गीकरण: विचाराधीन संबद्ध वस्तुओं को टैरिफ मद 8716 90 10 के प्रावधानों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, जो कोई समर्पित वर्गीकरण नहीं है और केवल संकेतात्मक है।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा की गई जांच

32. जांच शुरुआत अधिसूचना में परिभाषित विचाराधीन उत्पाद निम्नानुसार है:

“वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद ट्रेलरों के लिए एक्सल” है। विचाराधीन संबद्ध वस्तुओं का विनिर्माण और बिक्री विभिन्न प्रकारों में की जाती है। तथापि, इन सभी प्रकारों की मूल उत्पाद विशेषताएं और अंतिम उपयोग समान रहते हैं तथा ऐसे सभी प्रकार के ट्रेलर एक्सल को विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) के दायरे में शामिल किया गया है। ऐसे सभी प्रकार तुलनीय मूल विशेषताओं और समान कार्यों/उपयोगों वाले एक समरूप विचाराधीन उत्पाद का गठन करते हैं।”

33. वर्तमान जांच एक सनसेट समीक्षा होने के कारण विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) का दायरा समीक्षाधीन उपाय के दायरे के समान है, अर्थात् मूल जांच में निर्धारित और पहली सनसेट समीक्षा में बनाए रखा गया दायरा, जिसमें सीकेडी/एसकेडी अवस्था में ट्रेलरों के लिए एक्सल भी शामिल हैं, जिन पर परिहार-रोधी जांच के परिणामस्वरूप उपाय का विस्तार किया गया था। प्राधिकारी ने इस संबंध में न तो उस दायरे को विस्तृत किया है और न ही सीमित किया है।

34. यह तर्क कि जांच शुरुआत अधिसूचना में ड्राइव एक्सल शामिल हैं, सही नहीं है। विचाराधीन उत्पाद ट्रेलरों में प्रयुक्त एक्सल हैं, जिन्हें ट्रक अथवा प्राइम मूवर द्वारा खींचा जाता है और जिनका अपना कोई ड्राइविंग तंत्र नहीं होता। तदनुसार, उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, ट्रेलर एक्सल गैर-चालित एक्सल होते हैं और ट्रकों तथा प्राइम मूवर में प्रयुक्त ड्राइव एक्सल से भिन्न होते हैं, जो इंजन की शक्ति पहियों तक पहुंचाते हैं। जांच शुरुआत अधिसूचना में प्रयुक्त अभिव्यक्ति “ऐसे सभी प्रकार के ट्रेलर एक्सल” केवल ट्रेलरों में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार के एक्सल को संदर्भित करती है और उत्पाद के दायरे को ट्रकों अथवा प्राइम मूवर के ड्राइव एक्सल तक विस्तारित नहीं करती। अतः, उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जांच शुरुआत अधिसूचना में शामिल उत्पाद आवेदन में वर्णित उत्पाद के अनुरूप है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे में कोई असंगति नहीं है।

35. यह तर्क कि सीमलेस अथवा एकल-खंड बीम से बने एक्सल एक अलग उत्पाद का गठन करते हैं, पहली सनसेट समीक्षा और परिहार-रोधी जांच में जांचा गया था। प्राधिकारी ने इस संबंध में पाया था कि एकल-खंड बीम से बने ट्रेलर एक्सल और वेल्डेड बीम से बने ट्रेलर एक्सल के उपयोग समान हैं तथा वे एक-दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त किए जा सकते हैं और जब अंतिम उपयोग समान हों तो प्रक्रिया अथवा प्रौद्योगिकी में अंतर उत्पादों को अलग मानने का आधार नहीं है। एचडीटीपीएल ने वर्तमान जांच के अभिलेख पर कोई ऐसा नया तथ्य नहीं रखा है जो उक्त निष्कर्ष से अलग रख अपनाने को उचित ठहराए। एचडीटीपीएल स्वयं आयातित वस्तुओं को ट्रेलरों के लिए गैर-चालित एक्सल बताता है, आयातित एक्सल तथा भारत में अपने द्वारा विनिर्मित एक्सल समान वर्ग के ग्राहकों को बेचता है और बताता है कि वह भारत में एकल-ट्यूब एक्सल का विनिर्माण करता रहा है। किसी हितबद्ध पक्ष ने निर्धारित समय-सीमा के भीतर पीसीएन अथवा किसी अपवर्जन का प्रस्ताव नहीं किया और न ही दोनों प्रकारों के बीच लागत अथवा कीमत के किसी अंतर को परिमाणित किया है। अतः, उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी को ऐसे एक्सल को विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) के दायरे से बाहर रखने का कोई आधार नहीं मिलता है।

36. प्राधिकारी इस संबंध में यह नोट करता है कि उत्पाद के दायरे में विनिर्दिष्ट अनुसार विचाराधीन उत्पाद में पूर्ण अवस्था के साथ-साथ असंयोजित, अधूरी अथवा अपूर्ण अवस्था में ट्रेलरों के लिए एक्सल शामिल हैं। तथापि, किसी अलग घटक, जैसे एक्सल ट्यूब अथवा बीम, का आयात स्वतः यह स्थापित नहीं करता कि वह विचाराधीन उत्पाद के दायरे में आता है या नहीं। यह आयातित वस्तुओं की प्रकृति और लागू सीमा शुल्क अधिसूचना की शर्तों पर निर्भर करता है। तदनुसार, उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, एचडीटीपीएल द्वारा आयातित कोई विशेष खेप पाटनरोधी शुल्क के अधीन आती है या नहीं, इसका आकलन सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा किया जाना है और वर्तमान सनसेट समीक्षा में किसी खेप-विशिष्ट निर्धारण की आवश्यकता नहीं है।

37. प्राधिकारी वर्तमान जांच के अभिलेख पर उपलब्ध सूचना से नोट करता है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित विचाराधीन संबद्ध वस्तुओं और संबद्ध देश से आयातित वस्तुओं के बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। दोनों तकनीकी विनिर्देशों, कार्यों और अंतिम उपयोगों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय हैं और उपभोक्ताओं द्वारा परस्पर विनिमेय रूप से उपयोग किए जाते हैं। तदनुसार, उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं को संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन संबद्ध वस्तुओं के समान वस्तु के रूप में माने जाने का प्रस्ताव है।

38. विचाराधीन संबद्ध वस्तुओं को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के अध्याय 87 के प्रावधानों के अंतर्गत टैरिफ मद 8716 90 10 में वर्गीकृत किया गया है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

घ घरेलू उद्योग का दायरा और पात्रता

घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षों के विचार

39. घरेलू उद्योग के दायरे और पात्रता के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षों ने इस संबंध में निम्नलिखित अभ्यावेदन किए हैं:

- क **विदेशी स्वामित्व:** आवेदक सिंगापुर की एक कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है और अंततः जर्मनी के एसएएफ-हॉलैंड समूह की कंपनी है। प्रभावी रूप से यह एक विदेशी खिलाड़ी है और नियम 2(ख) के प्रावधानों के अंतर्गत इसे घरेलू उद्योग से बाहर रखा जाना चाहिए।
- ख **निर्यातक के साथ संबंध:** चीन जन. गण. में आवेदक की एक सह-सहायक कंपनी, किंगदाओ वाईटीई स्पेशल प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड, विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) का उत्पादन करती है और भारत को इसका निर्यात करती रही है। आवेदक का एक निदेशक मूल समूह की कार्यकारी समिति का सदस्य भी है। निर्यातक से संबंधित होने के कारण, व्हील लोडर्स के निष्कर्षों में दिए गए निर्णय के अनुसार आवेदक पात्र नहीं है। इसे वर्तमान समीक्षा और पूर्ववर्ती जांचों में भी अपात्र माना जाना चाहिए।
- ग **आवेदक द्वारा आयात और व्यापार:** आवेदक ने अपनी समूह कंपनियों के साथ विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) में किए गए व्यापार का प्रकटीकरण नहीं किया है। उसकी वार्षिक रिपोर्टों में पर्याप्त विदेशी मुद्रा बहिर्वाह और व्यापारिक राजस्व दर्शाया गया है। इसका विवरण मंगाया जाना चाहिए और यदि चीन जन. गण. से विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) का आयात पाया जाता है तो आवेदक को अयोग्य ठहराया जाना चाहिए।
- घ **अनुमानों की विश्वसनीयता:** भारतीय उत्पादन और मांग के अनुमान अप्रमाणित धारणाओं पर आधारित हैं और कुछ उत्पादकों, प्रतिस्थापन बाजार तथा निर्यातों की अनदेखी करते हैं। एचडीटीपीएल स्वयं ट्रेलर एक्सल का विनिर्माता है।
- ङ **प्रभुत्वशाली स्थिति:** आवेदक की घरेलू उत्पादन में प्रभुत्वशाली हिस्सेदारी है और इस स्थिति के दुरुपयोग की आशंका है।

घ.2 घरेलू उद्योग के विचार

40. घरेलू उद्योग के दायरे और पात्रता के संबंध में घरेलू उद्योग ने इस संबंध में निम्नलिखित अभ्यावेदन किए हैं:

- क **विदेशी स्वामित्व:** विदेशी स्वामित्व अथवा किसी अंतरराष्ट्रीय समूह की सदस्यता अपने-आप किसी उत्पादक को घरेलू उद्योग से बाहर नहीं करती। नियम 2(ख) घरेलू उद्योग को घरेलू उत्पादन के संदर्भ में परिभाषित करता है और किसी उत्पादक को बाहर रखना विवेकाधीन है।
- ख **निर्यातक के साथ संबंध:** नियम 2(ख) के स्पष्टीकरण के प्रावधानों के अंतर्गत उत्पादकों को केवल तब संबंधित माना जाता है जब नियंत्रण मौजूद हो और वह संबंध उत्पादक को असंबंधित उत्पादकों से अलग प्रकार का व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता हो। एचडीटीपीएल ने यह नहीं दिखाया है कि आवेदक ने कथित संबंधित इकाई से विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) का आयात किया था अथवा संबंध से कोई लेनदेन प्रभावित हुआ था।
- ग **आवेदक द्वारा आयात और व्यापार:** आवेदक ने संबद्ध देश से विचाराधीन संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है और वह विचाराधीन संबद्ध वस्तुओं के किसी निर्यातक अथवा आयातक से संबंधित नहीं है। इस आशय का प्रमाण-पत्र दायर किया गया है।
- घ **पात्रता:** भारत में विचाराधीन संबद्ध वस्तुओं के छह ज्ञात उत्पादक हैं। आवेदक का भारतीय उत्पादन में एक प्रमुख अनुपात है और क्रॉस लिमिटेड ने आवेदन का समर्थन किया है। सभी पूर्ववर्ती जांचों में आवेदक घरेलू उद्योग था।
- ङ **प्रभुत्वशाली स्थिति:** प्रभुत्व प्रतिस्पर्धा कानून की अवधारणा है। पाटनरोधी नियमावली किसी उत्पादक को केवल इसलिए अयोग्य नहीं ठहराती कि उसकी घरेलू उत्पादन में पर्याप्त हिस्सेदारी है।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा की गई जांच

41. पाटनरोधी नियमावली का नियम 2(ख) घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित करता है:

“(ख) ‘घरेलू उद्योग’ से समान वस्तु के विनिर्माण और उससे संबंधित किसी गतिविधि में लगे समस्त घरेलू उत्पादक अथवा वे उत्पादक अभिप्रेत हैं जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उस वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक प्रमुख अनुपात बनाता है, सिवाय उस स्थिति के जहां ऐसे उत्पादक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों अथवा आयातकों से संबंधित हों अथवा स्वयं उसके आयातक हों; ऐसी स्थिति में ‘घरेलू उद्योग’ शब्द का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।”

42. आवेदन यॉर्क ट्रांसपोर्ट इन्कॉर्पोरेट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। वर्तमान जांच के अभिलेख पर उपलब्ध सूचना के अनुसार भारत में समान वस्तु के पांच अन्य उत्पादक हैं, अर्थात् क्रॉस लिमिटेड, हेंड्रिक्सन इंडिया, रामकृष्ण फोर्जिंग्स लिमिटेड, बीपीडब्ल्यू ट्रेलर सिस्टम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड तथा एडीआर एक्सल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। वर्तमान जांच अवधि के दौरान समान वस्तु के भारतीय उत्पादन में आवेदक की हिस्सेदारी ***% है और आवेदन का समर्थन करने वाली क्रॉस लिमिटेड के साथ मिलकर यह ***% है। इस आकलन में रामकृष्ण फोर्जिंग्स लिमिटेड के उत्पादन को ध्यान में रखा गया है।
43. कथित संबंध के संबंध में यह विवादित नहीं है कि आवेदक एक अंतरराष्ट्रीय समूह का हिस्सा है। तथापि, पाटनरोधी नियमावली घरेलू उद्योग को उत्पादक के स्वामित्व के आधार पर नहीं बल्कि भारत में समान वस्तु के विनिर्माण के संदर्भ में परिभाषित करती है। नियम 2(ख) के प्रावधानों के अंतर्गत अपवर्जन उस स्थिति में लागू होता है जब उत्पादक उस नियम के स्पष्टीकरण में विनिर्दिष्ट तरीके से कथित पाटित वस्तु के किसी निर्यातक अथवा आयातक से संबंधित हो या वह स्वयं उसका आयातक हो।
44. प्राधिकारी ने इस संबंध में क्षति अवधि तथा उसके बाद की अवधि के लिए डीजी सिस्टम्स के लेनदेन-वार आंकड़ों की जांच की है। इस संबंध में यह नोट किया गया है कि आवेदक ने संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है। किंगदाओ वाईटीई स्पेशल प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड अथवा आवेदक से संबंधित किसी अन्य इकाई से भी भारत में विचाराधीन उत्पाद का कोई आयात नहीं हुआ है और एचडीटीपीएल ने ऐसे निर्यातों का कोई साक्ष्य वर्तमान जांच के अभिलेख पर नहीं रखा है। आवेदक द्वारा टैरिफ मद 8716 90 10 के प्रावधानों के अंतर्गत किए गए आयात ऐसे इनपुट और घटकों के हैं जिनका उपयोग वह अपने ट्रेलर एक्सल के विनिर्माण में करता है और वे विचाराधीन उत्पाद नहीं हैं। एचडीटीपीएल द्वारा उद्धृत विदेशी मुद्रा बहिर्वाह और व्यापारिक राजस्व संपूर्ण कंपनी के समग्र व्यावसायिक परिचालनों से संबंधित हैं। तदनुसार, उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, विदेशी मुद्रा बहिर्वाह और व्यापारिक गतिविधियों से संबंधित आरोप पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के प्रावधानों के अंतर्गत आवेदक को घरेलू उद्योग से बाहर रखने का कोई आधार प्रदान नहीं करते।
45. एचडीटीपीएल द्वारा उद्धृत व्हील लोडर्स मामले में संबंधित भारतीय इकाइयां उन उत्पादकों से संबंधित थीं जो विचाराधीन उत्पाद का भारत को निर्यात कर रहे थे। यहां ऐसी स्थिति नहीं है। पूर्ववर्ती जांचों में आवेदक को अपात्र ठहराए जाने का अनुरोध वर्तमान समीक्षा के दायरे से बाहर है।
46. प्राधिकारी इस संबंध में यह नोट करता है कि कुल घरेलू उत्पादन में किसी उत्पादक की हिस्सेदारी पाटनरोधी नियमावली के प्रावधानों के अंतर्गत उसकी पात्रता निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक है और उसे बाहर रखने का आधार नहीं है। एचडीटीपीएल द्वारा उठाया गया बाजार प्रभुत्व का मुद्दा पाटनरोधी नियमावली के दायरे से बाहर है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने इस संबंध में घरेलू उद्योग और अन्य भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री तथा डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों के अनुसार आयातों के आधार पर मांग निर्धारित की है। एचडीटीपीएल ने कोई वैकल्पिक आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए हैं।
47. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी इस संबंध में यह नोट करता है कि आवेदक पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ में घरेलू उद्योग का गठन करता है और आवेदन नियम 23(1ख) की अपेक्षा के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से किया गया है।

ड गोपनीयता

ड.1 अन्य हितबद्ध पक्षों के विचार

48. अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा गोपनीयता के संबंध में कोई अभ्यावेदन नहीं किया गया है।

ड.2 घरेलू उद्योग के विचार

49. घरेलू उद्योग द्वारा गोपनीयता के संबंध में कोई अभ्यावेदन नहीं किया गया है।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा की गई जांच

50. प्राधिकारी इस संबंध में यह नोट करता है कि न तो घरेलू उद्योग और न ही किसी अन्य हितबद्ध पक्ष ने गोपनीयता के संबंध में कोई मुद्दा उठाया है। तथापि, प्राधिकारी ने इस संबंध में पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 के अनुसार पक्षों द्वारा किए गए गोपनीयता के दावों की जांच की है और जहां उचित पाया गया वहां ऐसे दावों को स्वीकार किया है।

पक्षों द्वारा प्रस्तुत सूचना के अगोपनीय रूपांतर पाटनरोधी नियमावली के अनुसार अन्य हितबद्ध पक्षों को उपलब्ध कराए गए हैं। तदनुसार, उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इस मुद्दे पर आगे किसी जांच की आवश्यकता नहीं है।

च विविध मुद्दे

च.1 अन्य हितबद्ध पक्षों के विचार

51. अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा निम्नलिखित विविध अभ्यावेदन किए गए हैं:

- क **साक्ष्य की पर्याप्तता और जांच की समाप्ति:** आवेदन में नियम 5(3) के प्रावधानों के अंतर्गत अपेक्षित पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के पर्याप्त साक्ष्य नहीं हैं तथा यह धारणाओं और ऐतिहासिक निष्कर्षों पर आधारित है। सकारात्मक साक्ष्य के माध्यम से संभावना स्थापित करने का दायित्व घरेलू उद्योग पर है। नियम 14(ख) के प्रावधानों के अंतर्गत जांच समाप्त कर दी जानी चाहिए।
- ख **वर्तमान जांच अवधि:** वर्तमान जांच अवधि वित्त वर्ष के अनुरूप नहीं है और इसका चयन आयातों में वृद्धि प्रदर्शित करने के लिए किया गया है, जबकि 2024-25 में आयातों में गिरावट आई थी। यह अवधियों की अनुचित तुलना है।
- ग **आयात आंकड़ों का स्रोत:** आवेदन एक निजी स्रोत से प्राप्त आयात आंकड़ों पर निर्भर करता है, जो विश्वसनीय नहीं हैं। प्राधिकारी को अपनी प्रचालन पद्धति पाटनरोधी नियमावली के अनुसार आधिकारिक आयात आंकड़े मंगाने और उन पर भरोसा करने चाहिए।
- घ **वर्तमान जांच अवधि के बाद के आंकड़े:** सनसेट समीक्षा भावी प्रकृति की होती है और पाटनरोधी नियमावली वर्तमान जांच अवधि के बाद की सूचना को मान्यता देती है। वर्तमान जांच अवधि के बाद व्यापार प्रवाह, मालभाड़ा दरों और विनिमय दरों में परिवर्तन हुआ है। प्राधिकारी को वर्तमान जांच अवधि के बाद की सूचना मंगानी और उसकी जांच करनी चाहिए।
- ङ **परिहार-रोधी इतिहास और रिट कार्यवाही:** पूर्ववर्ती परिहार-रोधी कार्यवाही को गुआंगडोंग फूवा से संबद्ध नहीं किया जा सकता। एचडीटीपीएल का कहना है कि सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा उसके विरुद्ध लगाए गए आरोप दिनांक 27 जून 2018 के मूल आदेश द्वारा हटा दिए गए थे और उसके बाद उसकी रिट याचिका वापस ले ली गई क्योंकि उसमें कुछ शेष नहीं रहा था।
- च **प्रतिषेध (एस्टॉपल):** आवेदक की वार्षिक रिपोर्ट बाजार वृद्धि में मंदी का कारण कमजोर औद्योगिक गतिविधि और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के स्थगन को बताती है। आवेदक को अपनी आय अथवा लाभ में किसी कमी को आयातों के कारण बताने से प्रतिषिद्ध किया जाना चाहिए।
- छ **तंत्र का दुरुपयोग, लागत और शुल्क की वसूली:** आवेदक ने शुल्क से वित्तीय लाभ प्राप्त किया है। यदि उसे घरेलू उद्योग का गठन करने के लिए अपात्र पाया जाता है तो पूर्ववर्ती उपाय प्रारंभ से ही शून्य हैं और एचडीटीपीएल द्वारा भुगतान किया गया शुल्क उदाहरणात्मक लागत सहित आवेदक से वसूल किया जाना चाहिए। मामला प्रतिस्पर्धा प्राधिकारियों को भेजा जाना चाहिए।
- ज **एचडीटीपीएल के लिए छूट:** शानडोंग दारोंग मशीनरी कंपनी लिमिटेड और शिजियाझुआंग आओतोंग मशीनरी मैनुफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड के अधिकृत वितरक के रूप में एचडीटीपीएल को इन उत्पादकों से पाटनरोधी शुल्क का भुगतान किए बिना विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) का आयात करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

च.2 घरेलू उद्योग के विचार

52. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित विविध अभ्यावेदन किए गए हैं:

- क **साक्ष्य की पर्याप्तता और जांच की समाप्ति:** वर्तमान कार्यवाही अधिनियम की धारा 9क(5) और नियम 23(1ख) के प्रावधानों के अंतर्गत सनसेट समीक्षा है। नियम 23(3) किसी समीक्षा पर नियम 5 और 14 लागू नहीं करता है। नियम 14 मूल जांच की समाप्ति का प्रावधान करता है और इसे समीक्षा में लागू नहीं किया जा सकता, तथा इस चरण पर जांच शुरुआत की कसौटी को पुनः लागू नहीं किया जाना चाहिए। इंडियन मेटल एंड फेरो अलॉयज लिमिटेड बनाम अभिहित प्राधिकारी [2007 (214) ई.एल.टी. 3 (दिल्ली)] पर भरोसा किया गया है।
- ख **वर्तमान जांच अवधि:** वर्तमान जांच अवधि पूर्ण बारह माह की अवधि है, जो पाटनरोधी नियमावली के प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य अवधि है और इसका वित्त वर्ष के अनुरूप होना आवश्यक नहीं है। एचडीटीपीएल इसकी तुलना 2024-25 से करता है, जिसके साथ यह छह माह तक आच्छादित होती है।

- ग **आयात आंकड़ों का स्रोत:** अनुरोध किए जाने के बावजूद आवेदक को लेनदेन-वार आधिकारिक आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए गए। आवेदक ने अपने पास उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना पर भरोसा किया, जिसकी प्राधिकारी की पद्धति अनुमति देती है। प्राधिकारी अपने निर्धारण के लिए आधिकारिक आंकड़े प्राप्त करता है।
- घ **वर्तमान जांच अवधि के बाद के आंकड़े:** जहां महत्वपूर्ण हों, वहां वर्तमान जांच अवधि के बाद की सूचना पर विचार किया जा सकता है, किंतु पाटनरोधी नियमावली इसे निर्धारण की पूर्व-शर्त नहीं बनाती। अभिलेख में पहले से वर्तमान सूचना उपलब्ध है।
- ङ **परिहार-रोधी इतिहास और रिट कार्यवाही:** रिट याचिका की वापसी पर गुण-दोष के आधार पर निष्कर्ष के रूप में भरोसा नहीं किया गया है। महत्वपूर्ण तथ्य परिहार-रोधी जांच और दिनांक 14 सितंबर 2021 के अंतिम निष्कर्ष हैं, जो शुल्क के बावजूद भारतीय बाजार तक पहुंच बनाए रखने के वाणिज्यिक प्रोत्साहन को दर्शाते हैं।
- च **प्रतिषेध (एस्टॉपल):** सामान्य बाजार स्थितियों पर वार्षिक रिपोर्ट में दिया गया कथन पाटन के संबंध में कोई स्वीकारोक्ति नहीं है और एस्टॉपल वैधानिक जांच को नहीं रोक सकता। अन्य कारकों का अस्तित्व केवल गैर-आरोपण विश्लेषण की मांग करता है।

च.3 प्राधिकारी द्वारा की गई जांच

साक्ष्य की पर्याप्तता और जांच की समाप्ति

53. वर्तमान जांच अधिनियम की धारा 9क(5) और पाटनरोधी नियमावली के नियम 23(1ख) के प्रावधानों के अंतर्गत एक सनसेट समीक्षा है, जिसे घरेलू उद्योग द्वारा किए गए विधिवत् समर्थित अनुरोध पर शुरू किया गया है। नियम 23(3), नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 को आवश्यक परिवर्तनों सहित समीक्षा पर लागू करता है। नियम 5, जो मूल जांच की शुरुआत को नियंत्रित करता है, तथा नियम 14, जो उसकी समाप्ति का प्रावधान करता है, इस प्रकार लागू किए गए प्रावधानों में शामिल नहीं हैं। अतः, उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, नियम 14(ख) के प्रावधानों के अंतर्गत जांच समाप्त करने का अनुरोध भ्रांतिपूर्ण है। समीक्षा में निर्धारण जांच के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्य पर आधारित होगा, जिसका इस विवरण में प्रकटीकरण किया गया है।

जांच की निर्धारित अवधि

54. वर्तमान जांच अवधि लगातार बारह माह की अवधि है और जांच शुरू होने की तारीख को यह छह माह से कम पुरानी थी। इसका वित्त वर्ष के अनुरूप होना आवश्यक नहीं है और प्राधिकारी की सुसंगत पद्धति है कि तीन पूर्ववर्ती वित्त वर्षों तथा वर्तमान जांच अवधि के दौरान प्रवृत्तियों की जांच की जाए। 2024-25 और वर्तमान जांच अवधि के बीच आंशिक आच्छादन इस पद्धति में अंतर्निहित है और इसे ध्यान में रखा गया है।

आयात आंकड़ों का स्रोत

55. आवेदक ने अपने आवेदन में यह प्रकट किया था कि उसने द्वितीयक स्रोत पर भरोसा किया है और आधिकारिक आंकड़ों के लिए अपने अनुरोध की एक प्रति दायर की है। प्राधिकारी ने इस संबंध में उन आंकड़ों पर भरोसा नहीं किया है। उसने डीजी सिस्टम्स से लेनदेन-वार आंकड़े मंगाए हैं और अपने विश्लेषण के लिए उन्हीं पर भरोसा किया है। आधिकारिक आंकड़े प्रत्येक अवधि में आवेदन में रिपोर्ट की गई मात्रा से अधिक आयात मात्रा दर्शाते हैं।

वर्तमान जांच अवधि के बाद के आंकड़े

56. प्राधिकारी सहमत है कि वर्तमान जांच अवधि के बाद के घटनाक्रम सनसेट समीक्षा में प्रासंगिक हो सकते हैं और उसने वर्तमान जांच अवधि के बाद की अवधि के लिए डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों की जांच की है। संबद्ध देश से विचाराधीन संबद्ध वस्तुओं के आयात वर्तमान जांच अवधि के बाद भी तुलनीय मात्रा और कीमतों पर जारी रहे हैं। गुआंगडोंग फूवा ने मालभाड़ा दरों, विनिमय दरों और व्यापार प्रवाह में परिवर्तनों का सामान्य रूप से उल्लेख किया है, किंतु उसने अपनी क्षमता, उत्पादन, निर्यात मात्रा अथवा कीमतों के संबंध में वर्तमान जांच अवधि के बाद की कोई सूचना वर्तमान जांच के अभिलेख पर नहीं रखी है और न ही यह दर्शाने वाला कोई साक्ष्य दिया है कि उद्धृत घटनाक्रमों ने पाटन अथवा क्षति की संभावना को किस प्रकार बदल दिया है।

परिहार-रोधी इतिहास और रिट कार्यवाही

57. प्राधिकारी एचडीटीपीएल द्वारा बताए गए सीमा शुल्क कार्यवाही के कालक्रम को नोट करता है और यह भी कि घरेलू उद्योग रिट याचिका की वापसी पर गुण-दोष के आधार पर निष्कर्ष के रूप में भरोसा नहीं करता। वे कार्यवाहियां इस विवरण में प्रकट किए गए किसी तथ्य का आधार नहीं हैं। परिहार-रोधी जांच के अंतिम निष्कर्ष और उसके परिणामस्वरूप शुल्क का विस्तार अपने वर्तमान जांच के अभिलेख पर स्वतंत्र रूप से कायम हैं और वर्तमान समीक्षा का विषय नहीं हैं। प्राधिकारी उन निष्कर्षों को व्यक्तिगत रूप से गुआंगडोंग फूवा से संबद्ध नहीं करता। पाटन और क्षति के

जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना की वर्तमान अभिलेख के आधार पर इस विवरण के खंड III में जांच की गई है।

प्रतिषेध (एस्टॉपल)

58. आवेदक की वार्षिक रिपोर्ट में दिया गया कथन बाजार वृद्धि में सामान्य मंदी से संबंधित है। यह पाटन अथवा उसके प्रभावों के संबंध में कोई स्वीकारोक्ति नहीं है और प्राधिकारी द्वारा अपने समक्ष उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर की जाने वाली वैधानिक जांच के विरुद्ध एस्टॉपल का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। मांग में बदलाव को गैर-आरोपण विश्लेषण में ध्यान में रखा गया है।

तंत्र का दुरुपयोग, लागत और शुल्क की वसूली

59. अधिनियम और पाटनरोधी नियमावली के प्रावधानों के अंतर्गत प्राधिकारी के कार्य जांच करना और केंद्र सरकार को अपनी सिफारिश देना हैं। पाटनरोधी नियमावली प्राधिकारी को लागत अथवा क्षतिपूर्ति प्रदान करने, केंद्र सरकार की अधिसूचनाओं के प्रावधानों के अंतर्गत भुगतान किए गए शुल्क की वसूली अथवा वापसी का निर्देश देने, अथवा पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं को शून्य घोषित करने की कोई शक्ति प्रदान नहीं करती। पूर्ववर्ती जांचों के निष्कर्ष अंतिमता प्राप्त कर चुके हैं और वर्तमान समीक्षा में पुनः जांच के लिए खुले नहीं हैं। किसी भी स्थिति में, ये अनुरोध इस आधार पर किए गए हैं कि आवेदक घरेलू उद्योग का गठन करने के लिए अपात्र है, जबकि ऊपर नोट किए अनुसार स्थिति ऐसी नहीं है।

एचडीटीपीएल के लिए छूट

60. पाटनरोधी शुल्क वस्तुओं के उत्पादक और निर्यातक के संदर्भ में निर्धारित किया जाता है, आयातक के संदर्भ में नहीं। व्यक्तिगत शुल्क दर उस उत्पादक अथवा निर्यातक के लिए निर्धारित की जाती है जो जांच में भाग लेता है और पूर्ण तथा सत्यापन योग्य सूचना उपलब्ध कराता है। एचडीटीपीएल द्वारा नामित दोनों उत्पादकों में से किसी ने भी वर्तमान समीक्षा में प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया है। पाटनरोधी नियमावली आयातक-विशिष्ट छूट की परिकल्पना नहीं करती और अनुरोध स्वीकार नहीं किया जा सकता।

छ सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन

छ.1 अन्य हितबद्ध पक्षों के विचार

61. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के निर्धारण के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षों ने इस संबंध में निम्नलिखित अभ्यावेदन किए हैं:

- क गैर-बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार: विश्व व्यापार संगठन में चीन के परिग्रहण प्रोटोकॉल की धारा 15(क)(ii) समाप्त हो चुकी है और भारत के पास अब गैर-बाजार अर्थव्यवस्था पद्धति द्वारा सामान्य मूल्य की गणना करने का कोई कानूनी आधार नहीं है।
- ख पाटन मार्जिन: घरेलू उद्योग द्वारा आरोपित पाटन मार्जिन केवल एक दावा है। पूर्ववर्ती कार्यवाहियों के मार्जिन उन्हीं अवधियों से संबंधित हैं। पाटन मार्जिन सत्यापित, निर्यातक-विशिष्ट सूचना पर निर्धारित किया जाना चाहिए।
- ग एचडीटीपीएल के लेनदेन: वर्तमान जांच अवधि के दौरान कोई पाटन नहीं हुआ है। एचडीटीपीएल के एक आपूर्तिकर्ता के घरेलू बिक्री बीजकों की दूसरे आपूर्तिकर्ता के निर्यात बीजकों से तुलना करने पर पाटन मार्जिन ऋणात्मक है। आयातों में वृद्धि नहीं होने के कारण भी कोई पाटन नहीं है।

छ.2 घरेलू उद्योग के विचार

62. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के निर्धारण के संबंध में घरेलू उद्योग ने इस संबंध में निम्नलिखित अभ्यावेदन किए हैं:

- क गैर-बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार: चीन जन. गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए। धारा 15(क)(ii) की समाप्ति से बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ और किसी चीनी उत्पादक ने यह नहीं दर्शाया है कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां विद्यमान हैं। सामान्य मूल्य का निर्धारण अनुबंध-1 के पैराग्राफ 7 के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाना चाहिए।
- ख सामान्य मूल्य का आधार: आवेदक द्वारा दक्षिण अफ्रीका को किए गए निर्यातों के पहुंच मूल्य के आधार पर दक्षिण अफ्रीका एक उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाला तीसरा देश है। वैकल्पिक रूप से, सामान्य मूल्य का निर्माण भारत में उत्पादन लागत में उचित लाभ जोड़कर किया जाना चाहिए।
- ग पाटन मार्जिन: पाटन मार्जिन सकारात्मक और महत्वपूर्ण है तथा मूल जांच, पहली सनसेट समीक्षा और वर्तमान समीक्षा में ऐसा ही बना रहा है।

- घ एचडीटीपीएल के लेनदेन: एचडीटीपीएल दो अलग-अलग उत्पादकों और अलग-अलग अवधियों के बीजकों की तुलना करता है, जिसमें सामान्य मूल्य के बीजक वर्तमान जांच अवधि के बाद की अवधि के हैं। किसी एक आयातक के चुनिंदा लेनदेन संबद्ध देश से पाटन की अनुपस्थिति स्थापित नहीं कर सकते।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा की गई जांच

छ.3.1 सामान्य मूल्य का निर्धारण

63. विश्व व्यापार संगठन में चीन के परिग्रहण प्रोटोकॉल का अनुच्छेद 15 निम्नानुसार प्रावधान करता है:

“गैट 1994 का अनुच्छेद VI, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता 1994 के अनुच्छेद VI के कार्यान्वयन संबंधी समझौता (“पाटनरोधी समझौता”) तथा एससीएम समझौता, विश्व व्यापार संगठन के किसी सदस्य में चीनी मूल के आयातों से संबंधित कार्यवाहियों में निम्नलिखित के अनुरूप लागू होंगे:

- (क) गैट 1994 के अनुच्छेद VI और पाटनरोधी समझौते के प्रावधानों के अंतर्गत कीमत की तुलनीयता निर्धारित करने में, आयातक विश्व व्यापार संगठन सदस्य जांचाधीन उद्योग के लिए या तो चीनी कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेगा अथवा निम्नलिखित नियमों के आधार पर ऐसी पद्धति का उपयोग करेगा जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त तुलना पर आधारित न हो:
- (i) यदि जांचाधीन उत्पादक स्पष्ट रूप से यह दर्शा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां विद्यमान हैं, तो आयातक विश्व व्यापार संगठन सदस्य कीमत की तुलनीयता निर्धारित करते समय जांचाधीन उद्योग के लिए चीनी कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेगा;
- (ii) यदि जांचाधीन उत्पादक यह स्पष्ट रूप से नहीं दर्शा सकते कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां विद्यमान हैं, तो आयातक विश्व व्यापार संगठन सदस्य ऐसी पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त तुलना पर आधारित न हो।

...

- (घ) जब चीन आयातक विश्व व्यापार संगठन सदस्य के राष्ट्रीय कानून के प्रावधानों के अंतर्गत यह स्थापित कर देता है कि वह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, तो उप-पैराग्राफ (क) के प्रावधान समाप्त हो जाएंगे, बशर्ते परिग्रहण की तारीख को आयातक सदस्य के राष्ट्रीय कानून में बाजार अर्थव्यवस्था के मानदंड मौजूद हों। किसी भी स्थिति में, उप-पैराग्राफ (क)(ii) के प्रावधान परिग्रहण की तारीख के 15 वर्ष बाद समाप्त हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त, यदि चीन आयातक विश्व व्यापार संगठन सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसार यह स्थापित कर देता है कि किसी विशिष्ट उद्योग अथवा क्षेत्र में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां विद्यमान हैं, तो उप-पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र पर लागू नहीं होंगे।”

64. इस संबंध में यह नोट किया गया है कि अनुच्छेद 15(क)(ii) में निहित प्रावधान समाप्त हो चुका है, किंतु अनुच्छेद 15(क)(i), जिसे पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैराग्राफ 8 के साथ पढ़ा जाए, जांचाधीन उत्पादकों से यह दर्शाने की अपेक्षा करता है कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां विद्यमान हैं। गुआंगडोंग फूवा ने न तो बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दावा किया है और न ही अनुबंध-1 के पैराग्राफ 8(2) के प्रावधानों के अंतर्गत धारणा का खंडन करने के लिए अपेक्षित सूचना उपलब्ध कराई है। किसी अन्य उत्पादक ने उत्तर नहीं दिया है। अतः, उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, सामान्य मूल्य का निर्धारण अनुबंध-1 के पैराग्राफ 7 के अनुसार किया जाना आवश्यक है, जो निम्नानुसार है:

“गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश में कीमत अथवा निर्मित मूल्य के आधार पर, अथवा ऐसे तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को निर्यात की कीमत के आधार पर अथवा जहां यह संभव न हो, किसी अन्य उचित आधार पर, जिसमें समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तव में भुगतान की गई अथवा भुगतान योग्य कीमत भी शामिल है, आवश्यक होने पर उचित लाभ मार्जिन शामिल करने के लिए समुचित समायोजन के साथ किया

जाएगा। अभिहित प्राधिकारी संबंधित देश के विकास स्तर और प्रथमतः उत्पाद को ध्यान में रखते हुए उचित तरीके से उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन करेगा और चयन के समय उपलब्ध कराई गई किसी भी विश्वसनीय सूचना का समुचित ध्यान रखा जाएगा। जहां उचित हो, किसी अन्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के संबंध में किसी समान मामले में की गई जांच को समय-सीमा के भीतर ध्यान में रखा जाएगा। जांच के पक्षकारों को बाजार अर्थव्यवस्था वाले उक्त तीसरे देश के चयन के बारे में बिना किसी अनुचित विलंब के सूचित किया जाएगा और उन्हें अपनी टिप्पणियां देने के लिए उचित समय दिया जाएगा।”

65. घरेलू उद्योग ने इस संबंध में दक्षिण अफ्रीका को उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाला तीसरा देश प्रस्तावित किया है और बताया है कि उसने वर्तमान जांच अवधि के दौरान उस बाजार में विचाराधीन संबद्ध वस्तुओं की पर्याप्त मात्रा का निर्यात किया तथा ऐसे निर्यातों के पहुंच मूल्य दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित कीमतों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। तथापि, जांच शुरुआत के समय नोट किए अनुसार आवेदक ने न तो उपयुक्त तीसरे देश के रूप में दक्षिण अफ्रीका की उपयुक्तता को प्रमाणित किया है और न ही उस बाजार में प्रतिनिधिक कीमतों के रूप में अपने स्वयं के निर्यातों के पहुंच मूल्यों के उपयोग को। दक्षिण अफ्रीका में समान वस्तु की घरेलू कीमतों अथवा निर्मित मूल्य का कोई विश्वसनीय सहायक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।
66. प्राधिकारी ने इस संबंध में अनुबंध-1 के पैराग्राफ 7 में निर्धारित विकल्पों की क्रमवार जांच की है। प्रथम, उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत अथवा निर्मित मूल्य को नहीं अपनाया जा सका क्योंकि दक्षिण अफ्रीका का चयन और प्रस्तावित कीमत आधार प्रमाणित नहीं किए गए थे। द्वितीय, उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को निर्यात की गई समान वस्तु की कीमत के संबंध में विश्वसनीय सूचना उपलब्ध नहीं है। तदनुसार, उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पहले दो विकल्पों में से किसी को भी लागू नहीं किया जा सका। अतः, उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी ने पैराग्राफ 7 के प्रावधानों के अंतर्गत शेष उचित आधार अपनाया है और भारत में भुगतान योग्य कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है, जिसे भारत में समान वस्तु की उत्पादन लागत से, बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्ययों तथा उचित लाभ के लिए समुचित समायोजन सहित निर्मित किया गया है।
67. एचडीटीपीएल की प्रस्तावित गणना स्वीकार नहीं की जा सकती क्योंकि उसमें भाग न लेने वाले ऐसे उत्पादक, जिसने बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दावा नहीं किया है, के वर्तमान जांच अवधि के बाद के घरेलू बिक्री बीजकों की किसी अलग उत्पादक के निर्यात बीजकों से तुलना की गई है। इसके अतिरिक्त, आयात मात्रा में वृद्धि का अभाव पाटन के अभाव को स्थापित नहीं करता, क्योंकि पाटन का निर्धारण सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना द्वारा किया जाता है।

छ.3.2 निर्यात कीमत का निर्धारण

गुआंगडोंग फूवा हेवी इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड के लिए निर्यात कीमत

68. गुआंगडोंग फूवा विचाराधीन संबद्ध वस्तुओं का उत्पादक है। वर्तमान जांच अवधि के दौरान उसने विचाराधीन उत्पाद के *** नग भारत को सीधे तीन असंबद्ध ग्राहकों को निर्यात किए हैं।
गुआंगडोंग फूवा → भारत में असंबद्ध ग्राहक
69. उत्पादक द्वारा रिपोर्ट किए गए निर्यातों का डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों से मिलान किया गया है। निर्यात कीमत भारत में असंबद्ध ग्राहकों से वसूली गई कीमत के आधार पर निर्धारित की गई है। इस प्रकार निर्धारित शुद्ध निर्यात कीमत नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित है।

असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

70. संबद्ध देश के उन सभी अन्य उत्पादकों और निर्यातकों, जिन्होंने प्राधिकारी के साथ सहयोग नहीं किया है, के लिए निर्यात कीमत नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है, जिसमें डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों के अनुसार सहयोगी उत्पादक के अलावा अन्य उत्पादकों की विचाराधीन संबद्ध वस्तुओं के आयात की कीमत को ध्यान में रखा गया है। इस प्रकार निर्धारित शुद्ध निर्यात कीमत नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित है।

छ.3.3 पाटन मार्जिन

71. उपर्युक्त अनुसार निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत को ध्यान में रखते हुए, संबद्ध देश के उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन निम्नानुसार है:

पाटन मार्जिन तालिका						
क्र. सं.	उत्पादक का नाम	सामान्य मूल्य (अमेरिकी डॉलर/मीट्रिक टन)	निर्यात कीमत (अमेरिकी डॉलर/मीट्रिक टन)	पाटन मार्जिन (अमेरिकी डॉलर/मीट्रिक टन)	पाटन मार्जिन (%)	पाटन मार्जिन (सीमा)
1	गुआंगडोंग फूवा हेवी इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	15-25
2	कोई अन्य उत्पादक	***	***	***	***	40-50

72. इस संबंध में यह नोट किया गया है कि लागू पाटनरोधी शुल्क के बावजूद पाटन मार्जिन सकारात्मक और न्यूनतम सीमा से अधिक है। इस प्रकार वर्तमान जांच अवधि के दौरान विचाराधीन संबद्ध वस्तुओं का भारत को पाटन कीमतों पर निर्यात जारी रहा है।

ज क्षति और कारणात्मक संबंध का आकलन

ज.1 अन्य हितबद्ध पक्षों के विचार

73. क्षति और कारणात्मक संबंध के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षों ने इस संबंध में निम्नलिखित अभ्यावेदन किए हैं:

- क **जांच की प्रकृति:** सकारात्मक साक्ष्य के माध्यम से यह स्थापित करने का दायित्व घरेलू उद्योग पर है कि शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना है। क्षति के दावे अनुमानात्मक हैं।
- ख **मात्रा प्रभाव:** संबंधित क्षति अवधि के दौरान चीन जन. गण. से आयातों में केवल मामूली वृद्धि हुई है, जबकि मांग तथा घरेलू उद्योग और अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्री बहुत अधिक दर से बढ़ी है। आयातों में उतार-चढ़ाव हुआ है और लंबी अवधि में उनमें गिरावट आई है। कोई मात्रा प्रभाव नहीं है।
- ग **कीमत प्रभाव:** आयातों का पहुंच मूल्य स्थिर रहा है और घरेलू उद्योग की शुद्ध बिक्री प्राप्ति में वृद्धि हुई है। बिक्री प्राप्ति में किसी प्रतिकूल बदलाव के बिना कीमत में कटौती क्षति स्थापित नहीं करती। एचडीटीपीएल के लेनदेनों में पहुंच मूल्य क्षतिरहित कीमत से अधिक है।
- घ **आर्थिक मानदंड:** घरेलू उद्योग के उत्पादन, क्षमता उपयोग, घरेलू और निर्यात बिक्री, लाभ, नकद लाभ, रोजगार, मजदूरी तथा नियोजित पूंजी पर प्रतिफल में संबंधित क्षति अवधि के दौरान सुधार हुआ है और मालसूची में गिरावट आई है। प्रति कर्मचारी उत्पादकता में गिरावट कार्यबल में वृद्धि से स्पष्ट होती है।
- ङ **एक कंपनी के रूप में आवेदक का वित्तीय निष्पादन:** आवेदक की कुल आय और कर पश्चात लाभ में पर्याप्त वृद्धि हुई है, उसके पास बड़ी नकद शेष राशि है और उसने अपनी क्षमता का विस्तार किया है। ऐसा निष्पादन क्षति के अनुरूप नहीं है। तुर्की और रूस से सोडा ऐश की सनसेट समीक्षा के निष्कर्षों पर भरोसा किया गया है।
- च **कारणात्मक संबंध और अन्य कारक:** कोई कारणात्मक संबंध स्थापित नहीं है। ब्याज और मूल्यहास लागत में वृद्धि आयातों से स्वतंत्र है और इसकी अलग से जांच की जानी चाहिए। चक्रीय मांग, प्रौद्योगिकी, घटक आपूर्तिकर्ताओं की गुणवत्ता और लागत, परिचालन अक्षमता तथा अन्य घरेलू उत्पादकों से तीव्र प्रतिस्पर्धा जैसे अन्य कारकों ने किसी क्षति में योगदान दिया हो सकता है।

ज.2 घरेलू उद्योग के विचार

74. क्षति और कारणात्मक संबंध के संबंध में घरेलू उद्योग ने इस संबंध में निम्नलिखित अभ्यावेदन किए हैं:

- क **जांच की प्रकृति:** वर्तमान कार्यवाही सनसेट समीक्षा है, कोई नई मूल जांच नहीं। प्रश्न यह है कि शुल्क समाप्त होने पर पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना है या नहीं। निष्पादन में सुधार एक प्रभावी शुल्क से अपेक्षित परिणाम है और अपने-आप यह नहीं दर्शा सकता कि अब शुल्क की आवश्यकता नहीं है।
- ख **मात्रा प्रभाव:** शुल्क के बावजूद संबंधित क्षति अवधि के दौरान आयात जारी रहे हैं और पहली सनसेट समीक्षा के स्तर से अधिक हैं। भारतीय उत्पादकों के पास संपूर्ण भारतीय मांग को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता है।
- ग **कीमत प्रभाव:** संबंधित क्षति अवधि के दौरान आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती की है और उनका पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री लागत तथा क्षतिरहित कीमत से नीचे बना रहा है।

- घ **आर्थिक मानदंड:** हितबद्ध पक्ष आधार वर्ष की तुलना में सुधार पर चुनिंदा रूप से भरोसा करते हैं। पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में वर्तमान जांच अवधि में उत्पादन, बिक्री, लाभ, नकद लाभ, रोजगार और उत्पादकता में गिरावट आई, घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी घटी और पर्याप्त क्षमता निष्क्रिय रही।
- ङ **एक कंपनी के रूप में आवेदक का वित्तीय निष्पादन:** एचडीटीपीएल द्वारा उद्धृत आंकड़े संपूर्ण कंपनी के हैं और इनमें विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) के अलावा अन्य उत्पाद तथा व्यापारिक गतिविधियां शामिल हैं। पाटनरोधी नियमावली के प्रावधानों के अंतर्गत क्षति विश्लेषण समान वस्तु से संबंधित है।
- च **कारणात्मक संबंध और अन्य कारक:** सनसेट समीक्षा में संभावित पाटन और संभावित क्षति के बीच कारणात्मक संबंध नए सिरे से स्थापित करना आवश्यक नहीं है (अमेरिका – मेक्सिको से ऑयल कंट्री ट्यूबुलर गुड्स पर पाटनरोधी उपाय, WT/DS282/AB/R)। एचडीटीपीएल द्वारा बताए गए अन्य कारकों को परिमाणित नहीं किया गया है और अधिक से अधिक वे गैर-आरोपण विश्लेषण की मांग करते हैं।

ज.3 प्राधिकारी द्वारा की गई जांच

75. पाटनरोधी नियमावली का नियम 11, जिसे अनुबंध-II के साथ पढ़ा जाए, प्रावधान करता है कि क्षति निर्धारण में उन कारकों की जांच शामिल होगी जो घरेलू उद्योग को क्षति का संकेत दे सकते हैं, "... सभी प्रासंगिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, जिनमें पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के घरेलू बाजार में कीमतों पर उनका प्रभाव तथा ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों का परिणामी प्रभाव शामिल है ...". सनसेट समीक्षा में प्राधिकारी इस बात की जांच करता है कि शुल्क लागू रहते हुए घरेलू उद्योग को क्षति जारी रही है या नहीं तथा शुल्क को समाप्त होने दिया जाए तो क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना है या नहीं। घरेलू उद्योग की वर्तमान स्थिति की इस भाग में तथा पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना की अगले भाग में जांच की गई है।
76. क्षति की जांच समान वस्तु के लिए की जानी अपेक्षित है। एचडीटीपीएल द्वारा उद्धृत कुल आय, कर पश्चात लाभ और नकद शेष राशि संपूर्ण आवेदक कंपनी की है, जो विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) के अलावा अन्य उत्पादों का भी कारोबार करती है। प्राधिकारी ने इस संबंध में विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) की घरेलू बिक्री के लिए पृथक की गई घरेलू उद्योग की सूचना पर भरोसा किया है।

ज.3.1 संबद्ध आयातों का मात्रा प्रभाव मांग का आकलन (प्रत्यक्ष खपत)

77. प्राधिकारी ने इस संबंध में भारत में उत्पाद की मांग अथवा प्रत्यक्ष खपत को भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री तथा सभी स्रोतों से आयातों के योग के रूप में परिभाषित किया है। इस प्रकार आकलित मांग नीचे दी गई तालिका में दी गई है।

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2022-23	2023-24	2024-25	जांच अवधि
1	संबद्ध देश से आयात	मीट्रिक टन	1,279	2,289	1,418	1,352
2	अन्य देशों से आयात	मीट्रिक टन	-	-	-	-
3	कुल आयात	मीट्रिक टन	1,279	2,289	1,418	1,352
4	घरेलू उद्योग की बिक्री	मीट्रिक टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	150	128	122
5	अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्री	मीट्रिक टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	128	146	142
6	कुल मांग	मीट्रिक टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	144	133	128

78. इस संबंध में यह देखा गया है कि विचाराधीन संबद्ध वस्तुओं की मांग 2023-24 में बढ़ी और उसके बाद घटी, किंतु वर्तमान जांच अवधि में यह आधार वर्ष की तुलना में अधिक बनी रही।

निरपेक्ष और सापेक्ष रूप में आयात

79. आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी को यह विचार करना अपेक्षित है कि क्या आयातों में निरपेक्ष रूप में अथवा भारत में उत्पादन या खपत की तुलना में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। संबंधित क्षति अवधि के दौरान आयातों की मात्रा निम्नानुसार थी:

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2022-23	2023-24	2024-25	जांच अवधि
1	संबद्ध आयात	मीट्रिक टन	1,279	2,289	1,418	1,352
2	अन्य आयात	मीट्रिक टन	-	-	-	-
3	कुल आयात	मीट्रिक टन	1,279	2,289	1,418	1,352
4	संबद्ध आयातों का निम्न के संबंध में अनुपात:					
क	भारतीय मांग	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	124	83	83
ख	घरेलू उद्योग का उत्पादन	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	112	87	87
ग	कुल आयात	%	100	100	100	100

80. प्राधिकारी इस संबंध में यह नोट करता है कि लागू शुल्क के बावजूद संबंधित क्षति अवधि के दौरान विचाराधीन संबद्ध वस्तुओं के आयात जारी रहे हैं। आयात 2023-24 में बढ़े और उसके बाद घटे तथा वर्तमान जांच अवधि में संबद्ध आयात निरपेक्ष रूप में आधार वर्ष की तुलना में मामूली रूप से अधिक और मांग तथा उत्पादन की तुलना में कम थे। संबद्ध देश भारत में विचाराधीन संबद्ध वस्तुओं के आयात का एकमात्र स्रोत है।

ज.3.2 संबद्ध आयातों का कीमत प्रभाव

81. आयातों के कीमतों पर प्रभाव के संबंध में यह विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में आयातों द्वारा महत्वपूर्ण कीमत कटौती हुई है, अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों को कम करने या उन कीमत वृद्धि को रोकने का रहा है जो अन्यथा होती।

कीमत में कटौती

82. कीमत में कटौती के विश्लेषण के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग की शुद्ध बिक्री प्राप्ति की तुलना पाटनरोधी शुल्क को छोड़कर संबद्ध देश से आयातों के पहुंच मूल्य से की गई है:

क्र. सं.	विवरण	इकाई	जांच अवधि
1	शुद्ध बिक्री प्राप्ति	₹/मीट्रिक टन	***
2	पहुँच मूल्य	₹/मीट्रिक टन	1,45,115
3	कीमत में कटौती	₹/मीट्रिक टन	***
4	कीमत में कटौती	%	***
5	कीमत में कटौती	सीमा	5-15

83. इस संबंध में यह नोट किया गया है कि जब पहुंच मूल्य की गणना पाटनरोधी शुल्क के बिना की जाती है, तब संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं। लागू शुल्क सहित संबद्ध आयातों का पहुंच मूल्य औसतन घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से केवल थोड़ा अधिक है।

कीमत दमन और कीमत ह्रास

84. यह निर्धारित करने के लिए कि आयात घरेलू कीमतों को कम कर रहे हैं अथवा उन कीमत वृद्धि को रोक रहे हैं जो अन्यथा होती, प्राधिकारी ने इस संबंध में संबंधित क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत में हुए परिवर्तनों की जांच की है।

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2022-23	2023-24	2024-25	जांच अवधि
1	बिक्री लागत	₹/कि.ग्रा.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	102	99	101
2	बिक्री कीमत	₹/कि.ग्रा.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	99	100	101
3	पहुँच कीमत	₹/कि.ग्रा.	142.67	142.36	149.21	145.11
	प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	100	105	102

85. घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत दोनों संबंधित क्षति अवधि के दौरान मोटे तौर पर स्थिर रही हैं तथा बिक्री कीमत पूरे समय बिक्री लागत से अधिक रही है। शुल्क लागू रहने पर घरेलू उद्योग की कीमतों का न तो दमन हुआ है और न ही ह्रास। तथापि, यह भी देखा गया है कि वर्तमान जांच अवधि में शुल्क के बिना आयातों का पहुँच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से नीचे था।

ज.3.3 घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंड

86. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में अपेक्षित है कि क्षति निर्धारण में समान वस्तु के घरेलू उत्पादकों पर आयातों के परिणामी प्रभाव की वस्तुनिष्ठ जांच शामिल हो, जिसमें उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले सभी प्रासंगिक आर्थिक कारकों और सूचकांकों का मूल्यांकन भी शामिल है। तदनुसार, उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, संबंधित क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के निष्पादन की समुचित रूप से जांच की गई है।

उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2022-23	2023-24	2024-25	जांच अवधि
1	क्षमता	मीट्रिक टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	100	100	100
2	उत्पादन	मीट्रिक टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	160	127	122
3	क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	160	127	122
4	घरेलू बिक्री	मीट्रिक टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	150	128	122
5	निर्यात बिक्री	मीट्रिक टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	288	129	118

87. घरेलू उद्योग की क्षमता अपरिवर्तित रही है। उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री मांग में वृद्धि के अनुरूप 2023-24 में बढ़ी और उसके बाद घटी, किंतु वर्तमान जांच अवधि में आधार वर्ष की तुलना में अधिक बनी रही। घरेलू उद्योग के पास अभी भी अप्रयुक्त क्षमता है।

मांग में बाजार हिस्सेदारी

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2022-23	2023-24	2024-25	जांच अवधि
1	संबद्ध देश	%	3.51	4.36	2.93	2.91
	प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	124	83	83
2	अन्य देश	%	-	-	-	-
3	घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	104	96	96
4	अन्य भारतीय उत्पादक	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	89	110	111

88. भारतीय उत्पादकों के पास संयुक्त रूप से बाजार की प्रमुख हिस्सेदारी है। संबंधित क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में गिरावट आई है। यह हिस्सेदारी संबद्ध आयातों को नहीं बल्कि अन्य भारतीय उत्पादकों को गई है, जिनमें वर्तमान जांच अवधि के दौरान संबद्ध आयातों की हिस्सेदारी आधार वर्ष की तुलना में कम है।

मालसूची

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2022-23	2023-24	2024-25	जांच अवधि
1	आरंभिक मालसूची	मीट्रिक टन	***	***	***	***
2	अंतिम मालसूची	मीट्रिक टन	***	***	***	***
3	औसत मालसूची	मीट्रिक टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	109	100	95

89. संबंधित क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की औसत मालसूची में मामूली गिरावट आई है।

रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2022-23	2023-24	2024-25	जांच अवधि
1	कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	149	143	140
2	वेतन एवं मजदूरी	₹ लाख	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	136	126	134
3	प्रतिदिन उत्पादकता	मीट्रिक टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	160	127	122
4	प्रति कर्मचारी उत्पादकता	मीट्रिक टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	107	89	87

90. संबंधित क्षति अवधि के दौरान रोजगार और मजदूरी में वृद्धि हुई है। प्रतिदिन उत्पादकता उत्पादन के साथ बदली है, जबकि प्रति कर्मचारी उत्पादकता 2023-24 के बाद से घटी है।

लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर प्रतिफल

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2022-23	2023-24	2024-25	जांच अवधि
1	कर-पूर्व लाभ	₹/कि.ग्रा.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	55	122	115
2	ब्याज और कर-पूर्व लाभ	₹/कि.ग्रा.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	60	127	120
3	ब्याज लागत	₹/कि.ग्रा.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	231	290	296
4	मूल्यहास	₹/कि.ग्रा.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	116	130	132
5	मूल्यहास, ब्याज और कर-पूर्व लाभ	₹/कि.ग्रा.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	67	127	122
6	नकद लाभ	₹/कि.ग्रा.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	62	123	117
7	नियोजित पूंजी पर प्रतिफल	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	75	138	161

91. इस संबंध में यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग ने इस संबंध में क्षति अवधि के प्रत्येक वर्ष में विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) की घरेलू बिक्री पर लाभ और नकद लाभ अर्जित किया है। लाभप्रदता 2023-24 में घटी, 2024-25 में सुधरी और वर्तमान जांच अवधि में कुछ कम हुई, किंतु आधार वर्ष की तुलना में अधिक बनी रही। संबंधित क्षति अवधि के दौरान नियोजित पूंजी पर प्रतिफल में सुधार हुआ है।

वृद्धि

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2023-24	2024-25	जांच अवधि
1	उत्पादन	%	60.05	(20.75)	(4.04)
2	घरेलू बिक्री	%	49.76	(14.70)	(4.28)
3	क्षमता उपयोग	%	60.05	(20.75)	(4.04)
4	घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी	%	3.91	(7.41)	(0.49)
5	बिक्री कीमत	%	(0.77)	1.07	0.85
6	बिक्री लागत	%	1.86	(2.49)	1.27
7	नियोजित पूंजी पर प्रतिफल	%	(24.75)	83.54	16.22
8	कर-पूर्व लाभ	%	(44.85)	121.27	(5.82)
9	ब्याज और कर-पूर्व लाभ	%	(39.75)	110.64	(5.29)
10	नकद लाभ	%	(37.61)	97.11	(4.92)
11	मूल्यहास, ब्याज और कर-पूर्व लाभ	%	(33.29)	90.77	(4.51)
12	औसत मालसूची	%	9.48	(8.60)	(5.32)

92. घरेलू उद्योग के मात्रा मानदंडों ने 2023-24 में मजबूत वृद्धि और उसके बाद ऋणात्मक वृद्धि दर्शाई। लाभप्रदता मानदंडों में विपरीत प्रवृत्ति रही, जिसमें वर्तमान जांच अवधि में मामूली गिरावट आई, जबकि नियोजित पूंजी पर प्रतिफल में वृद्धि जारी रही।

पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

93. घरेलू उद्योग ने इस संबंध में संबंधित क्षति अवधि के दौरान लगातार लाभ तथा नियोजित पूंजी पर सकारात्मक प्रतिफल अर्जित किया है। संबंधित क्षति अवधि के दौरान पूंजी निवेश जुटाने की उसकी क्षमता प्रभावित नहीं हुई है।

पाटन मार्जिन की मात्रा

94. विचाराधीन संबद्ध वस्तुओं का भारत को पाटित कीमतों पर निर्यात जारी है। पाटन मार्जिन सकारात्मक और महत्वपूर्ण है।

घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

95. भारतीय उत्पादकों के पास संयुक्त रूप से बाजार की प्रमुख हिस्सेदारी है और भारत में समान वस्तु के छह उत्पादक हैं। संबंधित क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की कीमतें उसकी लागतों तथा घरेलू उत्पादकों के बीच और शुल्क-भुगतान किए गए आयातों के साथ प्रतिस्पर्धा द्वारा निर्धारित हुई हैं।

समग्र आकलन

96. हितबद्ध पक्षों ने आधार वर्ष की तुलना में घरेलू उद्योग के मानदंडों में सुधार पर जोर दिया है, जबकि घरेलू उद्योग ने इस संबंध में पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में वर्तमान जांच अवधि में गिरावट और निष्क्रिय क्षमता पर जोर दिया है। प्राधिकारी से सभी मानदंडों का समग्र आकलन करना अपेक्षित है। ऐसे आकलन पर अभिलेख में उपलब्ध सूचना दर्शाती है कि पाटनरोधी शुल्क लागू रहने पर घरेलू उद्योग ने संबंधित क्षति अवधि के दौरान अपने उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग में सुधार किया है, लाभप्रद बना रहा है और वर्तमान जांच अवधि में नियोजित पूंजी पर उचित प्रतिफल अर्जित किया है। अतः, उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, लागू शुल्क के साथ घरेलू उद्योग को निरंतर क्षति से पीड़ित नहीं पाया गया है।

झ कारणात्मक संबंध और गैर-आरोपण विश्लेषण

97. प्राधिकारी ने इस संबंध में हितबद्ध पक्षों के अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए यह जांच की है कि संबंधित क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के निष्पादन में बदलाव संबद्ध आयातों के कारण है अथवा अन्य ज्ञात कारकों के कारण।

क तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और मूल्य: संबद्ध देश के अलावा अन्य देशों से विचाराधीन संबद्ध वस्तुओं का कोई आयात नहीं है।

ख मांग में संकुचन और खपत के स्वरूप में परिवर्तन: मांग 2023-24 में बढ़ी और उसके बाद घटी। 2023-24 के बाद घरेलू उद्योग की मात्राओं में आई नरमी मांग में गिरावट के साथ मेल खाती है। खपत के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं दर्शाया गया है।

ग प्रतिस्पर्धा की परिस्थितियां और व्यापार-प्रतिबंधक पद्धतियां: संबंधित क्षति अवधि के दौरान अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री और बाजार हिस्सेदारी बढ़ी है, जबकि घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी घटी है। इस प्रकार घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में गिरावट का एक कारक रही है।

घ प्रौद्योगिकी में विकास: वर्तमान जांच के अभिलेख पर कोई ऐसा साक्ष्य नहीं रखा गया है कि घरेलू उद्योग की प्रौद्योगिकी अप्रचलित है अथवा उसका उत्पाद बाजार में स्वीकार्य नहीं है।

ङ निर्यात निष्पादन: जांच की गई सूचना घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री से संबंधित है। उसके निर्यात निष्पादन को पृथक किया गया है।

च उत्पादकता: प्रति कर्मचारी उत्पादकता 2023-24 के बाद से घटी है। इसने घरेलू उद्योग को लाभ अर्जित करने से नहीं रोका है।

छ अन्य उत्पादों का निष्पादन: जांच की गई सूचना केवल विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) के लिए है।

98. इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि वर्तमान जांच अवधि में घरेलू उद्योग की मात्राओं और बाजार हिस्सेदारी में आई नरमी कुछ सीमा तक मांग में गिरावट और अन्य घरेलू उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा के कारण है।

99. प्राधिकारी इस संबंध में यह नोट करता है कि सनसेट समीक्षा में किया जाने वाला निर्धारण यह है कि शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना है या नहीं। यह तथ्य कि शुल्क लागू रहते हुए घरेलू उद्योग को निरंतर क्षति से पीड़ित नहीं पाया गया है, एक प्रासंगिक तथ्य है, किंतु इससे समीक्षा समाप्त नहीं होती। क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना की आगे जांच की गई है।

ज क्षति मार्जिन की मात्रा

ज.1 अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रस्तुत विचार

100. क्षतिरहित कीमत और क्षति मार्जिन के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षों ने इस संबंध में निम्नलिखित अभ्यावेदन किए हैं:
101. नियोजित पूंजी पर प्रतिफल: क्षतिरहित कीमत निर्धारित करते समय नियोजित पूंजी पर अनुमत 22% का प्रतिफल बढ़ा-चढ़ाकर रखा गया है और अनुबंध-III के अर्थ में उचित प्रतिफल नहीं है। इसका उद्गम 1987 के एक औषधि कीमत नियंत्रण आदेश में है, जब ब्याज और कर की दरें बहुत अधिक थीं, और इससे निवल मूल्य पर कहीं अधिक प्रतिफल प्राप्त होता है। ब्रिजस्टोन टायर मैनुफैक्चरिंग एवं अन्य बनाम अभिहित प्राधिकारी तथा ह्योसुंग कॉरपोरेशन बनाम अभिहित प्राधिकारी (सीईएसटीएटी) और यूरोपीय संघ की पद्धति पर भरोसा किया गया है। पाटन के बिना किसी अवधि में घरेलू उद्योग द्वारा वास्तव में अर्जित प्रतिफल को अपनाया जाना चाहिए।
102. क्षति मार्जिन: एचडीटीपीएल के आपूर्तिकर्ताओं के बीजकों के आधार पर आयातों का पहुंच मूल्य क्षतिरहित कीमत से अधिक है और क्षति मार्जिन ऋणात्मक है।

ज.2 घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत विचार

103. क्षतिरहित कीमत और क्षति मार्जिन के संबंध में घरेलू उद्योग ने इस संबंध में निम्नलिखित अभ्यावेदन किए हैं:
104. नियोजित पूंजी पर प्रतिफल: अनुबंध-III औसत नियोजित पूंजी पर उचित प्रतिफल का प्रावधान करता है और प्राधिकारी ने इस संबंध में सुसंगत रूप से 22% का कर-पूर्व प्रतिफल लागू किया है। गुआंगडोंग फूवा काल्पनिक पूंजी संरचनाओं पर भरोसा करता है और घरेलू उद्योग की सत्यापित लागत अथवा नियोजित पूंजी में किसी त्रुटि की ओर संकेत नहीं करता। यूरोपीय संघ की पद्धति अलग वैधानिक ढांचे के प्रावधानों के अंतर्गत उत्पन्न होती है।
105. क्षति मार्जिन: आयात क्षतिरहित कीमत से नीचे प्रवेश कर रहे हैं, जैसा कि मूल जांच और पहली सनसेट समीक्षा में भी हुआ था।

ज.3 प्राधिकारी द्वारा की गई जांच

106. प्राधिकारी ने इस संबंध में यथा-संशोधित पाटनरोधी नियमावली के साथ पठित अनुबंध-III में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षतिरहित कीमत निर्धारित की है। क्षतिरहित कीमत वर्तमान जांच अवधि के लिए उत्पादन लागत से संबंधित सत्यापित सूचना को अपनाकर निर्धारित की गई है। इस प्रयोजन के लिए संबंधित क्षति अवधि के दौरान कच्चे माल, उपयोगिताओं और उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है तथा यह सुनिश्चित किया गया है कि उत्पादन लागत में कोई असाधारण अथवा गैर-आवर्ती व्यय प्रभारित न किया गया हो। विचाराधीन उत्पाद के लिए औसत नियोजित पूंजी (अर्थात् औसत निवल स्थायी परिसंपत्तियां और औसत कार्यशील पूंजी) पर उचित प्रतिफल (कर-पूर्व @ 22%) को कर-पूर्व लाभ के रूप में अनुमति दी गई है, जैसा कि अनुबंध-III में निर्धारित है और प्राधिकारी द्वारा सुसंगत रूप से अपनाया जाता रहा है।
107. नियोजित पूंजी पर प्रतिफल के संबंध में अनुबंध-III ब्याज, कॉरपोरेट कर और लाभ की वसूली के लिए औसत नियोजित पूंजी पर उचित कर-पूर्व प्रतिफल का प्रावधान करता है। 22% का प्रतिफल नियोजित पूंजी पर कर-पूर्व प्रतिफल है, जिसमें से उधार पर ब्याज और कॉरपोरेट कर का भुगतान किया जाना है; यह निवल मूल्य पर प्रतिफल नहीं है। प्राधिकारी द्वारा इसे समान रूप से अपनाया गया है। गुआंगडोंग फूवा की उदाहरणात्मक गणनाएं अनुमानित पूंजी संरचनाओं और दरों पर आधारित हैं और घरेलू उद्योग की नियोजित पूंजी से संबंधित नहीं हैं तथा अपने-अपने विधान के प्रावधानों के अंतर्गत अन्य न्यायक्षेत्रों की पद्धति अनुबंध-III के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारण को नियंत्रित नहीं करती। प्राधिकारी आगे नोट करता है कि वर्तमान मामले में इस प्रकार निर्धारित क्षतिरहित कीमत वर्तमान जांच अवधि में घरेलू उद्योग द्वारा वास्तव में प्राप्त कीमत से कम है।
108. सहयोगी उत्पादक के लिए पहुंच मूल्य उसके प्रश्नावली उत्तर के आधार पर निर्धारित किया गया है, जिसका डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों से मिलान किया गया है। असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए पहुंच मूल्य उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है। पहुंच मूल्य और क्षतिरहित कीमत के आधार पर क्षति मार्जिन निम्नानुसार है:

क्षति मार्जिन तालिका

क्र. सं.	उत्पादक का नाम	क्षतिरहित कीमत (अमेरिकी डॉलर/मीट्रिक टन)	पहुँच मूल्य (अमेरिकी डॉलर/मीट्रिक टन)	क्षति मार्जिन (अमेरिकी डॉलर/मीट्रिक टन)	क्षति मार्जिन (%)	क्षति मार्जिन (सीमा)
1	गुआंगडोंग फूवा हेवी इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	0-10
2	कोई अन्य उत्पादक	***	***	***	***	20-30

ट पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना

ट.1 अन्य हितबद्ध पक्षों के विचार

109. पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षों ने इस संबंध में निम्नलिखित अभ्यावेदन किए हैं:
- क **कानूनी मानक:** दूसरी सनसेट समीक्षा शुल्क को स्वतः जारी रखने को उचित नहीं ठहराती। भावी आकलन वस्तुनिष्ठ और सकारात्मक साक्ष्य पर आधारित होना चाहिए। पूर्ववर्ती कार्यवाहियों के निष्कर्ष निर्णायक नहीं हैं और पाटनरोधी शुल्क अनिश्चितकालीन संरक्षण प्रदान करने के लिए नहीं है।
- ख **पाटन का जारी रहना और आयातों की प्रवृत्ति:** पाटन मार्जिन को संभावित क्षति का निर्णायक प्रमाण नहीं माना जा सकता। आयातों में उतार-चढ़ाव हुआ है और उनकी निरंतर मौजूदगी यह नहीं दर्शाती कि शुल्क की समाप्ति से क्षतिकारी कीमतों पर आयातों में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी।
- ग **अधिशेष क्षमता:** घरेलू उद्योग द्वारा उद्धृत चार चीनी उत्पादकों की संयुक्त क्षमता यह स्थापित नहीं करती कि गुआंगडोंग फूवा के पास ऐसी अधिशेष क्षमता है जिसके भारत की ओर मोड़े जाने की संभावना है। गुआंगडोंग फूवा उच्च क्षमता उपयोग दर पर परिचालन करता है। केवल अप्रयुक्त क्षमता अथवा मालसूची का अस्तित्व संभावना स्थापित नहीं करता।
- घ **तीसरे देशों को निर्यात:** तीसरे देशों को निर्यात का अस्तित्व यह स्थापित नहीं करता कि ऐसी मात्राएं भारत की ओर निर्देशित की जाएंगी अथवा पाटित और क्षतिकारी कीमतों पर प्रवेश करेंगी।
- ङ **घरेलू उद्योग की स्थिति:** घरेलू उद्योग के निष्पादन में वास्तविक सुधार को उचित महत्व दिया जाना चाहिए। घरेलू उद्योग संभावना स्थापित करने के विकल्प के रूप में शुल्क के उपचारात्मक प्रभाव पर भरोसा नहीं कर सकता।

ट.2 घरेलू उद्योग के विचार

110. पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना के संबंध में घरेलू उद्योग ने इस संबंध में निम्नलिखित अभ्यावेदन किए हैं:
- क **कानूनी मानक:** अधिनियम की धारा 9क(5) और नियम 23(1ख) के प्रावधानों के अंतर्गत कसौटी भावी और प्रतिकल्पित है। “संभावना” का मानक समग्र निर्धारण पर लागू होता है और साक्ष्य का संचयी रूप से आकलन किया जाना चाहिए। ऋषिरूप पॉलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम अभिहित प्राधिकारी [(2006) 4 एससीसी 303], पी.टी. असाहिमास केमिकल्स बनाम अभिहित प्राधिकारी (सीईएसटीएटी), अमेरिका – जंग-रोधी इस्पात सनसेट समीक्षा (WT/DS244/AB/R) तथा अमेरिका – ऑयल कंट्री ट्यूबुलर गुड्स सनसेट समीक्षा (WT/DS268/AB/R) पर भरोसा किया गया है।
- ख **पाटन का जारी रहना और आयातों की प्रवृत्ति:** लगभग एक दशक से शुल्क लागू रहने के बावजूद पाटन जारी रहा है और प्रत्येक जांच में मार्जिन महत्वपूर्ण रहे हैं। चीनी निर्यातकों की भारतीय बाजार में स्थापित उपस्थिति बनी हुई है।
- ग **अधिशेष क्षमता:** गुआंगडोंग फूवा सहित चार प्रमुख चीनी उत्पादकों के पास संयुक्त रूप से ऐसी अप्रयुक्त क्षमता है जो भारतीय मांग से कई गुना अधिक है। पहली सनसेट समीक्षा में भारतीय मांग की तुलना में गुआंगडोंग फूवा की अप्रयुक्त क्षमता को महत्वपूर्ण पाया गया था।

- घ तीसरे देशों को निर्यात: चीनी उत्पादक अत्यधिक निर्यात-उन्मुख हैं। पहली सनसेट समीक्षा में गुआंगडोंग फूवा के अपने आंकड़ों के आधार पर दर्ज किया गया था कि उसने तीसरे देशों को भारत की तुलना में बहुत अधिक मात्रा का निर्यात भारत को की गई कीमतों से कम कीमतों पर किया।
- ङ परिहार: शुल्क लगाए जाने के बाद विचाराधीन संबद्ध वस्तुओं का सीकेडी/एसकेडी अवस्था में आयात किया गया और प्राधिकारी ने इस संबंध में पाया कि ऐसे आयात शुल्क के उपचारात्मक प्रभाव को कमजोर कर रहे थे। यह भारतीय बाजार तक पहुंच बनाए रखने के वाणिज्यिक प्रोत्साहन को दर्शाता है।
- च घरेलू उद्योग की स्थिति: घरेलू उद्योग के पास पर्याप्त निष्क्रिय क्षमता है और वह संवेदनशील स्थिति में है। आयात उसकी बिक्री लागत से नीचे हैं तथा शुल्क समाप्त होने पर उसे या तो अपनी कीमतें कम करनी होंगी अथवा बिक्री गंवानी होगी।
- छ पहली सनसेट समीक्षा की प्रासंगिकता: पूर्ववर्ती सनसेट समीक्षा के निष्कर्ष तब तक प्रासंगिक बने रहते हैं जब तक यह नहीं दिखाया जाता कि परिस्थितियों में परिवर्तन हुआ है (एसोसिएशन ऑफ़ मैन-मेड फाइबर इंडस्ट्री ऑफ़ इंडिया बनाम अभिहित प्राधिकारी, सीईएसटीएटी)। ऐसा कोई परिवर्तन नहीं दर्शाया गया है।

ट.3 प्राधिकारी द्वारा की गई जांच

111. सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क(5), जिसे पाटनरोधी नियमावली के नियम 23(1ख) के साथ पढ़ा जाए, इस बात का भावी आकलन अपेक्षित करती है कि मौजूदा शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना है या नहीं। सनसेट समीक्षा में घरेलू उद्योग से यह दर्शाना आवश्यक नहीं है कि शुल्क लागू रहते समय वह वर्तमान में वास्तविक क्षति से पीड़ित है। इसी प्रकार, केवल यह तथ्य कि शुल्क लंबी अवधि से लागू है, न तो उसे स्वतः जारी रखने और न ही स्वतः समाप्त करने को उचित ठहराता है। अतः, उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी ने इस संबंध में किसी एक कारक को निर्णायक मानने के बजाय प्रासंगिक कारकों की संयुक्त रूप से जांच की है। इस प्रयोजन के लिए प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम्स के लेनदेन-वार आयात आंकड़ों, जिनमें वर्तमान जांच के अभिलेख पर उपलब्ध वर्तमान जांच अवधि के बाद की सूचना भी शामिल है, घरेलू उद्योग की सत्यापित सूचना, गुआंगडोंग फूवा के प्रश्नावली उत्तर, हितबद्ध पक्षों के अभ्यावेदन तथा पूर्ववर्ती जांचों के निष्कर्षों पर विचार किया है। आयात मात्रा और कीमतों, उपलब्ध क्षमता, तीसरे देशों को निर्यात तथा शुल्क की समाप्ति के घरेलू उद्योग पर संभावित प्रभाव से संबंधित प्रासंगिक साक्ष्य का नीचे विश्लेषण किया गया है।

संबद्ध देश से आयातों की मात्रा और पाटन का जारी रहना

112. लागू पाटनरोधी शुल्क के बावजूद वर्तमान जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुएं पाटित कीमतों पर भारत में प्रवेश करती रहीं। खंड II में निर्धारित अनुसार पाटन मार्जिन गुआंगडोंग फूवा हेवी इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड के लिए ***% और असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए ***% है। इससे वर्तमान जांच अवधि के दौरान पाटन का जारी रहना स्थापित होता है।
113. चीन जन. गण. से आयातों की मात्रा 2022-23 में 1,279 मीट्रिक टन थी, जो 2023-24 में बढ़कर 2,289 मीट्रिक टन हुई और इसके बाद 2024-25 में घटकर 1,418 मीट्रिक टन तथा वर्तमान जांच अवधि में 1,352 मीट्रिक टन हो गई। भारतीय मांग में इनकी हिस्सेदारी क्रमशः ***%, ***%, ***% और ***% थी। इस प्रकार पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बावजूद संबद्ध आयातों ने भारतीय बाजार में अपनी उपस्थिति बनाए रखी है।

वर्तमान जांच अवधि के बाद के घटनाक्रम

114. प्राधिकारी ने इस संबंध में अक्टूबर 2025 से जनवरी 2026 तक की चार माह की जांच अवधि के बाद की अवधि के लिए डीजी सिस्टम्स के आयात आंकड़ों की जांच की है। चीन जन. गण. से संबद्ध आयातों को वार्षिक आधार पर गणना करने पर वे *** मीट्रिक टन बनते हैं, जो वर्तमान जांच अवधि में दर्ज *** मीट्रिक टन से मामूली रूप से अधिक हैं। वर्तमान जांच अवधि के बाद की अवधि में संबद्ध आयातों का पहुंच मूल्य वर्तमान जांच अवधि के लगभग ₹1,45,115 प्रति मीट्रिक टन के पहुंच मूल्य के व्यापक रूप से तुलनीय बना रहा, जिससे आयात कीमतों में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि न होना दर्शाता है। इस प्रकार, मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के बावजूद आयात तुलनीय वार्षिकीकृत दर पर और व्यापक रूप से अपरिवर्तित कीमतों पर जारी रहे। यद्यपि चार माह के आयातों का वार्षिकीकरण केवल संकेतात्मक है और पूरे वर्ष के वास्तविक आयातों का प्रतिनिधित्व नहीं करता, फिर भी निरंतर आयात मात्रा और कीमत स्तर, वर्तमान जांच

अवधि के दौरान स्थापित पाटन तथा चीनी उत्पादकों की उपलब्ध निर्यात क्षमता के साथ पढ़े जाने पर, इस प्रबल संभावना को पुष्ट करते हैं कि शुल्क समाप्त होने पर पाटन जारी रहेगा और क्षति की पुनरावृत्ति होगी।

पाटन का इतिहास और पूर्ववर्ती समीक्षाएं

115. प्राधिकारी इस संबंध में यह नोट करता है कि मूल जांच के बाद 2016 में पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था और 2021 में पहली सनसेट समीक्षा के बाद इसे जारी रखा गया। 2021 के परिहार-रोधी निष्कर्षों के बाद शुल्क को सीकेडी/एसकेडी अवस्था में एक्सल पर भी विस्तारित किया गया था, हालांकि उन निष्कर्षों को व्यक्तिगत रूप से गुआंगडोंग फूवा से संबद्ध नहीं किया गया। यह इतिहास पाटित व्यापार की निरंतर प्रकृति और उसके प्रभावों को दूर करने के लिए उपायों की आवश्यकता को दर्शाता है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि मौजूदा शुल्क के बावजूद वर्तमान जांच अवधि में पाटन जारी रहा है, जबकि चीनी उत्पादकों के पास पर्याप्त अतिरिक्त क्षमता, निर्यात उन्मुखता और भारतीय बाजार तक पहुंच बनी हुई है। तीसरे देशों को उनकी तुलनात्मक रूप से कम निर्यात कीमतों तथा शुल्क समाप्त होने पर संभावित कीमत प्रभावों के साथ पढ़े जाने पर, ये परिस्थितियां मजबूत साक्ष्य प्रदान करती हैं कि मौजूदा शुल्क समाप्त होने पर पाटन के जारी रहने अथवा तीव्र होने और वास्तविक क्षति की पुनरावृत्ति की प्रबल संभावना है।

चीन जन. गण. के प्रमुख उत्पादकों की अप्रयुक्त उत्पादन और अधिशेष क्षमताएं

116. घरेलू उद्योग ने इस संबंध में चीन जन. गण. में विचाराधीन संबद्ध वस्तुओं के चार प्रमुख उत्पादकों की उत्पादन क्षमता, वास्तविक उत्पादन और अप्रयुक्त क्षमता से संबंधित निम्नलिखित सूचना उपलब्ध कराई है।

चीनी उत्पादक का नाम	स्थापित क्षमता (नग)	उत्पादन (नग)	अप्रयुक्त क्षमता (नग)
गुआंगडोंग फूवा हेवी इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड	***	***	***
शानडोंग जिनशेंग एक्सल मैनुफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड	***	***	***
शिजियाझुआंग आओतोंग मशीनरी मैनुफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड	***	***	***
गुआंगझोउ टीएनडी एक्सल कंपनी लिमिटेड	***	***	***
कुल	***	***	***

117. प्राधिकारी इस संबंध में यह नोट करता है कि घरेलू उद्योग के अनुमानों के अनुसार चार प्रमुख चीनी उत्पादकों की संयुक्त स्थापित क्षमता *** एक्सल है, जबकि उत्पादन *** एक्सल है, जिससे *** एक्सल (लगभग ***) की पर्याप्त अप्रयुक्त क्षमता शेष रहती है। प्रति एक्सल 350 किलोग्राम के संकेतात्मक वजन को ध्यान में रखते हुए संयुक्त स्थापित क्षमता और अप्रयुक्त क्षमता क्रमशः लगभग *** मीट्रिक टन और *** मीट्रिक टन के बराबर हैं, जो वर्तमान जांच अवधि के दौरान लगभग *** मीट्रिक टन की कुल भारतीय मांग का क्रमशः *** गुना और *** गुना है। इस प्रकार उपलब्ध अधिशेष क्षमता अकेले ही संपूर्ण भारतीय मांग से काफी अधिक है। गुआंगडोंग फूवा का प्रश्नावली उत्तर भी पर्याप्त अतिरिक्त क्षमता की पुष्टि करता है। पर्याप्त उपलब्ध क्षमता, चीनी उत्पादकों के निर्यात-उन्मुख परिचालनों, भारत में उनकी स्थापित उपस्थिति और गुआंगडोंग फूवा द्वारा रिपोर्ट की गई तीसरे देशों को तुलनात्मक रूप से कम निर्यात कीमतों के साथ मिलकर, भारत को निर्यात बढ़ाने की क्षमता और वाणिज्यिक प्रोत्साहन दोनों को दर्शाती है। अतः, उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी मानता है कि मौजूदा शुल्क समाप्त होने पर इन क्षमताओं का आंशिक उपयोग अथवा मोड़ भी पाटित आयातों में महत्वपूर्ण वृद्धि का कारण बन सकता है, जिससे घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति की पुनरावृत्ति की प्रबल संभावना स्थापित होती है।

चीनी उत्पादकों की उपलब्ध क्षमता और निर्यात उन्मुखता

118. एकमात्र सहयोगी चीनी उत्पादक गुआंगडोंग फूवा ने अपनी स्थापित क्षमता, उत्पादन और निर्यातों के संबंध में निम्नलिखित सूचना उपलब्ध कराई है।

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2022	2023	2024	जांच अवधि
1	स्थापित क्षमता	नग	***	***	***	***
2	कुल उत्पादन	नग	***	***	***	***
3	क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
4	अप्रयुक्त क्षमता	नग	***	***	***	***
5	भारत को पीयूसी का निर्यात	नग	***	***	***	***
6	अन्य देशों को पीयूसी का निर्यात	नग	***	***	***	***
7	अन्य देशों को कीमत, भारत को कीमत के % के रूप में	%	***	***	***	***

119. इस संबंध में यह नोट किया गया है कि:

- गुआंगडोंग फूवा ने उच्च क्षमता उपयोग पर परिचालन किया; तथापि, वर्तमान जांच अवधि के दौरान उसकी *** नग की अप्रयुक्त क्षमता संपूर्ण भारतीय मांग से अधिक और भारत को उसके निर्यातों से कई गुना थी, जो आपूर्ति बढ़ाने की पर्याप्त क्षमता दर्शाती है।
- तीसरे देशों को उसके निर्यात भारत को निर्यातों की तुलना में काफी अधिक बने रहे और संबंधित क्षति अवधि के दौरान उनमें पर्याप्त गिरावट आई, जो शुल्क समाप्त होने पर निर्यात मात्राओं को भारत की ओर मोड़ने की गुंजाइश दर्शाती है।
- तीसरे देशों को गुआंगडोंग फूवा की निर्यात कीमतें लगातार भारत को उसकी कीमतों से कम थीं और 2022, 2023, 2024 तथा वर्तमान जांच अवधि के दौरान क्रमशः भारत की कीमत का **%, **%, **% और **% थीं। कीमतों का यह स्वरूप कम कीमत वाले निर्यातों को भारत की ओर पुनर्निर्देशित करने के मजबूत वाणिज्यिक प्रोत्साहन को दर्शाता है।
- गुआंगडोंग फूवा एकमात्र सहयोगी चीनी उत्पादक है। घरेलू उद्योग ने इस संबंध में तीन अन्य चीनी उत्पादकों की पर्याप्त क्षमताओं के संबंध में ऐसी सूचना भी वर्तमान जांच के अभिलेख पर रखी है जिसका खंडन नहीं किया गया, जिससे यह संकेत मिलता है कि चीन जन. गण. में महत्वपूर्ण अतिरिक्त आपूर्ति क्षमता मौजूद है।
- प्राधिकारी मानता है कि पर्याप्त अतिरिक्त क्षमता, उच्च निर्यात उन्मुखता, तीसरे देशों में कम कीमतें और भारतीय बाजार तक स्थापित पहुंच को संचयी रूप से देखने पर शुल्क समाप्त होने पर पाटित आयातों में वृद्धि की प्रबल संभावना प्रदर्शित होती है, जिसके परिणामस्वरूप घरेलू कीमतों पर नीचे की ओर दबाव और घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति की पुनरावृत्ति होगी।

तीसरे देशों को निर्यात और भारतीय बाजार का आकर्षण

120. गुआंगडोंग फूवा द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना उसके भारत को निर्यात और तीसरे देशों के बाजारों को निर्यात के बीच लगातार और महत्वपूर्ण कीमत अंतर दर्शाती है। रिपोर्ट की गई प्रत्येक अवधि में तीसरे देशों को औसत निर्यात कीमत भारत को संबंधित निर्यात कीमत से पर्याप्त रूप से कम थी। 2022, 2023, 2024 और वर्तमान जांच अवधि के दौरान तीसरे देशों को निर्यात कीमतें भारत को निर्यातों पर प्राप्त कीमतों का क्रमशः लगभग **%, **%, **% और **% थीं। यह लगातार कीमत अंतर, गुआंगडोंग फूवा की पर्याप्त निर्यात मात्राओं और भारतीय बाजार में स्थापित उपस्थिति के साथ पढ़े जाने पर, दर्शाता है कि महत्वपूर्ण मात्राएं पहले से ही अन्य बाजारों में भारत से वसूली गई कीमतों से काफी कम कीमतों पर बेची जा रही हैं। मौजूदा पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने की स्थिति में भारतीय बाजार में वर्तमान में कार्यरत अतिरिक्त कीमत संबंधी प्रतिबंध समाप्त हो जाएगा, जिससे भारत ऐसे कम कीमत वाले निर्यातों

के लिए काफी अधिक आकर्षक बन जाएगा। अतः, उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, साक्ष्य शुल्क समाप्त होने पर तीसरे देशों के बाजारों से भारत की ओर निर्यातों के मोड़ अथवा पुनर्निर्देशन के मजबूत वाणिज्यिक प्रोत्साहन को स्थापित करता है।

121. प्राधिकारी आगे नोट करता है कि पाटनरोधी शुल्क के बावजूद चीनी उत्पादकों ने भारतीय बाजार तक अपनी पहुंच बनाए रखी है। यह स्थापित बाजार पहुंच, पर्याप्त उपलब्ध उत्पादन क्षमता, उच्च निर्यात उन्मुखता और तीसरे देशों के निर्यात बाजारों में प्रचलित काफी कम कीमतों के साथ मिलकर, संबद्ध देश के उत्पादकों की भारत को निर्यात बढ़ाने की क्षमता और आर्थिक प्रोत्साहन दोनों को प्रदर्शित करती है। उपलब्ध क्षमता का महत्व केवल उसके निरपेक्ष आकार में नहीं है, बल्कि इस तथ्य में भी है कि उपलब्ध निर्यात योग्य अधिशेष का सीमित मोड़ भी भारतीय मांग की तुलना में महत्वपूर्ण होगा। तदनुसार, उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, क्षमता, निर्यात उन्मुखता, तीसरे देशों की कीमतों तथा मौजूदा व्यापार प्रवाह से संबंधित संयुक्त साक्ष्य दृढ़तापूर्वक संकेत देते हैं कि उपाय की समाप्ति से भारत को पाटित और कीमत-ह्रासकारी स्तरों पर निर्यात बढ़ने की संभावना है।

संभावित आयात कीमतें और घरेलू उद्योग पर कीमत प्रभाव

122. शुल्क समाप्त होने के संभावित कीमत प्रभाव की जांच शुल्क लागू रहने की स्थिति में प्रचलित कीमत स्थिति की तुलना उस स्थिति से करके की गई है जो शुल्क के अभाव में होती। वर्तमान जांच अवधि के दौरान पाटनरोधी शुल्क को छोड़कर संबद्ध आयातों का पहुंच मूल्य लगभग ₹1,45,115 प्रति मीट्रिक टन था, जबकि घरेलू उद्योग की शुद्ध बिक्री प्राप्ति लगभग ₹*** प्रति मीट्रिक टन और बिक्री लागत लगभग ₹*** प्रति मीट्रिक टन थी। इस प्रकार पाटनरोधी शुल्क के अभाव में संबद्ध आयात घरेलू बिक्री कीमत में लगभग ₹*** प्रति मीट्रिक टन की कटौती करेंगे और घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से नीचे भी प्रवेश करेंगे। अतः, उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मौजूदा पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के पूर्ण कीमत प्रभाव से महत्वपूर्ण रूप से संरक्षण दे रहा है। इसके अतिरिक्त, तीसरे देशों को गुआंगडोंग फूवा के निर्यात लगातार भारत को उसके निर्यातों से कम कीमतों पर किए गए हैं। यदि शुल्क समाप्त होने के बाद ऐसे कम कीमत वाले निर्यात भारत की ओर पुनर्निर्देशित होते हैं तो कीमत में कटौती और कीमत दबाव की मात्रा और बढ़ जाएगी। इसके अलावा, असहयोगी उत्पादकों से आयातों का पहुंच मूल्य क्षतिरहित कीमत से नीचे पाया गया है। अतः, उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, कीमत संबंधी साक्ष्य स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करते हैं कि शुल्क समाप्त होने पर घरेलू उद्योग के महत्वपूर्ण कीमत कटौती, कीमत दमन और कीमत ह्रास के संपर्क में आने की संभावना है।

घरेलू उद्योग की स्थिति और क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना

123. प्राधिकारी इस संबंध में यह नोट करता है कि जिस अवधि में पाटनरोधी शुल्क लागू रहा, उस दौरान घरेलू उद्योग लाभप्रद बना रहा और उसने सकारात्मक नकद लाभ तथा प्रतिफल दर्ज किए। तथापि, ऐसे सुधार को मौजूदा उपाय के उपचारात्मक प्रभाव से अलग करके नहीं देखा जा सकता। सनसेट समीक्षा में प्रासंगिक विचार यह है कि उपाय हटाए जाने के बाद ऐसा निष्पादन कायम रहने की संभावना है या नहीं। वर्तमान मामले में घरेलू उद्योग के पास अभी भी पर्याप्त अप्रयुक्त क्षमता है और वह कम कीमत वाले आयातों के प्रति संवेदनशील बना हुआ है। पाटनरोधी शुल्क के बिना संबद्ध आयातों का पहुंच मूल्य न केवल घरेलू बिक्री कीमत से नीचे है बल्कि घरेलू बिक्री लागत से भी नीचे है। घरेलू उद्योग की वर्तमान जांच अवधि की बिक्री कीमत और शुल्क के बिना आयातों के पहुंच मूल्य के बीच का अंतर भी घरेलू उद्योग द्वारा प्रति इकाई अर्जित कर-पूर्व लाभ से अधिक है। परिणामस्वरूप, पाटित आयातों में तीव्रता के कारण आवश्यक कोई भी महत्वपूर्ण कीमत कमी घरेलू उद्योग की वर्तमान लाभप्रदता को काफी हद तक कम कर देगी और उसके समाप्त होने की संभावना है। वैकल्पिक रूप से, यदि घरेलू उद्योग अपनी कीमतें बनाए रखने का प्रयास करता है तो उसे बिक्री मात्रा और बाजार हिस्सेदारी में कमी का सामना करना पड़ सकता है, जिससे उत्पादन और क्षमता उपयोग कम होगा। इस प्रकार घरेलू उद्योग के निष्पादन में वर्तमान सुधार मौजूदा उपचारात्मक उपाय के प्रभाव को दर्शाता है और शुल्क समाप्त होने पर क्षति की पुनरावृत्ति के प्रति उसकी संवेदनशीलता को कम नहीं करता।

पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना का समग्र आकलन

124. प्राधिकारी ने इस संबंध में संभावना संबंधी कारकों की संचयी रूप से जांच की है और नोट करता है कि मौजूदा शुल्क के बावजूद पाटन जारी रहा है; चीनी उत्पादकों के पास पर्याप्त उत्पादन और अप्रयुक्त क्षमताएं, महत्वपूर्ण निर्यात उन्मुखता तथा भारतीय बाजार तक स्थापित पहुंच बनी हुई है; गुआंगडोंग फूवा ने तीसरे देशों को भारत की तुलना में लगातार कम कीमतों पर पर्याप्त मात्रा का निर्यात किया है; और शुल्क के अभाव में संबद्ध आयातों का पहुंच मूल्य घरेलू

उद्योग की बिक्री कीमत में महत्वपूर्ण कटौती करेगा तथा उसकी बिक्री लागत से नीचे बना रहेगा। ये सभी कारक मिलकर शुल्क समाप्त होने पर चीनी उत्पादकों की भारत को पाटित निर्यात बढ़ाने की क्षमता और प्रोत्साहन दोनों को प्रदर्शित करते हैं।

125. प्राधिकारी आगे नोट करता है कि पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति चीनी निर्यातों की प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित करने वाले प्रमुख व्यापार-उपचारात्मक प्रतिबंध को हटा देगी और भारतीय बाजार को काफी अधिक आकर्षक बना देगी। उपलब्ध निर्यात योग्य क्षमता के एक हिस्से का मोड़ भी, विशेष रूप से तीसरे देशों के बाजारों में देखे गए कम कीमत स्तरों पर, घरेलू उद्योग पर पर्याप्त मात्रा और कीमत दबाव डालने के लिए पर्याप्त होगा।
126. तदनुसार, उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी मानता है कि मौजूदा पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने दिया जाए तो पाटन के जारी रहने अथवा तीव्र होने और क्षति की पुनरावृत्ति की प्रबल संभावना है। घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और बिक्री लागत से नीचे की कीमतों पर बढ़े हुए पाटित आयात घरेलू कीमतों को कम करने, लाभप्रदता को क्षीण करने, बिक्री और बाजार हिस्सेदारी घटाने तथा उत्पादन और क्षमता उपयोग को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने की संभावना रखते हैं। घरेलू उद्योग का वर्तमान सुधरा हुआ निष्पादन मौजूदा उपाय के उपचारात्मक प्रभाव को दर्शाता है और शुल्क समाप्त होने पर वास्तविक क्षति की पुनरावृत्ति के प्रति उसकी संवेदनशीलता को नकारता नहीं है।

ठ भारतीय उद्योग का हित और अन्य मुद्दे

ठ.1 अन्य हितबद्ध पक्षों के विचार

127. भारतीय उद्योग के हित के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षों ने इस संबंध में निम्नलिखित अभ्यावेदन किए हैं:
- क **जनहित और प्रयोक्ताओं पर प्रभाव:** शुल्क को जारी रखना जनहित में नहीं होगा। विचाराधीन संबद्ध वस्तुओं पर पहले से मूल सीमा शुल्क लगता है। शुल्क से प्रयोक्ताओं और डाउनस्ट्रीम उद्योगों के लिए एक्सल की लागत बढ़ती है तथा प्रतिस्पर्धी वैकल्पिक स्रोतों की उपलब्धता सीमित होती है।
- ख **संरक्षण की अवधि:** पाटनरोधी शुल्क अनिश्चितकालीन संरक्षण प्रदान करने के लिए नहीं है। घरेलू उद्योग ने इस संबंध में काफी अवधि तक इस उपाय का लाभ उठाया है और उसके निष्पादन में सुधरा हुआ है।
- ग **उपलब्धता और प्रतिस्पर्धा:** ट्रेलर विनिर्माताओं द्वारा मांगे जाने वाले सीमलेस एक्सल भारत में उत्पादित नहीं होते, भारतीय उत्पादक कभी-कभी खरीदारों की आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहते हैं और आवेदक बाजार पर प्रभुत्व स्थापित करने की स्थिति में है।

ठ.2 घरेलू उद्योग के विचार

128. भारतीय उद्योग के हित के संबंध में घरेलू उद्योग ने इस संबंध में निम्नलिखित अभ्यावेदन किए हैं:
- क **जनहित और प्रयोक्ताओं पर प्रभाव:** ट्रेलर की कीमत पर शुल्क का प्रभाव नगण्य है। शुल्क आयातों को प्रतिबंधित नहीं करता; यह केवल पाटन से उत्पन्न अनुचित कीमत लाभ को निष्प्रभावी करता है। मूल सीमा शुल्क पाटन से स्वतंत्र रूप से देय है और उसका उद्देश्य अलग है।
- ख **संरक्षण की अवधि:** अधिनियम शुल्क को तब तक जारी रखने की अनुमति देता है जब तक संभावना की वैधानिक कसौटी पूरी होती है।
- ग **उपलब्धता और प्रतिस्पर्धा:** भारतीय उत्पादकों के पास संपूर्ण भारतीय मांग को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता है और मांग-आपूर्ति का कोई अंतर नहीं है।

ठ.3 प्राधिकारी द्वारा की गई जांच

129. प्राधिकारी इस संबंध में यह नोट करता है कि सामान्यतः पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य पाटन की अनुचित व्यापार पद्धति से घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है, ताकि भारतीय बाजार में खुली और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थिति पुनः स्थापित की जा सके, जो देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने अथवा जारी रखने से संबद्ध देश से आयात किसी प्रकार प्रतिबंधित नहीं होते। शुल्क की पूरी अवधि के दौरान विचाराधीन संबद्ध वस्तुओं का आयात जारी रहा है और उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं हुई है।
130. प्राधिकारी ने इस संबंध में जांच शुरुआत अधिसूचना जारी करके आयातकों, प्रयोक्ताओं और उपभोक्ताओं सहित सभी हितबद्ध पक्षों से विचार आमंत्रित किए तथा प्रयोक्ताओं के लिए प्रश्नावली निर्धारित की ताकि वे अपने परिचालनों पर

शुल्क के संभावित प्रभाव की सूचना उपलब्ध करा सकें। विचाराधीन संबद्ध वस्तुओं के किसी प्रयोक्ता और किसी प्रयोक्ता संघ ने उत्तर दायर नहीं किया है अथवा शुल्क को जारी रखने का विरोध नहीं किया है।

131. प्राधिकारी एचडीटीपीएल के इस अभ्यावेदन को नोट करता है कि पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने से आयात लागत बढ़ सकती है, स्रोत चयन के विकल्प सीमित हो सकते हैं और डाउनस्ट्रीम प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित हो सकती है। तथापि, एचडीटीपीएल ने अपने उत्पादन लागत, लाभप्रदता अथवा डाउनस्ट्रीम उत्पाद कीमतों पर शुल्क के प्रभाव का कोई परिमाणित साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है; तदनुसार, उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यह अभ्यावेदन मात्रात्मक दृष्टि से अप्रमाणित बना हुआ है।
132. घरेलू उद्योग ने इस संबंध में तीन विन्यासों वाले ट्रेलरों की कीमत पर शुल्क के प्रभाव का अनुमान उपलब्ध कराया है। प्राधिकारी ने इस संबंध में वर्तमान में लागू शुल्क दरों पर इसकी पुनर्गणना की है:

विवरण	इकाई	साइड वॉल ट्रेलर (3 एक्सल)	टिप ट्रेलर (2 एक्सल)	फ्लैट बेड ट्रेलर (3 एक्सल)
ट्रेलर की कीमत	₹ लाख	55.00	56.25	49.00
0.16 अमेरिकी डॉलर प्रति कि.ग्रा. शुल्क का प्रभाव	%	0.27	0.17	0.30
0.31 अमेरिकी डॉलर प्रति कि.ग्रा. शुल्क का प्रभाव	%	0.51	0.33	0.58

133. इस प्रकार डाउनस्ट्रीम उत्पाद पर शुल्क का भार नगण्य है। किसी प्रयोक्ता ने इन अनुमानों का विवाद नहीं किया है और किसी हितबद्ध पक्ष ने इसके विपरीत कोई परिमाण उपलब्ध नहीं कराया है।
134. भारत में समान वस्तु के छह उत्पादक हैं, जो मिलकर भारतीय मांग की प्रमुख हिस्सेदारी की आपूर्ति करते हैं। संबंधित क्षति अवधि के दौरान अन्य भारतीय उत्पादकों ने अपनी बिक्री और बाजार हिस्सेदारी बढ़ाई है, जिससे यह दर्शाता है कि घरेलू बाजार में सक्रिय प्रतिस्पर्धा है। संबंधित क्षति अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की विचाराधीन संबद्ध वस्तुओं की किसी कमी का कोई साक्ष्य नहीं है।
135. मूल सीमा शुल्क के संबंध में, यह सभी आयातों पर देय है, चाहे वे पाटित हों अथवा नहीं, और कीमत तुलना तथा क्षति मार्जिन के प्रयोजन से पहुंच मूल्य में इसे ध्यान में रखा गया है। यह पाटन का समाधान नहीं करता।

ड प्रकटीकरण-पश्चात टिप्पणियाँ

136. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों तथा घरेलू उद्योग द्वारा दाखिल प्रकटीकरण-पश्चात टिप्पणियों की जाँच की है। उनके प्रमुख प्रस्तुतीकरण और उन पर प्राधिकारी के निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं:

ड.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियाँ

- घरेलू उद्योग एवं उसकी पात्रता:** एचडीटीपीएल ने दावा किया है कि आवेदक, सैफ-हॉलैंड समूह तथा साझा प्रबंधन के माध्यम से चीन के उत्पादकों से संबद्ध है। अपने इस दावे के समर्थन में उसने कंपनियों की रिपोर्टों, स्वामित्व संबंधी अभिलेखों, किंगदाओ वाईटीई स्पेशल प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड तथा सैफ-हॉलैंड (यांगझोउ) व्हीकल पार्ट्स कंपनी लिमिटेड से संबंधित लेन-देन और व्यापारिक अभिलेखों का उल्लेख किया है। एचडीटीपीएल ने अनुरोध किया है कि नियम 2(ख) के अंतर्गत आवेदक को घरेलू उद्योग से बाहर रखा जाए, इन लेन-देन का अतिरिक्त विवरण प्रकट किया जाए तथा व्हील लोडर्स मामले के निष्कर्षों पर विचार किया जाए।
- लदान-पत्र एवं व्यापारिक अभिलेख:** एचडीटीपीएल ने वर्ष 2019 के एक नौवहन दस्तावेज़ का उल्लेख किया है, जो आवेदक और किंगदाओ वाईटीई से संबंधित है। उसका दावा है कि यह दस्तावेज़ दोनों

- कंपनियों के बीच व्यावसायिक लेन-देन को दर्शाता है, जिसकी प्रकटीकरण विवरण में समुचित जांच नहीं की गई थी।
- iii. **क्षति एवं संभावना:** एचडीटीपीएल ने प्रस्तुत किया है कि संबद्ध देशों से आयातों में गिरावट आई है और भारतीय मांग में उनका हिस्सा बहुत कम है। उसने आगे तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग के उत्पादन, बिक्री, लाभ और प्रतिफल से वर्तमान में किसी वास्तविक क्षति का संकेत नहीं मिलता। नियम 5(3), रक्षोपाय संबंधी प्रावधानों तथा सोडा ऐश समीक्षा का उल्लेख करते हुए एचडीटीपीएल ने तर्क दिया है कि केवल इस आधार पर पाटनरोधी शुल्क जारी नहीं रखा जाना चाहिए कि भविष्य में आयात बढ़ सकते हैं।
- iv. **मूल्य कटौती:** एचडीटीपीएल ने प्रकटीकरण विवरण में आयात कीमतों की घरेलू कीमतों से की गई तुलना पर प्रश्न उठाया है। उसने आवेदक तथा अन्य भारतीय उत्पादकों के कुछ चयनित बिक्री बीजकों का उल्लेख किया है और एक्सल के अनुमानित वजन के आधार पर कीमतों की गणना की है। इन गणनाओं के आधार पर एचडीटीपीएल ने दावा किया है कि आयातित वस्तुएं घरेलू वस्तुओं की तुलना में कम कीमतों पर नहीं बेची जा रही हैं, अर्थात् मूल्य कटौती ऋणात्मक है। उसने यह अनुरोध भी किया है कि न्यूनतर शुल्क सिद्धांत का पालन किया जाए, अर्थात् शुल्क पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन में से जो कम हो, उससे अधिक न हो, तथा मौजूदा शुल्क में वृद्धि न की जाए।
- v. **असहयोगी निर्यातक:** एचडीटीपीएल ने कहा है कि चीन के दो निर्यातकों, अर्थात् शिजियाझुआंग आओतोंग मशीनरी मैनुफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड तथा शानदोंग दारोंग मशीनरी कंपनी लिमिटेड ने अपने प्रश्नावली उत्तर प्रस्तुत नहीं किए। एचडीटीपीएल ने नियम 22 के अंतर्गत इन निर्यातकों के पृथक मूल्यांकन तथा प्रतिभूति के आधार पर उनके आयातों के अनंतिम निर्धारण का अनुरोध किया है। उसने यह भी अनुरोध किया है कि नियम 15 के अंतर्गत मूल्य संबंधी वचनबद्धताओं के माध्यम से इन निर्यातकों को ऐसी सहमत कीमतों पर वस्तुओं की आपूर्ति करने की अनुमति दी जाए जिनसे घरेलू उद्योग को क्षति न हो।
- vi. **क्षति संबंधी जानकारी एवं कारणात्मक संबंध:** एचडीटीपीएल ने प्रश्न उठाया है कि आवेदक द्वारा दर्शाया गया लाभ केवल जांचाधीन उत्पाद से संबंधित है या उसमें उसकी अन्य व्यावसायिक गतिविधियों से अर्जित लाभ भी शामिल है। उसने आवेदक की वार्षिक रिपोर्टों, उत्पादन क्षमता में वृद्धि तथा उत्पादन और क्षमता उपयोग के लिए दर्शाए गए समान सूचकांक आंकड़ों का उल्लेख किया है। एचडीटीपीएल ने इस दावे का भी विरोध किया है कि आयातों का घरेलू कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उसने अनुरोध किया है कि मांग में परिवर्तन और अन्य भारतीय उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा की भी घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संभावित कारणों के रूप में जांच की जाए।
- vii. **मांगी गई राहत:** एचडीटीपीएल ने प्राधिकारी से अनुरोध किया है कि वह अपने निष्कर्षों पर पुनर्विचार करे, मौजूदा पाटनरोधी शुल्क वापस ले अथवा उसमें कमी करे, संबद्ध पक्षों के बीच लेन-देन का अतिरिक्त विवरण प्रकट करे तथा चीन के उक्त दो निर्यातकों के संबंध में मांगी गई राहत पर विचार करे।

ड.2 घरेलू उद्योग की टिप्पणियाँ

- i. **समीक्षा में लागू परीक्षण:** घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि धारा 9क(5) और नियम 23(1ख) के अंतर्गत प्राधिकारी को यह जांच करनी आवश्यक है कि मौजूदा शुल्क हटाए जाने की स्थिति में पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उनकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है या नहीं। उसका तर्क है कि शुल्क लागू रहने की अवधि में घरेलू उद्योग के निष्पादन में सुधार होने मात्र से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि शुल्क हटा दिया जाना चाहिए। अपने तर्क के समर्थन में घरेलू उद्योग ने ऋषिरूप पॉलिमर्स तथा

- इंडियन मेटल एंड फेरो अलॉयज के न्यायिक निर्णयों और सूर्यास्त समीक्षाओं से संबंधित विश्व व्यापार संगठन की प्रासंगिक रिपोर्टों का उल्लेख किया है।
- ii. **उत्पाद का दायरा:** घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि गैर-चालित ट्रेलर एक्सलों को शामिल करने वाला मौजूदा उत्पाद-दायरा अपरिवर्तित रखा जाए, जिसमें परिहार-रोधी उपाय के अंतर्गत शामिल पूर्णतः अथवा अर्ध-वियोजित (सीकेडी/एसकेडी) अवस्था के एक्सल भी सम्मिलित हैं। उसने केवल भिन्न विनिर्माण प्रक्रिया के आधार पर सीमलेस एक्सलों को उत्पाद के दायरे से बाहर किए जाने का विरोध किया है। घरेलू उद्योग ने यह भी अनुरोध किया है कि अलग-अलग पुर्जों के संबंध में की गई टिप्पणियों से न तो मौजूदा उत्पाद-दायरा सीमित हो और न ही किसी विशिष्ट आयात खेप का सीमा-शुल्क प्राधिकारियों द्वारा किया जाने वाला निर्धारण प्रभावित हो।
- iii. **घरेलू उद्योग की पात्रता और प्रक्रिया:** घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि किसी विदेशी समूह का अंग होने मात्र से कोई उत्पादक नियम 2(ख) के अंतर्गत स्वतः अपात्र नहीं हो जाता। डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों का उल्लेख करते हुए उसने इस बात से इनकार किया है कि आवेदक ने जांचाधीन उत्पाद का आयात किया था अथवा उससे कथित रूप से संबद्ध चीनी कंपनी ने इस उत्पाद का भारत को निर्यात किया था। उसने आधिकारिक आयात आंकड़ों तथा जांच अवधि (पीओआई) के पश्चात की प्रासंगिक सूचना के उपयोग का समर्थन किया है। साथ ही, उसने पूर्व की कार्यवाहियों को समाप्त करने या पुनः खोलने के अनुरोधों का विरोध किया है।
- iv. **सामान्य मूल्य और पाटन:** घरेलू उद्योग ने अनुबंध-1 के पैरा 7 के अंतर्गत सामान्य मूल्य की गणना तथा आवश्यक समायोजनों के बाद सहयोगी निर्यातक के सत्यापित निर्यात मूल्य के उपयोग का समर्थन किया है। सहयोग न करने वाले निर्यातकों के लिए उसने नियम 6(8) के अंतर्गत उपलब्ध तथ्यों के उपयोग का समर्थन किया है। उसने अन्य उत्पादकों के बीजकों तथा अलग-अलग अवधियों पर आधारित एचडीटीपीएल की मूल्य-तुलना से भी असहमति व्यक्त की है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी द्वारा प्रकटीकरण में दर्शाए गए सकारात्मक पाटन मार्जिनों का भी उल्लेख किया है।
- v. **क्षति और मूल्य संबंधी प्रभाव:** घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि पाटनरोधी शुल्क हटाए जाने पर आयातित वस्तुएं घरेलू कीमतों से कम और यहां तक कि उसकी बिक्री लागत से भी कम कीमतों पर बेची जाएंगी। सकारात्मक क्षति मार्जिनों का उल्लेख करते हुए उसने तर्क दिया है कि इस प्रकार के कम कीमत वाले आयातों से उसका लाभ घटेगा अथवा उसकी बिक्री में कमी आएगी।
- vi. **संभावना का आकलन और अन्य कारकों से हुई क्षति का पृथक्करण:** घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उनकी पुनरावृत्ति की संभावना है, क्योंकि आयात जारी हैं, चीनी उत्पादकों के पास पर्याप्त अप्रयुक्त उत्पादन क्षमता है, निर्यातक विदेशी बाजारों पर निर्भर हैं और अन्य देशों को निर्यात की कीमतें कम हैं। उसने जांच अवधि के पश्चात किए गए आयातों का भी उल्लेख किया है। इसके अतिरिक्त, उसने अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति का आकलन करते समय मांग में परिवर्तन और अन्य भारतीय उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा के प्रभावों की अलग से जांच की जाए।
- vii. **साझेदारी का आवंटन:** घरेलू उद्योग ने कुछ साझा कारखाना व्ययों का आवंटन उसके द्वारा अपनाई गई मूल लागत-आधारित पद्धति के बजाय बिक्री मूल्य के आधार पर किए जाने पर आपत्ति जताई है। उसने अनुरोध किया है कि इन व्ययों का आवंटन उनकी प्रकृति और समर्थनकारी अभिलेखों के आधार पर उपयुक्त तथा सुसंगत पद्धति से किया जाए।
- viii. **कार्यशील पूंजी:** घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि कार्यशील पूंजी की गणना प्राधिकारी द्वारा स्वीकार की गई लागतों के आधार पर की जाए। उसने यह भी अनुरोध किया है कि जहां सरकारी प्राधिकारियों के पास जमा की गई धनराशि व्यवसाय के सामान्य संचालन के लिए आवश्यक हो, वहां ऐसी जमाराशियों को कार्यशील पूंजी की गणना में शामिल किया जाए।

- ix. **सार्वजनिक हित और मांगी गई राहत:** घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि मौजूदा पाटनरोधी शुल्क का ट्रेलरों की कीमतों पर सीमित प्रभाव पड़ता है और इससे आयात बंद नहीं होते। उसने प्राधिकारी से अनुरोध किया है कि मौजूदा उत्पाद-दायरे को बनाए रखा जाए, घरेलू उद्योग के रूप में उसकी पात्रता की पुष्टि की जाए तथा पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उनकी पुनरावृत्ति की संभावना संबंधी निष्कर्षों को बरकरार रखा जाए। तदनुसार, उसने पाटनरोधी शुल्क को अगले पांच वर्षों के लिए जारी रखने का अनुरोध किया है।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जाँच

137. प्राधिकारी ने प्रकटीकरण विवरण जारी किए जाने के पश्चात इच्छुक पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत टिप्पणियों की जांच की है। उठाए गए मुद्दों पर सत्यापित सूचना तथा पूर्व में अभिलिखित निष्कर्षों के आलोक में विचार किया गया है। प्रमुख मुद्दों पर प्राधिकारी की जांच निम्नानुसार है।

i. घरेलू उद्योग तथा संबद्ध पक्षों से कथित आयात

प्राधिकारी नोट करता है कि समान स्वामित्व अथवा प्रबंधन के आधार पर कोई घरेलू उत्पादक नियम 2(ख) के अंतर्गत स्वतः अपात्र नहीं हो जाता। एचडीटीपीएल द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज कुछ कंपनियों के बीच संबंधों को दर्शाते हैं, किंतु उनसे यह स्थापित नहीं होता कि आवेदक ने चीन जनवादी गणराज्य से संबद्ध वस्तुओं का आयात किया था अथवा कथित संबद्ध चीनी कंपनी ने इन वस्तुओं का भारत को निर्यात किया था। प्रस्तुत पोत-लदान पत्र (बिल ऑफ लेडिंग) भारत से चीन भेजी गई एक खेप से संबंधित है, जबकि अन्य व्यापारिक अभिलेख विचाराधीन उत्पाद के आयात अथवा निर्यात को स्थापित नहीं करते। आधिकारिक आयात आंकड़े भी एचडीटीपीएल के दावों का समर्थन नहीं करते। इसके अतिरिक्त, व्हील लोडर्स मामले के तथ्य वर्तमान मामले से भिन्न हैं। तदनुसार, प्राधिकारी को नियम 2(ख) के अंतर्गत आवेदक को घरेलू उद्योग से बाहर रखने का कोई आधार नहीं मिलता।

ii. उत्पाद का दायरा तथा अलग से आयातित घटक

प्राधिकारी नोट करता है कि उत्पाद के वर्तमान दायरे में ट्रेलरों के लिए गैर-चालित एक्सल शामिल हैं, जिनमें सीकेडी/एसकेडी अवस्था तथा असंयोजित, अधूरी तरह निर्मित अथवा अपूर्ण अवस्था में एक्सल भी सम्मिलित हैं। सीमलेस और वेल्डेड एक्सल भी इस दायरे में आते हैं, बशर्ते उनकी मूलभूत विशेषताएं, कार्य और उपयोग तुलनीय हों। तथापि, बीम अथवा ट्यूब जैसे किसी एकल घटक का आयात होने मात्र से यह स्वतः नहीं माना जा सकता कि वह सीकेडी/एसकेडी अवस्था में एक्सल है। किसी विशिष्ट आयात पर पाटनरोधी शुल्क लागू होता है या नहीं, इसका निर्णय आयातित वस्तुओं की प्रकृति तथा लागू अधिसूचना के आधार पर सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा किया जाएगा। तदनुसार, उत्पाद के वर्तमान दायरे में कोई परिवर्तन अपेक्षित नहीं है।

iii. सूर्यास्त समीक्षा पर लागू विधिक मानदंड

प्राधिकारी नोट करता है कि वर्तमान सूर्यास्त समीक्षा सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क(5) तथा नियम 23(1ख) द्वारा शासित है। इन प्रावधानों के अंतर्गत मुख्य प्रश्न यह है कि वर्तमान शुल्क की अवधि समाप्त होने पर पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उनकी पुनरावृत्ति की संभावना है या नहीं। अतः वर्तमान में क्षति का अभाव अथवा आयात में वृद्धि न होना, अपने आप में शुल्क वापस लेने का पर्याप्त आधार नहीं है। एचडीटीपीएल द्वारा उल्लिखित मूल जांचों तथा रक्षोपायों से संबंधित प्रावधान इस अपेक्षा को नहीं बदलते। प्राधिकारी नोट करता है कि सोडा ऐश सूर्यास्त समीक्षा का निर्णय भिन्न तथ्यों पर आधारित था। उस मामले में अधिकांश संबद्ध देशों के पाटन मार्जिन ऋणात्मक

अथवा नगण्य थे, भारत औसत क्षति मार्जिन ऋणात्मक थे तथा क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना के पर्याप्त साक्ष्य स्थापित नहीं हुए थे। इसके विपरीत, वर्तमान मामले में पाटन जारी रहा है, सकारात्मक क्षति मार्जिन निर्धारित किए गए हैं तथा अतिरिक्त उपलब्ध उत्पादन क्षमता, तीसरे देशों को निर्यात की कीमतों और संभावित मूल्य प्रभावों से संबंधित उपलब्ध साक्ष्य क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना का संकेत देते हैं। तदनुसार, सोडा ऐश मामले के निष्कर्ष वर्तमान समीक्षा में निकाले गए निष्कर्षों को प्रभावित नहीं करते।

iv. आयात की प्रवृत्तियाँ, क्षति संबंधी आंकड़े तथा अन्य कारकों के प्रभाव का पृथक्करण

प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम्स से प्राप्त आधिकारिक, लेन-देन-वार आयात आंकड़ों की जांच की है, जिनसे पता चलता है कि वर्तमान शुल्क लागू रहने के बावजूद चीन जनवादी गणराज्य से आयात जारी रहा। जांच अवधि (पीओआई) के पश्चात हुए आयातों पर भी विचार किया गया है, किंतु केवल हाल की प्रवृत्तियों के संकेतक के रूप में। उत्पादन और क्षमता उपयोग के समान सूचकांकों के संबंध में प्राधिकारी नोट करता है कि ऐसा स्थापित उत्पादन क्षमता अपरिवर्तित रहने के कारण हुआ है और यह किसी त्रुटि का संकेत नहीं है। इसके अतिरिक्त, क्षति का आकलन विचाराधीन उत्पाद से संबंधित आंकड़ों पर आधारित है। मांग में परिवर्तन तथा अन्य भारतीय उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा का भी अलग से परीक्षण किया गया है, ताकि इन कारकों से होने वाली किसी भी क्षति को पाटित आयातों के कारण हुई क्षति न माना जाए।

v. मूल्य कटौती तथा चयनित बीजक

प्राधिकारी ने तुलनीय आधार पर सत्यापित घरेलू बिक्री मूल्य की तुलना पाटनरोधी शुल्क को छोड़कर आयातों के पहुंच मूल्य से करके मूल्य कटौती का निर्धारण किया है। इस तुलना से सकारात्मक मूल्य कटौती परिलक्षित होती है, जो दर्शाती है कि आयातित वस्तुओं की कीमतें घरेलू बिक्री मूल्य से कम थीं। एचडीटीपीएल की गणना, जिसमें ऋणात्मक मूल्य कटौती दर्शाई गई है, चयनित बीजकों तथा एक्सल के अनुमानित भार पर आधारित है और जांच अवधि के लिए तुलनीय भारत औसत मूल्यों का आकलन प्रस्तुत नहीं करती। तदनुसार, प्राधिकारी को प्रकटीकरण विवरण में निर्धारित मूल्य कटौती में संशोधन करने का कोई पर्याप्त आधार नहीं मिलता।

vi. लाभप्रदता तथा क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना

प्राधिकारी नोट करता है कि पाटनरोधी शुल्क लागू रहने की अवधि में घरेलू उद्योग का निष्पादन सकारात्मक रहा है। तथापि, जांच अवधि के दौरान पाटन जारी रहा। उपलब्ध साक्ष्यों से चीन जनवादी गणराज्य में पर्याप्त अप्रयुक्त उत्पादन क्षमता, अन्य देशों को अपेक्षाकृत कम कीमतों पर निर्यात तथा भारत में चीनी निर्यातकों के लिए विद्यमान बाजार का भी पता चलता है। ये कारक संकेत देते हैं कि शुल्क समाप्त होने पर पाटित आयात बढ़ने की संभावना है। ऐसे आयात घरेलू कीमतों पर दबाव डाल सकते हैं और घरेलू उद्योग के निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। तदनुसार, प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि शुल्क की अवधि समाप्त होने से पाटन के जारी रहने तथा वास्तविक क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना है।

vii. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत तथा सहयोग

प्राधिकारी ने पूर्व में अभिलिखित निष्कर्षों में स्पष्ट की गई पद्धति के अनुसार अनुबंध-1 के पैरा 7 के अंतर्गत सामान्य मूल्य की गणना की है। सहयोग करने वाले उत्पादक की निर्यात कीमत आवश्यक समायोजन करने के पश्चात उसकी सत्यापित सूचना के आधार पर निर्धारित की गई है। सहयोग न करने वाले उत्पादकों के लिए प्राधिकारी ने नियम 6(8) के अंतर्गत उपलब्ध सूचना का उपयोग किया है। एचडीटीपीएल द्वारा प्रस्तुत बीजक अन्य उत्पादकों अथवा अलग-अलग अवधियों से संबंधित हैं और इन गणनाओं में परिवर्तन करने का उपयुक्त आधार उपलब्ध नहीं कराते। तदनुसार, पूर्व में प्रकट किए गए सकारात्मक पाटन मार्जिन यथावत रखे गए हैं।

viii. नियम 22 तथा नियम 15 के अंतर्गत अनुरोध

प्राधिकारी नोट करता है कि एचडीटीपीएल द्वारा उल्लिखित दो चीनी निर्यातकों ने वर्तमान समीक्षा में प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत नहीं किए। केवल यह दावा करना कि किसी निर्यातक ने जांच अवधि के दौरान निर्यात नहीं किया था, उसे नियम 22 के अंतर्गत नए निर्यातक की समीक्षा के लिए पात्र नहीं बनाता। इसके अतिरिक्त, गारंटी के विरुद्ध अस्थायी निर्धारण की अनुमति केवल नियम 22 के अंतर्गत पृथक समीक्षा में, निर्धारित शर्तों के अधीन तथा निर्दिष्ट प्राधिकारी की सिफारिश पर केंद्र सरकार की स्वीकृति से ही दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त, मूल्य वचनबद्धताओं से संबंधित नियम 15, नियम 23(3) के अंतर्गत वर्तमान सूर्यास्त समीक्षा पर लागू नहीं होता। किसी भी स्थिति में, किसी विशिष्ट निर्यातक द्वारा कोई वैध मूल्य वचनबद्धता प्रस्तुत नहीं की गई है और न ही उसका परीक्षण किया गया है। तदनुसार, एचडीटीपीएल द्वारा किए गए इन अनुरोधों को वर्तमान समीक्षा में स्वीकार नहीं किया जा सकता।

ix. क्षति मार्जिन तथा शुल्क जारी रखना

प्राधिकारी ने सत्यापित सूचना तथा अनुबंध-III में निर्धारित पद्धति के आधार पर गैर-क्षतिकारक मूल्य और क्षति मार्जिन निर्धारित किए हैं। इन निष्कर्षों पर भविष्य में पाटन और क्षति की संभावना से संबंधित साक्ष्यों के साथ विचार किया गया है। सूर्यास्त समीक्षा में प्राधिकारी को केवल उस अवधि के क्षति मार्जिन पर निर्भर रहने के बजाय, जिसमें शुल्क लागू था, यह जांचना होता है कि शुल्क की अवधि समाप्त होने पर क्या होने की संभावना है। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर प्राधिकारी को अलग-अलग उत्पादों पर लागू वर्तमान शुल्क दरों में परिवर्तन करने का कोई पर्याप्त कारण नहीं मिलता। तदनुसार, वर्तमान दरों को जारी रखना उचित माना जाता है।

x. कारखाने के साझा व्ययों का आवंटन

प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद की लागत निर्धारित करते समय कारखाने के व्ययों के आवंटन की जांच की है। उत्पाद से सीधे संबंधित व्ययों पर अलग से विचार किया गया है, जबकि साझा व्ययों का आवंटन अनुबंध-III के अनुसार युक्तिसंगत आधार पर किया गया है। आवंटन की पद्धति व्यय की प्रकृति के अनुरूप होनी चाहिए और उपलब्ध अभिलेखों से समर्थित होनी चाहिए। घरेलू उद्योग ने यह स्थापित करने के लिए पर्याप्त सत्यापित सूचना उपलब्ध नहीं कराई है कि प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई पद्धति के परिणामस्वरूप लागत की गणना गलत हुई है। तदनुसार, किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं समझी जाती।

xi. कार्यशील पूंजी तथा वैधानिक जमा राशियां

प्राधिकारी ने गैर-क्षतिकारक मूल्य के निर्धारण के लिए स्वीकार की गई लागतों तथा विचाराधीन उत्पाद से संबंधित परिसंपत्तियों और देनदारियों के आधार पर कार्यशील पूंजी की गणना की है। सरकारी प्राधिकारियों के पास जमा राशियों के संबंध में प्राधिकारी नोट करता है कि ऐसी राशियों को केवल इस आधार पर शामिल नहीं किया जा सकता कि वे कंपनी के खातों में दर्ज हैं। उन्हें शामिल करना इस बात पर निर्भर करता है कि वे सामान्य व्यावसायिक परिचालन के लिए आवश्यक हैं या नहीं और उनका संबंध विचाराधीन उत्पाद से है या नहीं। घरेलू उद्योग ने इन राशियों को शामिल किए जाने के औचित्य के समर्थन में पर्याप्त गणनाएं और अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए हैं। तदनुसार, वर्तमान गणना यथावत रखी जाती है।

xii. सार्वजनिक हित तथा शेष अनुरोध

प्राधिकारी ने ट्रेलर निर्माताओं पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव, उत्पाद की उपलब्धता तथा भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धा से संबंधित चिंताओं की जांच की है। उपलब्ध साक्ष्य दर्शाते हैं कि अन्य भारतीय उत्पादक भी इस उत्पाद की आपूर्ति करते हैं तथा वर्तमान शुल्क के कारण किसी कमी का होना स्थापित नहीं होता। ट्रेलरों के अंतिम मूल्य पर शुल्क का अनुमानित प्रभाव सीमित है और किसी उपयोगकर्ता ने इसके विपरीत सत्यापित गणनाएं प्रस्तुत नहीं की हैं। इसके

अतिरिक्त, मूल सीमा शुल्क का उद्देश्य अलग है और वह पाटनरोधी शुल्क का विकल्प नहीं हो सकता। वर्तमान उपाय आयातों पर प्रतिबंध भी नहीं लगाता। अतः प्राधिकारी को अपने निष्कर्षों में परिवर्तन करने अथवा शेष अनुरोधों को स्वीकार करने का कोई पर्याप्त आधार नहीं मिलता, क्योंकि वे पूर्ववर्ती कार्यवाहियों अथवा वर्तमान समीक्षा के दायरे से बाहर के विषयों से संबंधित हैं। बाहर अन्य राहत देने के शेष अनुरोध वर्तमान निर्धारण में कोई परिवर्तन उचित नहीं ठहराते।

ढ निष्कर्ष

138. जाँच अभिलेख, प्रकटीकृत तथ्यों तथा उन पर प्राप्त टिप्पणियों पर विचार करने के बाद, प्राधिकारी निम्नलिखित निष्कर्ष निकालते हैं:
- (i) विचाराधीन उत्पाद और सीकेडी/एसकेडी रूप में उसका मौजूदा दायरा अपरिवर्तित है। यॉर्क ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड नियम 2(ख) के प्रयोजन के लिए घरेलू उद्योग के रूप में पात्र है।
 - (ii) शुल्क प्रभावी रहने के बावजूद जाँच अवधि में पाटन जारी रहा। प्राधिकारी ने पाटनरोधी शुल्क को छोड़कर की गई तुलना के आधार पर सकारात्मक कीमत कटौती भी पाई है।
 - (iii) मौजूदा उपाय के दौरान घरेलू उद्योग का सकारात्मक प्रदर्शन शुल्क समाप्त होने पर क्षति की संभावना को समाप्त नहीं करता। उपलब्ध क्षमता, निर्यातोन्मुखता, तीसरे देशों में कम कीमतें, जारी आयात और संभावित मूल्य प्रभाव संबंधी साक्ष्य पाटन तथा क्षति के जारी रहने या पुनः होने की संभावना स्थापित करते हैं।
 - (iv) प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के निष्पादन को प्रभावित कर सकने वाले अन्य कारकों की भी जांच की है। प्रकटीकरण के पश्चात प्राप्त टिप्पणियों तथा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करने के उपरांत, प्राधिकारी का मत है कि पाटन, क्षति तथा उनके जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना के संबंध में अपने निष्कर्षों में परिवर्तन करने का कोई पर्याप्त आधार नहीं है। तदनुसार, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि धारा 9क(5) के साथ पठित नियम 23(1ख) के अंतर्गत पाटनरोधी शुल्क जारी रखने के लिए निर्धारित अपेक्षाएं पूरी होती हैं।

ण सिफारिशें

139. प्राधिकारी प्राधिकारी ने अभिलेख पर उपलब्ध सत्यापित साक्ष्यों के साथ-साथ सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत मौखिक, लिखित तथा प्रकटीकरण के पश्चात प्राप्त अभ्यावेदनों पर समुचित विचार किया है। व्यापक जांच के आधार पर प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि मौजूदा पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से पाटन के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने तथा इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचने की संभावना है।
140. चूंकि प्राधिकारी ने पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उनकी पुनरावृत्ति की संभावना के आधार पर उपाय को जारी रखने की सिफारिश की है, इसलिए वह वर्तमान में लागू शुल्क की राशि का पुनर्निर्धारण करना उचित नहीं समझता। तदनुसार, प्राधिकारी सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क(5) के साथ पठित पाटनरोधी नियम, 1995 के नियम 23 के अंतर्गत, चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर निश्चित पाटनरोधी शुल्क को नीचे दी गई शुल्क तालिका में विनिर्दिष्ट मौजूदा उत्पादक-विशिष्ट दरों तथा देशगत दायरे के अनुसार आगामी पांच (5) वर्षों की अवधि के लिए बिना किसी परिवर्तन के जारी रखने की सिफारिश करता है, जब तक कि इसे इससे पूर्व निरस्त, संशोधित अथवा अधिक्रमित न कर दिया जाए। शुल्क का जारी रहना केंद्र सरकार द्वारा जारी की जाने वाली संबंधित अधिसूचना के अधीन होगा।

शुल्क तालिका

क्रम सं.	टैरिफ मद	वस्तुओं का विवरण	उद्गम देश	निर्यातक देश	उत्पादक	राशि	माप की इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	87169010	ट्रेलरों के एक्सल*	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई भी देश	गुआंगडोंग फूवा हेवी इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड	0.16	किलोग्राम	अमेरिकी डॉलर
2	87169010	ट्रेलरों के एक्सल*	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई भी देश	क्रम सं. 1 में उल्लिखित उत्पादक से भिन्न कोई भी उत्पादक	0.31	किलोग्राम	अमेरिकी डॉलर
3	87169010	ट्रेलरों के एक्सल*	चीन जन. गण. के अलावा कोई भी देश	चीन जन. गण.	कोई भी उत्पादक	0.31	किलोग्राम	अमेरिकी डॉलर

* “ट्रेलरों के लिए एक्सल” में ट्रेलरों में प्रयुक्त सभी प्रकार के गैर-चालित एक्सल शामिल हैं, चाहे वे सीमलेस अथवा वेल्डेड निर्माण के हों और चाहे वे पूर्ण रूप में अथवा सेमी नॉकड डाउन (एसकेडी)/कम्प्लीटली नॉकड डाउन (सीकेडी) अवस्था में, अर्थात् असंयोजित, अधबने या अपूर्ण रूप में हों, बशर्ते वे मौजूदा उपाय के दायरे में आते हों। ट्रेलरों के अतिरिक्त अन्य वाहनों के एक्सल, जिनमें ट्रकों और प्राइम मूवर्स में प्रयुक्त चालित एक्सल भी शामिल हैं, इस दायरे से बाहर हैं।

टिप्पणी— उपर्युक्त तालिका में उल्लिखित कंपनियों के लिए निर्धारित व्यक्तिगत शुल्क दरों का उपयोग सीमा-शुल्क प्राधिकारियों के समक्ष एक वैध वाणिज्यिक बीजक प्रस्तुत करने की शर्त पर होगा। उस बीजक पर उसे जारी करने वाली इकाई के किसी अधिकारी द्वारा दिनांक सहित हस्ताक्षरित घोषणा होनी चाहिए और उस अधिकारी का नाम एवं पदनाम स्पष्ट होना चाहिए। घोषणा का प्रारूप निम्नानुसार होगा:

“मैं, अधोहस्ताक्षरी, प्रमाणित करता/करती हूँ कि इस बीजक के अंतर्गत भारत को निर्यात के लिए बेचे गए (संबंधित उत्पाद) की (मात्रा) का विनिर्माण (उत्पादक का नाम और पता) द्वारा (देश का नाम) में किया गया था। मैं घोषित करता/करती हूँ कि इस बीजक में दी गई सूचना पूर्ण और सही है।” यदि ऐसा बीजक प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो अन्य सभी उत्पादकों के लिए लागू शुल्क लगाया जाएगा। यह आवश्यकता लागू सीमा-शुल्क कानूनों एवं विनियमों के अंतर्गत सीमा-शुल्क प्राधिकारियों द्वारा स्वतंत्र रूप से की जाने वाली सत्यापन प्रक्रियाओं को प्रभावित नहीं करती।

त आगे की प्रक्रिया

141. इन अंतिम जाँच परिणामों में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा किए गए निर्धारण या समीक्षा के विरुद्ध सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9 के अनुसार सीमा-शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण के समक्ष अपील की जा सकती है।

अमिताभ कुमार, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

FINAL FINDINGS

New Delhi, the 22nd October, 2026

Case No. AD (SSR) – 02/2026

Subject: Sunset review investigation of anti-dumping duties imposed on imports of “Axle for Trailers” originating in or exported from China PR.

A. BACKGROUND OF THE CASE

F. No. 7/5/2026-DGTR.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Act”), and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Anti-Dumping Rules” or the “Rules”);

1. Whereas, the original anti-dumping investigation concerning imports of “Axle for Trailers” (hereinafter also referred to as the “product under consideration”, the “PUC” or the “subject goods”) originating in or exported from China PR (hereinafter also referred to as the “subject country”) was initiated by the Designated Authority (hereinafter also referred to as the “Authority”) vide Notification No. 14/17/2015-DGAD dated 28th December 2015. The Authority recommended imposition of anti-dumping duty vide final findings dated 30th September 2016, and the duty was imposed by the Central Government vide Notification No. 54/2016-Customs (ADD) dated 29th November 2016.
2. And whereas, an anti-circumvention investigation was initiated vide Notification No. 4/11/2020-DGTR dated 15th September 2020. By final findings dated 14th September 2021, the Authority recommended extension of the existing duty to imports of “Axle for Trailers in Completely Knocked Down/Semi Knocked Down condition”, and the duty was so extended vide Notification No. 69/2021-Customs (ADD) dated 13th December 2021, co-terminus with the duty on the product under consideration.
3. And whereas, the first sunset review was initiated vide Notification No. 7/7/2021-DGTR dated 19th April 2021. The Authority recommended continuation of the duty vide final findings dated 27th October 2021, and the Central Government continued the duty for a further period of five years vide Notification No. 04/2022-Customs (ADD) dated 24th January 2022. The duty is in force up to 23rd January 2027.
4. The duty presently in force is US\$ 0.16 per kg on the subject goods produced by Guangdong Fuwa Heavy Industries Co., Ltd. and US\$ 0.31 per kg on the subject goods of any other producer. It applies to “Axle for Trailers” falling under tariff item 8716 90 10, including Axle for Trailers in Semi Knocked Down/Completely Knocked Down condition, that is, in an unassembled, unfinished or incomplete form.
5. And whereas, M/s York Transport Equipment (India) Pvt. Ltd. (hereinafter also referred to as the “applicant” or the “domestic industry”) filed a duly substantiated application before the Authority in accordance with Section 9A(5) of the Act read with Rule 23(1B) of the Rules, alleging that expiry of the duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury, and requesting a second sunset review and continuation of the duty.

6. And whereas, having satisfied itself on the basis of the prima facie evidence submitted by the applicant, the Authority initiated the present sunset review vide Notification No. 7/5/2026-DGTR dated 20th March 2026 (Case No. AD (SSR)-02/2026), published in the Gazette of India, Extraordinary, to review the need for continued imposition of the duty and to examine whether its expiry is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.
7. The scope of the present review covers all aspects of the final findings dated 27th October 2021. In terms of Rule 23(3), the provisions of Rules 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 and 20 apply mutatis mutandis to this review.

B. PROCEDURE

8. The procedure described below has been followed with regard to the investigation:

8.1 Initiation

- i. In accordance with Rule 6, upon examination of the application and finding prima facie evidence of dumping, injury, likelihood and causal link, the Authority issued an initiation notification dated 20th March, 2026, published in the Gazette of India Extraordinary, initiating the sunset review anti-dumping investigation concerning the imports of the product under consideration from the subject country.
- ii. In accordance with Rule 5(5), prior to initiation of the investigation, the government of the subject country was notified through their embassy in India about the receipt of the present anti-dumping application.
- iii. In accordance with Rule 6(2), the interested parties were informed of the initiation of the investigation by sharing a copy of the initiation notification with the embassy of the subject country in India, known producers and exporters of the product under consideration in the subject country, known importers of the subject goods in India and other interested parties, as per the information made available in the application.

8.2 Period of investigation and injury period

9. The period of investigation (POI) for the purpose of the present review is 1st October 2024 to 30th September 2025 (12 months). The injury period covers the financial years 2022-23, 2023-24, 2024-25 and the period of investigation.

8.3 Import data

10. Request was made to DG Systems to provide the transaction-wise details of imports of the subject goods for the injury period, including the period of investigation. The Authority has relied upon the DG Systems data for the computation of the volume and value of imports and the required analysis, after due examination of the transactions.

8.4 Circulation of non-confidential version of the application

11. In accordance with Rule 6(3), a copy of the non-confidential version of the application was provided to the government of the subject country through their embassy in India, known producers/exporters of the subject goods and to other interested parties who requested in writing a copy of the application. The non-confidential version was also made available to the other interested parties through the SETU portal.

8.5 Participation by producers and exporters of the subject country

12. The Authority sent the exporter's questionnaire to the following known producers/exporters in accordance with Rule 6(4) of the Rules:

Guangdong Fuwa Heavy Industries Co. Ltd.
Guangzhou Huajing Machine Manufacture Co. Ltd.
Global Win Vehicle Co. Ltd.
Shijiazhuang Aotong Machinery Manufacturing Co. Ltd.
Guangzhou TND Axle Co. Ltd.

13. In response, only Guangdong Fuwa Heavy Industries Co., Ltd. (hereinafter also referred to as "Guangdong Fuwa" or "Fuwa") has filed an exporter's questionnaire response. No other producer or exporter from the subject country has filed a questionnaire response or made any submission. No producer or exporter has filed a claim for market economy treatment.

8.6 Participation by importers and users

14. The Authority sent the importer's and user's questionnaires to the following known importers and users of the subject goods in India in accordance with Rule 6(4) of the Rules:

Heavy Duty Trailer Parts Loyal
HJ-Axle India Manufacturing Private Limited
Integrity Engineering Works Private Limited
Jamna Auto Industries Ltd.
ADR Axles India Pvt. Ltd.
Roadon Axles India Private Limited
H.D. Trailers Pvt. Ltd.
Tigerish Automotive Private Limited
Tata International DLT Pvt. Ltd.
Black Diamond Motors / Black Diamond Motors Private Limited
Indian Auto Wheels
Satrac Engineering
Tata International Vehicle Applications Pvt. Ltd.
Vandana Trailors
Seamless Autotech Pvt. Ltd.
Kamal Coach Works Pvt. Ltd.
Tratec Engineers Pvt. Ltd.

15. In response, only H.D. Trailers Private Limited (hereinafter also referred to as "HDTPL") has filed an importer's questionnaire response. No user of the subject goods, or association of users, has filed a questionnaire response or made any submission.

8.7 Registered interested parties

16. A list of the interested parties that registered themselves within the prescribed timeline was issued on 25th May 2026 and placed on the website of the Directorate. The registered interested parties are York Transport Equipment (India) Pvt. Ltd., the Embassy of China PR, H.D. Trailers Private Limited and Guangdong Fuwa Heavy Industries Co., Ltd. All registered interested parties were directed to circulate the non-confidential version of their submissions to all other interested parties.

8.8 Extension of time

17. On requests received from interested parties, the Authority, vide notice dated 28th April 2026, extended the time for filing questionnaire responses up to 14th May 2026.

8.9 Economic interest questionnaire

18. The Authority issued an Economic Interest Questionnaire to the Embassy of the subject country, all known producers/exporters, importers/users, the domestic industry as well as other known producers in India, in order to allow all stakeholders to provide relevant information concerning the present investigation, including the possible effect of continuation of the anti-dumping duty on their operations. Further, vide e-mail dated 24th March 2026, the Authority addressed the Secretary, Ministry of Road Transport & Highways (Transport Divisions), being the concerned line Ministry, and requested the Ministry to furnish its response to the Economic Interest Questionnaire, to the extent relevant, within 37 days from receipt of the communication. The purpose of seeking the response of the concerned line Ministry was to obtain its sectoral assessment of the likely impact of continuation of the anti-dumping duty on downstream industries and other stakeholders connected with the product under consideration. Such inputs were intended to assist the Authority in carrying out a balanced examination of the economic interest implications of continuation of the measure. No response to the Economic Interest Questionnaire has been received from the said Ministry till date. Information in this regard has been furnished by the domestic industry in its application and submissions, and by HDTPL in its importer's questionnaire response. No user has furnished any information.

8.10 Oral hearing

19. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority provided an opportunity to the interested parties to present their views orally in a hearing held through video conferencing on 24th September 2026. The parties which presented their views at the hearing were requested to file written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions. Written and rejoinder submissions have been filed by the domestic industry, Guangdong Fuwa (producer/exporter) and HDTPL (importer).

8.11 Further procedure

20. The applicant did not propose any product control number (PCN) methodology, none having been adopted in the original investigation or the first sunset review. The interested parties were invited to offer comments on the scope of the PUC and the PCN methodology within 15 days of initiation. No comments were received within that period. The contentions on product scope raised later by HDTPL in its submissions have nevertheless been examined in these final findings.
21. The non-injurious price ("NIP") based on the optimum cost of production and cost to make and sell the subject goods in India, having regard to the information furnished by the domestic industry and having regard to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Rules, has been worked out so as to ascertain whether anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.

22. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation, to the extent supported with evidence and considered relevant to the present review, have been appropriately considered by the Authority in these final findings.
23. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to the sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide a sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
24. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided, necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such party as non-cooperative and has recorded its views/observations on the basis of the facts available in accordance with Rule 6(8) of the Rules.
25. The Authority, during the course of the investigation, satisfied itself as to the accuracy of the information supplied by the interested parties, which forms the basis of these final findings, to the extent possible, and verified the data/documents submitted by the interested parties to the extent considered relevant, practicable and necessary.
26. In accordance with Rule 16 read with Rule 23 of the Anti-Dumping Rules, the Authority issued the Disclosure Statement dated 14 October 2026.
27. ‘***’ in these final findings represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
28. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is 1 US\$ = ₹ 86.76, being the average of the exchange rates notified by the Central Board of Indirect Taxes and Customs under Section 14 of the Customs Act, 1962 for conversion of the value of imported goods, in force during the period of investigation. The same rate has been applied throughout these final findings.

Source: <https://foservices.icegate.gov.in/#/services/viewExchangeRate>

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

29. The product under consideration in the present sunset review investigation, as defined in the initiation notification dated 20th March 2026 is as follows:

“The Product under Consideration in the present investigation is “Axle for Trailers”. The subject goods are manufactured and sold in different variants. However, the basic product characteristics and end use of all these variants remains the same and all such types of Trailer Axles have been covered in the scope of the PUC. All such variants essentially constitute a homogenous product under consideration with comparable basic characteristics and similar functions/uses.”

The Authority also notes that the product under consideration is a vehicle part and accessory, falling under Chapter 87 of the Customs Tariff Act, 1975 and further classified under custom sub-heading no. 87169010. However, since the subheading is not a dedicated classification, the customs classification is indicative only and not binding on the product scope determined for this investigation.

With regard to objection on the scope and description of the product under consideration the Authority notes that the initiation notification defined the PUC unambiguously as ‘Axle for Trailers’ and Axles for vehicles other than trailers are excluded from the scope of PUC

and all other submission made by the applicant and other interested parties have also been examined.”

C.1 Views of the other interested parties

30. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to the scope of the product under consideration and like article:

- a. **Clarity of the product scope:** The initiation notification covers all types of trailer axles, which would include drive (live) axles, whereas the application confines the PUC to dead (dummy) axles. The notification is unclear and exceeds the scope of the PUC.
- b. **Seamless axles:** Axles with a seamless (single) tube are distinct from axles with a welded tube in manufacturing process, raw material, strength, load-bearing capacity and durability. Seamless axles are not manufactured in India and are imported by HDTPL on the specific demand of trailer manufacturers.
- c. **CKD/SKD imports:** HDTPL has imported either the PUC or only the tube (beam), and its manufacture in India involves value addition of more than 70%. The findings on CKD/SKD imports do not apply to it.
- d. Guangdong Fuwa has made no submission on the product scope.

C.2 Views of the domestic industry

31. The domestic industry has submitted as follows with regard to the scope of the product under consideration and like article:

- a. **Clarity of the product scope:** The PUC is “Axle for Trailers”, a non-driven (dead) axle used in semi-trailers and other heavy-duty trailers. The scope is the same as in the original investigation, the anti-circumvention investigation and the first sunset review, and there is no new fact warranting any change.
- b. **Seamless axles:** HDTPL’s own questionnaire response describes the goods it imports as non-driven axles for trailers under the same tariff item. Whether the beam is seamless or welded is a difference of manufacturing route; the essential characteristics, functions and end use are the same. A sunset review is not the forum to reopen a settled scope, and an exclusion would open a fresh route to avoid the duty.
- c. **Like article:** The goods produced by the domestic industry and those imported from the subject country are technically and commercially substitutable and are like articles. The domestic industry produces all sizes of the subject goods.
- d. **Classification:** The subject goods are classified under tariff item 8716 90 10, which is not a dedicated classification and is indicative only.

C.3 Examination by the Authority

32. The product under consideration, as defined in the initiation notification, is as follows:

“The Product under Consideration in the present investigation is “Axle for Trailers”. The subject goods are manufactured and sold in different variants. However, the basic product characteristics and end use of all these variants remains the same and all such types of Trailer Axles have been covered in the scope of the PUC. All such variants essentially constitute a homogenous product under consideration with comparable basic characteristics and similar functions/uses.”

33. The present investigation being a sunset review, the scope of the PUC is the same as the scope of the measure under review, i.e., the scope determined in the original investigation and retained in the first sunset review, including Axle for Trailers in CKD/SKD condition to which the measure was extended

- pursuant to the anti-circumvention investigation. The Authority has neither enlarged nor curtailed that scope.
34. The contention that the initiation notification includes drive axles is incorrect. The product under consideration is axles used in trailers, which are pulled by trucks or prime movers and do not have their own driving mechanism. Accordingly, trailer axles are non-driven axles and are distinct from drive axles used in trucks and prime movers, which transmit engine power to the wheels. The expression “all such types of Trailer Axles” in the initiation notification refers only to different types of axles used in trailers and does not extend the product scope to drive axles of trucks or prime movers. Therefore, the product covered by the initiation notification is consistent with that described in the application, and there is no inconsistency in the scope of the product under consideration.
 35. The contention that axles made from a seamless or single-piece beam constitute a different product was examined in the first sunset review and in the anti-circumvention investigation. The Authority had found that trailer axles made out of a single-piece beam and those made out of a welded beam have similar uses and are substitutable, and that a difference in process or technology is not a ground to differentiate the product when the end uses are the same. HDTPL has not brought on record any new fact that would justify a departure from that finding. HDTPL itself describes the imported goods as non-driven axles for trailers, sells the imported axles and the axles manufactured by it in India to the same class of customers, and states that it has been manufacturing single-tube axles in India. No interested party proposed a PCN or an exclusion within the time prescribed, or has quantified any difference in cost or price between the two variants. The Authority, therefore, does not find any ground to exclude such axles from the scope of the PUC.
 36. The Authority notes that the product under consideration includes Axles for Trailers in complete as well as unassembled, unfinished or incomplete form, as specified in the product scope. However, the import of an individual component, such as an axle tube or beam, does not automatically establish whether it falls within the scope of the product under consideration. This depends on the nature of the imported goods and the terms of the applicable customs notification. Accordingly, whether any particular consignment imported by HDTPL attracts anti-dumping duty is a matter for assessment by the Customs authorities and does not require a consignment-specific determination in the present sunset review.
 37. The Authority notes from the information on record that there is no significant difference between the subject goods produced by the domestic industry and those imported from the subject country. The two are comparable in terms of technical specifications, functions and end uses, pricing, distribution and marketing, and tariff classification, and are used interchangeably by consumers. The goods produced by the domestic industry are accordingly treated as like article to the subject goods imported from the subject country.
 38. The subject goods are classified under Chapter 87 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975, under tariff item 8716 90 10. The customs classification is indicative only and is not binding on the scope of the product under consideration.

D. SCOPE OF THE DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

D.1 Views of the other interested parties

39. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to the scope of the domestic industry and standing:
 - a. **Foreign ownership:** The applicant is a wholly owned subsidiary of a Singapore company and ultimately of the SAF-Holland group of Germany. It is in effect a foreign player and should be excluded from the domestic industry under Rule 2(b).

- b. **Relationship with an exporter:** A fellow subsidiary of the applicant in China PR, Qingdao YTE Special Products Co. Ltd., produces the PUC and has been exporting it to India. A director of the applicant is also a member of the executive committee of the parent group. Being related to an exporter, the applicant is ineligible, as held in the Wheel Loaders findings. It should be held ineligible in this review and in the earlier investigations.
- c. **Imports and trading by the applicant:** The applicant has not disclosed its trade in the PUC with its group companies. Its annual reports show substantial foreign exchange outflow and trading revenue. The details should be called for and, if imports of the PUC from China PR are found, the applicant should be disqualified.
- d. **Reliability of estimates:** The estimates of Indian production and demand rest on unsubstantiated assumptions and ignore certain producers, the replacement market and exports. HDTPL is itself a manufacturer of trailer axles.
- e. **Dominant position:** The applicant holds a dominant share of domestic production, and there is an apprehension of abuse of that position.

D.2 Views of the domestic industry

40. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to the scope of the domestic industry and standing:
- a. **Foreign ownership:** Foreign ownership or membership of an international group does not, by itself, exclude a producer from the domestic industry. Rule 2(b) defines the domestic industry by reference to domestic production, and exclusion is discretionary.
 - b. **Relationship with an exporter:** Under the Explanation to Rule 2(b), producers are deemed to be related only where there is control and the relationship causes the producer to behave differently from non-related producers. HDTPL has not shown that the applicant imported the PUC from the alleged related entity or any transaction affected by the relationship.
 - c. **Imports and trading by the applicant:** The applicant has not imported the subject goods from the subject country and is not related to any exporter or importer of the subject goods. A certificate to this effect has been filed.
 - d. **Standing:** There are six known producers of the subject goods in India. The applicant accounts for a major proportion of Indian production, and Kross Limited has supported the application. The applicant was the domestic industry in all the earlier investigations.
 - e. **Dominant position:** Dominance is a concept of competition law. The Rules do not disqualify a producer because it holds a substantial share of domestic production.

D.3 Examination by the Authority

41. Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules defines the domestic industry as under:

“(b) “domestic industry” means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term ‘domestic industry’ may be construed as referring to the rest of the producers.”

42. The application has been filed by York Transport Equipment (India) Pvt. Ltd. As per the information on record, there are five other producers of the like article in India, namely Kross Limited, Hendrickson India, Ramkrishna Forgings Limited, BPW Trailer Systems India Private Limited and ADR Axles India Pvt. Ltd. The applicant accounts for ****% of the Indian production of the like article during the period

- of investigation, and for ***% together with Kross Limited, which has supported the application. The production of Ramkrishna Forgings Limited has been taken into account in this assessment.
43. As regards the relationship alleged, it is not in dispute that the applicant forms part of an international group. The Rules, however, define the domestic industry by reference to the manufacture of the like article in India and not the ownership of the producer. The exclusion under Rule 2(b) is attracted where the producer is related to an exporter or importer of the alleged dumped article, in the manner specified in the Explanation to that Rule, or is itself an importer thereof.
 44. The Authority has examined the transaction-wise DG Systems data for the injury period and the period thereafter. It is noted that the applicant has not imported the product under consideration from the subject country. There is also no import of the product under consideration into India from Qingdao YTE Special Products Co. Ltd. or from any other entity related to the applicant, and HDTPL has not placed on record any evidence of such exports. The imports made by the applicant under tariff item 8716 90 10 are of inputs and components consumed in its own manufacture of trailer axles, which are not the product under consideration. The foreign exchange outflow and trading revenue cited by HDTPL relate to the overall business operations of the company as a whole. Accordingly, the allegations regarding foreign exchange outflow and trading activities do not provide any basis for excluding the applicant from the domestic industry under Rule 2(b) of the Rules.
 45. In the Wheel Loaders case relied upon by HDTPL, the Indian entities concerned were related to producers that were exporting the product under consideration to India. That is not the position here. The plea that the applicant be held ineligible in the earlier investigations is beyond the scope of the present review.
 46. The Authority notes that a producer's share in total domestic production is relevant for determining its standing under the Rules and is not a ground for its exclusion. The issue of market dominance raised by HDTPL is outside the scope of the Anti-Dumping Rules. Further, the Authority has determined demand on the basis of domestic sales by the domestic industry and other Indian producers, together with imports as per DG Systems data. HDTPL has not furnished any alternative data.
 47. In view of the above, the Authority notes that the applicant constitutes domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the Rules, and that the application has been made by or on behalf of the domestic industry as required under Rule 23(1B).

E. CONFIDENTIALITY

E.1 Views of the other interested parties

48. No submission has been made by the other interested parties with regard to confidentiality.

E.2 Views of the domestic industry

49. No submission has been made by the domestic industry with regard to confidentiality.

E.3 Examination by the Authority

50. The Authority notes that neither the domestic industry nor any other interested party has raised any issue regarding confidentiality. Nevertheless, the Authority has examined the confidentiality claims made by the parties in accordance with Rule 7 of the Anti-Dumping Rules and has accepted such claims wherever justified. Non-confidential versions of the information submitted by the parties have been made available to the other interested parties in accordance with the Rules. Accordingly, no further examination is warranted on this issue.

F. MISCELLANEOUS ISSUES

F.1 Views of the other interested parties

51. The following miscellaneous submissions have been made by the other interested parties:

- a. **Sufficiency of evidence and termination of the investigation:** The application does not contain sufficient evidence of dumping, injury and causal link as required under Rule 5(3), and rests on assumptions and historical findings. The burden lies on the domestic industry to establish likelihood through positive evidence. The investigation should be terminated under Rule 14(b).
- b. **Period of investigation:** The period of investigation does not coincide with the financial year and has been selected to project an increase in imports, whereas imports declined in 2024-25. It amounts to an improper comparison of periods.
- c. **Source of import data:** The application relies on import data from a private source, which is not reliable. The Authority should call for and rely on official import data in terms of its Manual of Operating Practices.
- d. **Post-POI data:** A sunset review is forward-looking, and the Manual recognises post-POI information. Trade flows, freight rates and exchange rates have changed after the period of investigation. The Authority should call for and examine post-POI information.
- e. **Anti-circumvention history and writ proceedings:** The earlier anti-circumvention proceedings cannot be attributed to Guangdong Fuwa. HDTPL states that the charges framed against it by the customs authorities were dropped by an Order-in-Original dated 27th June 2018, and that its writ petition was withdrawn thereafter as nothing survived in it.
- f. **Estoppel:** The applicant's annual report attributes the slowdown in market growth to weaker industrial activity and the suspension of infrastructure projects. The applicant is estopped from attributing any reduction in its income or profit to imports.
- g. **Abuse of the mechanism, costs and recovery of duty:** The applicant has derived financial gain from the duty. If it is found ineligible to constitute domestic industry, the earlier measures are void ab initio, and the duty paid by HDTPL should be recovered from the applicant with exemplary costs. The matter should be referred to the competition authorities.
- h. **Exemption for HDTPL:** HDTPL, as the authorised distributor of Shandong Darong Machinery Co., Ltd. and Shijiazhuang Aotong Machinery Manufacturing Co., Ltd., should be allowed to import the PUC from these producers without payment of anti-dumping duty.

F.2 Views of the domestic industry

52. The following miscellaneous submissions have been made by the domestic industry:

- a. **Sufficiency of evidence and termination of the investigation:** The present proceeding is a sunset review under Section 9A(5) and Rule 23(1B). Rule 23(3) does not apply Rules 5 and 14 to a review. Rule 14 provides for termination of an original investigation and cannot be imported into a review, and the initiation test is not to be re-applied at this stage. Reliance is placed on *Indian Metal and Ferro Alloys Ltd. v. Designated Authority* [2007 (214) E.L.T. 3 (Del.)].
- b. **Period of investigation:** The period of investigation is a complete period of twelve months, which is the normal period under the Rules, and need not coincide with the financial year. HDTPL compares it with 2024-25, with which it overlaps by six months.
- c. **Source of import data:** Transaction-wise official data was not made available to the applicant despite a request. The applicant relied on the best information available to it, which the practice of the Authority permits. The Authority obtains official data for its determination.
- d. **Post-POI data:** Post-POI information may be considered where material, but the Manual does not make it a precondition to a determination. The record already contains current information.

- e. **Anti-circumvention history and writ proceedings:** The withdrawal of the writ petition is not relied upon as a finding on merits. The material fact is the anti-circumvention investigation and the final findings dated 14th September 2021, which show the commercial incentive to retain access to the Indian market despite the duty.
- f. **Estoppel:** A statement in an annual report on general market conditions is not an admission regarding dumping, and estoppel cannot prevent a statutory examination. The existence of other factors only calls for a non-attribution analysis.

F.3 Examination by the Authority

Sufficiency of evidence and termination of the investigation

53. The present investigation is a sunset review under Section 9A(5) of the Act and Rule 23(1B) of the Rules, initiated on a duly substantiated request made by the domestic industry. Rule 23(3) makes Rules 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 and 20 applicable mutatis mutandis to a review. Rule 5, which governs the initiation of an original investigation, and Rule 14, which provides for its termination, are not among the provisions so applied. The prayer for termination under Rule 14(b) is therefore misconceived. The determination in the review will rest on the evidence gathered in the course of the investigation, which is disclosed in these final findings.

Period of investigation

54. The period of investigation is a continuous period of twelve months and was less than six months old on the date of initiation. There is no requirement that it coincide with a financial year, and it is the consistent practice of the Authority to examine trends over three preceding financial years and the period of investigation. The partial overlap between 2024-25 and the period of investigation is inherent in that practice and has been kept in view.

Source of import data

55. The applicant disclosed in its application that it had relied on a secondary source and filed a copy of its request for official data. The Authority has not relied on that data. It has called for transaction-wise data from DG Systems and has relied upon the same for its analysis. The official data shows a higher volume of imports in each period than that reported in the application.

Post-POI data

56. The Authority agrees that post-POI developments may be relevant in a sunset review, and has examined the DG Systems data for the period after the period of investigation. Imports of the subject goods from the subject country have continued after the period of investigation at comparable volumes and prices. Guangdong Fuwa has referred in general terms to changes in freight rates, exchange rates and trade flows, but has not placed on record any post-POI information on its own capacity, production, export volumes or prices, nor any evidence of how the developments referred to have altered the likelihood of dumping or injury.

Anti-circumvention history and writ proceedings

57. The Authority notes the chronology of the customs proceedings as stated by HDTPL, and that the domestic industry does not rely on the withdrawal of the writ petition as a finding on merits. Those proceedings are not the basis of any fact disclosed in these final findings. The final findings in the anti-circumvention investigation and the consequent extension of the duty stand on their own record and are not the subject of this review. The Authority does not attribute those findings individually to Guangdong Fuwa. The likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury has been examined on the present record in these final findings.

Estoppel

58. The statement in the applicant's annual report concerns the general slowdown in market growth. It is not an admission regarding dumping or its effects, and no question of estoppel arises against a statutory

examination that the Authority is required to carry out on the evidence before it. The movement in demand has been taken into account in the non-attribution analysis.

Abuse of the mechanism, costs and recovery of duty

59. The Authority's functions under the Act and the Rules are to investigate and to make its recommendation to the Central Government. The Rules do not confer on the Authority any power to award costs or compensation, to direct recovery or refund of duty paid under notifications of the Central Government, or to declare earlier notifications void. The findings in the earlier investigations have attained finality and are not open to re-examination in this review. In any case, these prayers are premised on the applicant being ineligible to constitute domestic industry, which, as noted above, is not the position.

Exemption for HDTPL

60. Anti-dumping duty is determined with reference to the producer and exporter of the goods and not the importer. An individual rate is determined for a producer or exporter that participates in the investigation and furnishes complete and verifiable information. Neither of the producers named by HDTPL has filed a questionnaire response in the present review. The Rules do not contemplate an importer-specific exemption, and the request cannot be acceded to.

G. NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN

G.1 Views of the other interested parties

61. The other interested parties have submitted as follows with regard to the determination of normal value, export price and dumping margin:
- a. **Non-market economy treatment:** Section 15(a)(ii) of China's Protocol of Accession to the WTO has expired, and India no longer has a legal basis to compute normal value by a non-market economy methodology.
 - b. **Dumping margin:** The dumping margin alleged by the domestic industry is only a claim. Margins of earlier proceedings relate to those periods. The dumping margin should be determined on verified, exporter-specific information.
 - c. **Transactions of HDTPL:** There is no dumping during the period of investigation. On a comparison of domestic sales invoices of one of HDTPL's suppliers with the export invoices of another, the dumping margin is negative. There is also no dumping as imports have not increased.

G.2 Views of the domestic industry

62. The domestic industry has submitted as follows with regard to the determination of normal value, export price and dumping margin:
- a. **Non-market economy treatment:** China PR should be treated as a non-market economy. The expiry of Section 15(a)(ii) did not confer market economy status, and no Chinese producer has shown that market economy conditions prevail. Normal value should be determined under paragraph 7 of Annexure I.
 - b. **Basis of normal value:** South Africa is an appropriate market economy third country, on the basis of the landed price of the applicant's exports to that country. Alternatively, normal value should be constructed on the cost of production in India with reasonable profit.
 - c. **Dumping margin:** The dumping margin is positive and significant, and has remained so in the original investigation, the first sunset review and the present review.
 - d. **Transactions of HDTPL:** HDTPL compares invoices of two different producers and of different periods, the normal value invoices being of a period after the period of investigation. The selected transactions of one importer cannot establish the absence of dumping from the subject country.

G.3 Examination by the Authority

G.3.1 Determination of normal value

63. Article 15 of China's Accession Protocol to the WTO provides as follows:

"Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:

(a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:

(i) If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;

(ii) The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.

...

(d) Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the non-market economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector."

64. It is noted that while the provision contained in Article 15(a)(ii) has expired, Article 15(a)(i), read with paragraph 8 of Annexure I to the Rules, requires the producers under investigation to show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product. Guangdong Fuwa has neither claimed market economy treatment nor furnished the information required to rebut the presumption under paragraph 8(2) of Annexure I. No other producer has responded. The normal value is accordingly required to be determined in terms of paragraph 7 of Annexure I, which reads as under:

"In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted, if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner, keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question, and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of selection. Accounts shall be taken within time limits, where

appropriate, of the investigation made in any similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without any unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments.”

65. The domestic industry has proposed South Africa as an appropriate market-economy third country, stating that it exported substantial quantities of the subject goods to that market during the POI and that the landed prices of such exports could represent prevailing prices in South Africa. However, as noted at initiation, the applicant has not substantiated either the suitability of South Africa as the appropriate third country or the use of its own landed export prices as representative prices in that market. No reliable supporting evidence of domestic prices or constructed value of the like article in South Africa has been furnished.
66. The Authority has examined the alternatives prescribed under paragraph 7 of Annexure I in sequence. First, the price or constructed value in an appropriate market-economy third country could not be adopted, as the selection of South Africa and the proposed price basis were not substantiated. Second, reliable information on the price of the like article exported from an appropriate market-economy third country to other countries, including India, is not available. Accordingly, neither of the first two alternatives could be applied. The Authority has therefore adopted the remaining reasonable basis under paragraph 7 and determined normal value on the basis of the price payable in India, constructed from the cost of production of the like article in India, with appropriate adjustments for selling, general and administrative expenses and a reasonable profit.
67. HDTPL's proposed calculation cannot be accepted, as it compares post-POI domestic sales invoices of a non-participating producer, which has not claimed market-economy treatment, with export invoices of a different producer. Further, the absence of an increase in import volumes does not establish the absence of dumping, which is determined by comparing normal value and export price.

G.3.2Determination of export price

Export price for Guangdong Fuwa Heavy Industries Co., Ltd.

68. Guangdong Fuwa is a producer of the subject goods. During the period of investigation, it has exported *** pieces of the product under consideration to India, directly to three unrelated customers.

Guangdong Fuwa → Unrelated customers in India

69. The exports reported by the producer have been corroborated with DG Systems data. The export price has been determined on the basis of the price charged to the unrelated customers in India. The net export price so determined is mentioned in the table below.

Export price for non-cooperating producers and exporters

70. For all other producers and exporters from the subject country, who have not cooperated with the Authority, the export price has been determined on the basis of the facts available in terms of Rule 6(8), having regard to the price of imports of the subject goods of producers other than the cooperating producer as per DG Systems data. The net export price so determined is mentioned in the table below.

G.3.3Dumping margin

71. Considering the normal value and the export price determined as above, the dumping margin determined for the producers and exporters from the subject country is as follows:

Dumping Margin Table						
SN	Name of Producer	Normal Value (US\$/MT)	Export Price (US\$/MT)	Dumping Margin (US\$/MT)	Dumping Margin (%)	Dumping Margin (Range)
1	Guangdong Fuwa Heavy Industries Co., Ltd.	***	***	***	***	15-25
2	Any other producer	***	***	***	***	40-50

72. It is noted that the dumping margin is positive and above the de minimis level, notwithstanding the anti-dumping duty in force. The subject goods have thus continued to be exported to India at dumped prices during the period of investigation.

H. ASSESSMENT OF INJURY AND CAUSAL LINK

H.1 Views of the other interested parties

73. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to injury and causal link:

- a. **Nature of the examination:** The burden lies on the domestic industry to establish, through positive evidence, that expiry of the duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. The claims of injury are speculative.
- b. **Volume effect:** Imports from China PR have increased only marginally over the injury period, while demand and the sales of the domestic industry and of the other domestic producers have increased at a much higher rate. Imports have fluctuated and have declined over the longer term. There is no volume effect.
- c. **Price effect:** The landed price of imports has remained stable and the net sales realisation of the domestic industry has increased. Price undercutting without any adverse movement in sales realisation does not establish injury. On HDTPL's transactions, the landed value is above the non-injurious price.
- d. **Economic parameters:** Production, capacity utilisation, domestic and export sales, profits, cash profits, employment, wages and return on capital employed of the domestic industry have all improved over the injury period, and inventories have declined. The decline in productivity per employee is explained by the increase in the workforce.
- e. **Financial performance of the applicant as a company:** The total income and profit after tax of the applicant have grown substantially, it holds large cash balances, and it has expanded its capacity. Such performance is inconsistent with injury. Reliance is placed on the sunset review findings in Soda Ash from Turkey and Russia.
- f. **Causal link and other factors:** No causal link is established. The increase in interest and depreciation costs is independent of imports and must be examined separately. Other factors such as cyclical demand, technology, the quality and cost of component suppliers, operational inefficiency and intense competition from other domestic producers may have contributed to any injury.

H.2 Views of the domestic industry

74. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to injury and causal link:

- a. **Nature of the examination:** The present proceeding is a sunset review and not a fresh original investigation. The question is whether dumping and injury are likely to continue or recur if the duty

expires. Improvement in performance is what an effective duty is expected to achieve and cannot, by itself, show that the duty is no longer needed.

- b. **Volume effect:** Imports have continued throughout the injury period despite the duty and are above the level of the first sunset review. The Indian producers have sufficient capacity to meet the entire Indian demand.
- c. **Price effect:** The imports have undercut the prices of the domestic industry throughout the injury period, and their landed price has remained below the cost of sales and the non-injurious price of the domestic industry.
- d. **Economic parameters:** The interested parties rely selectively on the improvement over the base year. Production, sales, profits, cash profits, employment and productivity declined in the period of investigation as compared with the preceding year, the market share of the domestic industry declined, and substantial capacity remained idle.
- e. **Financial performance of the applicant as a company:** The figures relied upon by HDTPL are company-wide and include products other than the PUC and trading activities. The injury analysis under the Rules concerns the like article.
- f. **Causal link and other factors:** In a sunset review a causal link between likely dumping and likely injury need not be established afresh (US – Anti-Dumping Measures on Oil Country Tubular Goods from Mexico, WT/DS282/AB/R). The other factors named by HDTPL have not been quantified and, at most, call for a non-attribution analysis.

H.3 Examination by the Authority

75. Rule 11 of the Rules read with Annexure II provides that an injury determination shall involve an examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, “... *taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles ...*”. In a sunset review, the Authority examines whether the domestic industry has continued to suffer injury with the duty in force and whether injury is likely to continue or recur if the duty is allowed to expire. The present state of the domestic industry is examined in this part, and the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury in the part that follows.
76. The injury examination is required to be made for the like article. The total income, profit after tax and cash balances cited by HDTPL are those of the applicant company as a whole, which also deals in products other than the PUC. The Authority has relied upon the information of the domestic industry segregated for domestic sales of the PUC.

H.3.1 Volume effect of the subject imports

Assessment of demand (apparent consumption)

77. The Authority has defined demand or apparent consumption of the product in India as the sum of the domestic sales of the Indian producers and imports from all sources. The demand so assessed is given in the table below.

S.N.	Particulars	Unit	2022-23	2023-24	2024-25	POI
1	Imports from subject country	MT	1,279	2,289	1,418	1,352
2	Imports from other countries	MT	-	-	-	-
3	Total imports	MT	1,279	2,289	1,418	1,352
4	Sales of the domestic industry	MT	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	150	128	122
5	Sales of other domestic producers	MT	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	128	146	142
6	Total demand	MT	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	144	133	128

78. It is seen that demand for the subject goods increased in 2023-24 and declined thereafter, but remained higher in the period of investigation than in the base year.

Imports in absolute and relative terms

79. With regard to the volume of imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. The volume of imports over the injury period was as follows:

SN	Particulars	Unit	2022-23	2023-24	2024-25	POI
1	Subject imports	MT	1,279	2,289	1,418	1,352
2	Other imports	MT	-	-	-	-
3	Total imports	MT	1,279	2,289	1,418	1,352
4	Subject imports in relation to:					
a	Indian demand	%	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	124	83	83
b	Production of the domestic industry	%	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	112	87	87
c	Total imports	%	100	100	100	100

80. The Authority notes that imports of the subject goods have continued throughout the injury period with the duty in force. The imports increased in 2023-24 and declined thereafter, and in the period of investigation, subject imports were marginally higher than in the base year in absolute terms and lower in relation to demand and production. The subject country is the only source of imports of the subject goods into India.

H.3.2 Price effect of the subject imports

81. With regard to the effect of the imports on prices, it is required to be analysed whether there has been significant price undercutting by the imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices or to prevent price increases which otherwise would have occurred.

Price undercutting

82. For the purpose of the price undercutting analysis, the net sales realisation of the domestic industry has been compared with the landed value of the imports from the subject country, without anti-dumping duty:

SN	Particulars	Unit	POI
1	Net sales realisation	₹/MT	***
2	Landed value	₹/MT	1,45,115
3	Price undercutting	₹/MT	***
4	Price undercutting	%	***
5	Price undercutting	Range	5-15

83. It is noted that the subject imports are undercutting the prices of the domestic industry when the landed value is reckoned without the anti-dumping duty. With the duty in force, the landed value of the subject imports is, on average, just above the selling price of the domestic industry.

Price suppression and depression

84. In order to determine whether the imports are depressing domestic prices or preventing price increases which otherwise would have occurred, the Authority has examined the changes in the cost of sales and the selling price of the domestic industry over the injury period.

S.N.	Particulars	Unit	2022-23	2023-24	2024-25	POI
1	Cost of sales	₹/kg	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	102	99	101
2	Selling price	₹/kg	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	99	100	101
3	Landed price	₹/kg	142.67	142.36	149.21	145.11
	Trend	Indexed	100	100	105	102

85. The cost of sales and the selling price of the domestic industry have both remained broadly stable over the injury period, and the selling price has remained above the cost of sales throughout. With the duty in force, the prices of the domestic industry have not been suppressed or depressed. It is, however, also seen that the landed price of the imports, without the duty, was below the cost of sales of the domestic industry in the period of investigation.

H.3.3Economic parameters of the domestic industry

86. Annexure II to the Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of the imports on domestic producers of the like article, including an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry. The performance of the domestic industry has accordingly been examined over the injury period.

Production, capacity, capacity utilisation and sales

SN	Particulars	Unit	2022-23	2023-24	2024-25	POI
1	Capacity	MT	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	100	100	100
2	Production	MT	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	160	127	122
3	Capacity utilisation	%	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	160	127	122
4	Domestic sales	MT	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	150	128	122
5	Export sales	MT	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	288	129	118

87. The capacity of the domestic industry has remained unchanged. Production, capacity utilisation and domestic sales increased in 2023-24, in line with the increase in demand, and declined thereafter, but remained higher in the period of investigation than in the base year. The domestic industry continues to have unutilised capacity.

Market share in demand

SN	Particulars	Unit	2022-23	2023-24	2024-25	POI
1	Subject country	%	3.51	4.36	2.93	2.91
	Trend	Indexed	100	124	83	83
2	Other countries	%	-	-	-	-
3	Domestic industry	%	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	104	96	96
4	Other Indian producers	%	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	89	110	111

88. The Indian producers together hold the predominant share of the market. The market share of the domestic industry has declined over the injury period. That share has moved to the other Indian producers and not to the subject imports, whose share in the period of investigation is lower than in the base year.

Inventories

SN	Particulars	Unit	2022-23	2023-24	2024-25	POI
1	Opening inventory	MT	***	***	***	***
2	Closing inventory	MT	***	***	***	***
3	Average inventory	MT	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	109	100	95

89. The average inventory of the domestic industry has declined marginally over the injury period.

Employment, wages and productivity

SN	Particulars	Unit	2022-23	2023-24	2024-25	POI
1	No. of employees	Nos.	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	149	143	140
2	Salaries and wages	₹ lakh	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	136	126	134
3	Productivity per day	MT	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	160	127	122
4	Productivity per employee	MT	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	107	89	87

90. Employment and wages have increased over the injury period. Productivity per day has moved with production, while productivity per employee has declined since 2023-24.

Profits, cash profits and return on capital employed

S. N.	Particulars	Unit	2022-23	2023-24	2024-25	POI
1	Profit before tax	₹/kg	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	55	122	115
2	Profit before interest and tax	₹/kg	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	60	127	120
3	Interest cost	₹/kg	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	231	290	296
4	Depreciation	₹/kg	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	116	130	132
5	Profit before depreciation, interest and tax	₹/kg	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	67	127	122
6	Cash profit	₹/kg	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	62	123	117
7	Return on capital employed	%	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	75	138	161

91. It is noted that the domestic industry has earned profits and cash profits on its domestic sales of the PUC in every year of the injury period. Profitability declined in 2023-24, improved in 2024-25 and moderated in the period of investigation, remaining higher than in the base year. The return on capital employed has improved over the injury period.

Growth

SN	Particulars	Unit	2023-24	2024-25	POI
1	Production	%	60.05	(20.75)	(4.04)
2	Domestic sales	%	49.76	(14.70)	(4.28)
3	Capacity utilisation	%	60.05	(20.75)	(4.04)
4	Market share of domestic industry	%	3.91	(7.41)	(0.49)
5	Selling price	%	(0.77)	1.07	0.85
6	Cost of sales	%	1.86	(2.49)	1.27
7	Return on capital employed	%	(24.75)	83.54	16.22
8	Profit before tax	%	(44.85)	121.27	(5.82)
9	Profit before interest and tax	%	(39.75)	110.64	(5.29)
10	Cash profit	%	(37.61)	97.11	(4.92)
11	Profit before depreciation, interest and tax	%	(33.29)	90.77	(4.51)
12	Average inventory	%	9.48	(8.60)	(5.32)

92. The volume parameters of the domestic industry showed strong growth in 2023-24 and negative growth thereafter. The profitability parameters showed the reverse pattern, with a small decline in the period of investigation, while the return on capital employed continued to grow.

Ability to raise capital investment

93. The domestic industry has earned profits and a positive return on capital employed throughout the injury period. Its ability to raise capital investment has not been impaired during the injury period.

Magnitude of dumping margin

94. The subject goods continue to be exported to India at dumped prices. The dumping margin is positive and significant.

Factors affecting domestic prices

95. The Indian producers together hold the predominant share of the market, and there are six producers of the like article in India. The prices of the domestic industry during the injury period have been determined by its costs and by competition among the domestic producers and with the duty-paid imports.

Overall assessment

96. The interested parties have emphasised the improvement in the parameters of the domestic industry over the base year, and the domestic industry has emphasised the decline in the period of investigation over the preceding year and the idle capacity. The Authority is required to make a holistic assessment of all parameters. On such an assessment, the information on record shows that, with the anti-dumping duty in force, the domestic industry has improved its production, sales and capacity utilisation over the injury period, has remained profitable and has earned a reasonable return on capital employed in the period of investigation. The domestic industry is thus not found to be suffering continued injury with the duty in force.

I. CAUSAL LINK AND NON-ATTRIBUTION ANALYSIS

97. The Authority has examined whether the movement in the performance of the domestic industry during the injury period is attributable to the subject imports or to other known factors, having regard to the submissions of the interested parties.
- a. **Volume and value of imports from third countries:** There are no imports of the subject goods from countries other than the subject country.
 - b. **Contraction in demand and changes in the pattern of consumption:** Demand increased in 2023-24 and declined thereafter. The moderation in the volumes of the domestic industry after 2023-24 coincides with the decline in demand. No change in the pattern of consumption has been shown.
 - c. **Conditions of competition and trade restrictive practices:** The sales and market share of the other Indian producers have increased over the injury period, while the market share of the domestic industry has declined. Competition among the domestic producers has thus been a factor in the decline in the market share of the domestic industry.
 - d. **Developments in technology:** No evidence has been placed on record that the technology of the domestic industry is obsolete or that its product is not accepted in the market.
 - e. **Export performance:** The information examined relates to the domestic sales of the domestic industry. Its export performance has been segregated.
 - f. **Productivity:** Productivity per employee has declined since 2023-24. It has not prevented the domestic industry from earning profits.
 - g. **Performance of other products:** The information examined is for the PUC alone.
98. It follows that the moderation in the volumes and market share of the domestic industry in the period of investigation is attributable, to some extent, to the decline in demand and to competition from the other domestic producers.
99. The Authority notes that in a sunset review the determination to be made is whether expiry of the duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. The fact that the domestic industry is not found to be suffering continued injury with the duty in force is a relevant fact, but does not conclude the review. The likelihood of recurrence of injury is examined hereinafter.

J. MAGNITUDE OF INJURY MARGIN

J.1 Views of the other interested parties

100. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to the non-injurious price and the injury margin:
101. Return on capital employed: The return of 22% on capital employed allowed in determining the non-injurious price is inflated and is not a reasonable return within the meaning of Annexure III. It originates in a drug price control order of 1987, when interest and tax rates were much higher, and yields a far higher return on net worth. Reliance is placed on Bridgestone Tyre Manufacturing & Ors. v. Designated Authority and Hyosung Corporation v. Designated Authority (CESTAT) and on the practice of the European Union. The return actually earned by the domestic industry in a period without dumping should be adopted.
102. Injury margin: On the basis of the invoices of HDTPL's suppliers, the landed value of imports is above the non-injurious price, and the injury margin is negative.

J.2 Views of the domestic industry

103. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to the non-injurious price and the injury margin:
104. Return on capital employed: Annexure III provides for a reasonable return on average capital employed, and the Authority has consistently applied a pre-tax return of 22%. Guangdong Fuwa relies on hypothetical capital structures and does not point to any error in the verified cost or capital employed of the domestic industry. The practice of the European Union arises under a different statutory framework.
105. Injury margin: The imports are entering below the non-injurious price, as they did in the original investigation and the first sunset review.

J.3 Examination by the Authority

106. The Authority has determined the non-injurious price for the domestic industry on the basis of the principles laid down in the Rules read with Annexure III, as amended. The non-injurious price has been determined by adopting the verified information relating to the cost of production for the period of investigation. For this purpose, the best utilisation of raw materials, of utilities and of production capacity over the injury period has been considered, and it has been ensured that no extraordinary or non-recurring expenses were charged to the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on the average capital employed (i.e., average net fixed assets plus average working capital) for the product under consideration has been allowed as pre-tax profit, as prescribed in Annexure III and as consistently followed by the Authority.
107. As regards the return on capital employed, Annexure III provides for a reasonable pre-tax return on average capital employed for recovery of interest, corporate tax and profit. The return of 22% is a pre-tax return on capital employed, out of which interest on borrowings and corporate tax are to be met; it is not a return on net worth. It has been uniformly adopted by the Authority. The illustrative computations of Guangdong Fuwa rest on assumed capital structures and rates and do not relate to the capital employed of the domestic industry, and the practice of other jurisdictions under their own legislation does not govern the determination under Annexure III. The Authority further notes that, in the present case, the non-injurious price so determined is lower than the price actually realised by the domestic industry in the period of investigation.
108. The landed value for the cooperating producer has been determined on the basis of its questionnaire response corroborated with DG Systems data. For the non-cooperating producers and exporters, the landed value has been determined on the basis of the facts available. Based on the landed value and the non-injurious price, the injury margin is as under:

Injury Margin Table

S.No.	Name of Producer	Non-Injurious Price (US\$ /MT)	Landed Value (US\$ /MT)	Injury Margin (US\$ /MT)	Injury Margin (%)	Injury Margin (Range)
1	Guangdong Fuwa Heavy Industries Co., Ltd.	***	***	***	***	0-10
2	Any other producer	***	***	***	***	20-30

K. LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF DUMPING AND INJURY**K.1 Views of the other interested parties**

109. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury:

- a. **Legal standard:** A second sunset review does not justify automatic continuation of the duty. A forward-looking assessment must rest on objective and positive evidence. Findings in earlier proceedings are not conclusive, and anti-dumping duty is not intended to provide indefinite protection.
- b. **Continued dumping and trend of imports:** A dumping margin cannot be treated as conclusive of likely injury. Imports have fluctuated, and their continued presence does not show that expiry of the duty would lead to a significant increase in imports at injurious prices.
- c. **Surplus capacity:** The combined capacity of four Chinese producers cited by the domestic industry does not establish that Guangdong Fuwa has surplus capacity likely to be diverted to India. Guangdong Fuwa operates at a high rate of capacity utilisation. The mere existence of unutilised capacity or inventories does not establish likelihood.
- d. **Exports to third countries:** The existence of exports to third countries does not establish that such volumes would be directed to India or would enter at dumped and injurious prices.
- e. **Condition of the domestic industry:** The actual improvement in the performance of the domestic industry must be given due weight. The domestic industry cannot rely on the remedial effect of the duty as a substitute for establishing likelihood.

K.2 Views of the domestic industry

110. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury:

- a. **Legal standard:** The test under Section 9A(5) of the Act and Rule 23(1B) is prospective and counterfactual. The “likely” standard applies to the overall determination, and the evidence must be assessed cumulatively. Reliance is placed on *Rishiroop Polymers Pvt. Ltd. v. Designated Authority* [(2006) 4 SCC 303], *P.T. Asahimas Chemicals v. Designated Authority (CESTAT)*, US – Corrosion-Resistant Steel Sunset Review (WT/DS244/AB/R) and US – Oil Country Tubular Goods Sunset Reviews (WT/DS268/AB/R).
- b. **Continued dumping and trend of imports:** Dumping has continued despite nearly a decade of duty, with significant margins in every investigation. Chinese exporters retain an established presence in the Indian market.
- c. **Surplus capacity:** Four major Chinese producers, including Guangdong Fuwa, together hold unutilised capacity which is several times the Indian demand. The first sunset review had found the unutilised capacity of Guangdong Fuwa significant in relation to Indian demand.
- d. **Exports to third countries:** The Chinese producers are highly export-oriented. The first sunset review recorded, on Guangdong Fuwa’s own data, that it exported much larger volumes to third countries at prices lower than its prices to India.
- e. **Circumvention:** After the duty was imposed, the subject goods were imported in CKD/SKD form, and the Authority found that such imports undermined the remedial effect of the duty. This shows the commercial incentive to retain access to the Indian market.
- f. **Condition of the domestic industry:** The domestic industry has substantial idle capacity and is vulnerable. The imports are below its cost of sales, and on expiry of the duty it would have either to reduce its prices or to lose sales.

- g. **Relevance of the first sunset review:** Findings of an earlier sunset review remain relevant unless it is shown that the circumstances have changed (*Association of Man-Made Fibre Industry of India v. Designated Authority, CESTAT*). No such change has been shown.

K.3 Examination by the Authority

111. Section 9A(5) of the Customs Tariff Act, 1975, read with Rule 23(1B) of the Anti-Dumping Rules, requires a forward-looking assessment of whether expiry of the existing duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. A sunset review does not require the domestic industry to show that it is presently suffering material injury while the duty is in force. Nor does the fact that duty has been in place for an extended period justify either its automatic continuation or its automatic expiry. The Authority has therefore examined the relevant factors together, rather than treating any one factor as conclusive. For this purpose, the Authority has considered the DG Systems transaction-wise import data, including post-POI information available on record, the verified information of the domestic industry, Guangdong Fuwa's questionnaire response, the submissions of the interested parties and the findings of the previous investigations. The relevant evidence concerning import volumes and prices, available capacity, exports to third countries and the likely effect of expiry on the domestic industry is analysed below.

Volume of imports from the subject country and continued dumping

112. The subject goods continued to enter India at dumped prices during the period of investigation, despite the anti-dumping duty in force. As determined in paragraphs above, the dumping margins are ***% for Guangdong Fuwa Heavy Industries Co., Ltd. and ***% for non-cooperating producers/exporters. This establishes continued dumping during the period of investigation.
113. The volume of imports from China PR was 1,279 MT in 2022-23, increased to 2,289 MT in 2023-24, and thereafter declined to 1,418 MT in 2024-25 and 1,352 MT during the period of investigation. Their share in Indian demand was ***%, ***%, ***% and ***%, respectively. Thus, subject imports have maintained their presence in the Indian market despite the existence of anti-dumping duty.

Post-POI developments

114. The Authority has examined the DG Systems import data for the four-month post-POI period from October 2025 to January 2026. Subject imports from China PR, when annualised, work out to *** MT, marginally higher than the *** MT recorded during the POI. The landed value of the subject imports during the post-POI period remained broadly comparable to the POI landed value of approximately ₹1,45,115 per MT, indicating no material increase in import prices. Thus, imports continued at a comparable annualised rate and at broadly unchanged prices despite the existing anti-dumping duty. While annualisation of four months' imports is indicative and does not represent actual imports for a full year, the sustained import volumes and price levels, read with the dumping established during the POI and the available export capacity of Chinese producers, reinforce the strong likelihood of continued dumping and recurrence of injury if the duty expires.

History of dumping and the earlier reviews

115. The Authority notes that anti-dumping duty was imposed following the original investigation in 2016 and continued after the first sunset review in 2021. It was also extended to axles in CKD/SKD condition following the anti-circumvention findings of 2021, without attributing those findings individually to Guangdong Fuwa. This history reflects the persistent nature of dumped trade and the need for measures to address its effects. More importantly, dumping has continued during the present POI despite the duty, while Chinese producers retain substantial spare capacity, export orientation

and access to the Indian market. Read with their comparatively lower third-country export prices and the likely price effects upon expiry, these circumstances provide strong evidence that dumping is likely to continue or intensify and material injury is likely to recur if the existing duty expires.

Unutilised production and surplus capacities of major producers in China PR

116. The domestic industry has furnished the following information regarding the production capacity, actual production and unutilised capacity of four major producers of the subject goods in China PR.

Name of Chinese producer	Installed capacity (pieces)	Production (pieces)	Unutilised capacity (pieces)
Guangdong Fuwa Heavy Industries Co., Ltd.	***	***	***
Shandong Jinsheng Axle Manufacturing Co., Ltd.	***	***	***
Shijiazhuang Aotong Machinery Manufacturing Co., Ltd.	***	***	***
Guangzhou TND Axle Co., Ltd.	***	***	***
Total	***	***	***

117. The Authority notes that, as per the domestic industry's estimates, four major Chinese producers have a combined installed capacity of *** axles against production of *** axles, leaving substantial unutilised capacity of *** axles (approximately ***%). Considering an indicative weight of 350 kg per axle, the combined installed capacity and unutilised capacity are equivalent to approximately *** MT and *** MT, respectively, representing *** times and *** times the total Indian demand of approximately *** MT during the POI. Thus, the available surplus capacity alone is significantly higher than the entire Indian demand. Guangdong Fuwa's questionnaire response also confirms substantial spare capacity. The substantial available capacity, coupled with the export-oriented operations of Chinese producers, their established presence in India and the comparatively lower third-country export prices reported by Guangdong Fuwa, indicates both the ability and commercial incentive to increase exports to India. The Authority, therefore, considers that even partial utilisation or diversion of these capacities upon expiry of the existing duty could lead to a significant increase in dumped imports, establishing a strong likelihood of recurrence of material injury to the domestic industry.

Available capacity and export orientation of Chinese producers

118. Guangdong Fuwa, the sole cooperating Chinese producer, has furnished the following information on its installed capacity, production and exports.

S.No.	Particulars	Unit	2022	2023	2024	POI
1	Installed capacity	Pieces	***	***	***	***
2	Total production	Pieces	***	***	***	***
3	Capacity utilisation	%	***	***	***	***
4	Unutilised capacity	Pieces	***	***	***	***
5	Exports of PUC to India	Pieces	***	***	***	***
6	Exports of PUC to other countries	Pieces	***	***	***	***
7	Price to other countries as % of price to India	%	***	***	***	***

119. It is noted that:

- i. Guangdong Fuwa operated at high-capacity utilisation; however, its unutilised capacity of *** pieces during the POI exceeded the entire Indian demand and was many times its exports to India, showing substantial ability to increase supplies.
- ii. Its exports to third countries remained significantly higher than exports to India and declined considerably over the injury period, indicating scope for diversion of export volumes to India upon expiry of the duty.
- iii. Guangdong Fuwa's export prices to third countries were consistently lower than its prices to India, at ***, ***, **% and **% of the India price during 2022, 2023, 2024 and the POI respectively. This price pattern indicates a strong commercial incentive for lower-priced exports to be redirected to India.
- iv. Guangdong Fuwa is the only cooperating Chinese producer. The domestic industry has also placed un rebutted information regarding substantial capacities of three other Chinese producers, indicating that significant additional supply capability exists in China PR.
- v. The Authority considers that the substantial spare capacity, high export orientation, lower third-country prices and established access to the Indian market, viewed cumulatively, demonstrate a strong likelihood of increased dumped imports upon expiry of the duty, resulting in downward pressure on domestic prices and recurrence of material injury to the domestic industry.

Exports to third countries and attractiveness of the Indian market

120. The information furnished by Guangdong Fuwa demonstrates a consistent and significant price differential between its exports to India and exports to third-country markets. In each of the periods reported, the average export price to third countries was materially lower than the corresponding export price to India. The third-country export prices were approximately **%, **%, **% and **% of the prices realised on exports to India during 2022, 2023, 2024 and the POI respectively. This persistent price differential, read together with Guangdong Fuwa's substantial export volumes and established presence in the Indian market, demonstrates that significant quantities are already being sold in other markets at prices materially below the prices charged to India. In the event of cessation of the existing anti-dumping duty, the additional price constraint presently operating in the Indian market would disappear, making India substantially more attractive for such lower-priced

exports. The evidence therefore establishes a strong commercial incentive for diversion or redirection of exports from third-country markets to India upon expiry of the duty.

121. The Authority further notes that Chinese producers have continued to maintain access to the Indian market notwithstanding the anti-dumping duty. This established market access, coupled with substantial available production capacity, high export orientation and materially lower prices prevailing in third-country export markets, demonstrates both the ability and the economic incentive of the subject-country producers to increase exports to India. The significance of the available capacity does not lie merely in its absolute magnitude but in the fact that even a limited diversion of the available exportable surplus would be substantial in relation to Indian demand. Accordingly, the combined evidence relating to capacity, export orientation, third-country pricing and existing trade flows strongly indicates that expiry of the measure is likely to result in increased exports to India at dumped and price-depressive levels.

Likely import prices and price effects on the domestic industry

122. The likely price effect of cessation of the duty has been examined by comparing the price position prevailing with the duty in force with the position that would prevail in its absence. During the POI, the landed value of subject imports, excluding anti-dumping duty, was approximately ₹1,45,115 per MT, as against the domestic industry's net sales realisation of approximately ₹*** per MT and cost of sales of approximately ₹*** per MT. Thus, in the absence of the anti-dumping duty, the subject imports would undercut the domestic selling price by approximately ₹*** per MT and would also enter below the domestic industry's cost of sales. The existing anti-dumping duty is therefore materially insulating the domestic industry from the full price effect of dumped imports. Further, Guangdong Fuwa's exports to third countries have consistently been made at prices lower than its exports to India. If such lower-priced exports are redirected to India following expiry of the duty, the degree of price undercutting and price pressure would increase further. In addition, imports from non-cooperating producers have been found to land below the non-injurious price. The price evidence, therefore, clearly demonstrates that cessation of the duty is likely to expose the domestic industry to significant price undercutting, price suppression and price depression.

Condition of the domestic industry and likelihood of recurrence of injury

123. The Authority notes that the domestic industry has remained profitable and has recorded positive cash profits and returns during the period when the anti-dumping duty has remained in force. However, such improvement cannot be viewed in isolation from the remedial effect of the existing measure. The relevant consideration in a sunset review is whether such performance is likely to be sustained once the measure is withdrawn. In the present case, the domestic industry continues to have significant unutilised capacity and remains vulnerable to lower-priced imports. The landed value of subject imports without anti-dumping duty is not only below the domestic selling price but also below the domestic cost of sales. The difference between the domestic industry's POI selling price and the landed value of imports without duty is also higher than the profit before tax earned by the domestic industry per unit. Consequently, any significant price reduction necessitated by intensified dumped imports would substantially erode, and is likely to eliminate, the profitability presently earned by the domestic industry. Alternatively, if the domestic industry seeks to maintain its prices, it is likely to suffer loss of sales volume and market share, resulting in lower production and capacity utilisation. Thus, the present improvement in the domestic industry's performance reflects the operation of the existing remedial measure and does not diminish its vulnerability to recurrence of injury upon cessation of the duty.

Overall assessment of likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury

124. The Authority has examined the likelihood factors cumulatively and notes that dumping has continued despite the existing duty; Chinese producers retain substantial production and unutilised

capacities, significant export orientation and established access to the Indian market; Guangdong Fuwa has exported substantial quantities to third countries at prices consistently lower than its prices to India; and, in the absence of duty, the landed value of subject imports would materially undercut the domestic industry's selling price and remain below its cost of sales. These factors, taken together, demonstrate both the ability and incentive of Chinese producers to increase dumped exports to India upon expiry of the duty.

125. The Authority further notes that expiry of the anti-dumping duty would remove the principal trade-remedial constraint affecting the competitiveness of Chinese exports and would make the Indian market significantly more attractive. Even diversion of a part of the available exportable capacity, particularly at the lower price levels observed in third-country markets, would be sufficient to exert substantial volume and price pressure on the domestic industry.
126. Accordingly, the Authority considers that there is a strong likelihood of continuation or intensification of dumping and recurrence of injury if the existing anti-dumping duty is allowed to expire. Increased dumped imports at prices below the domestic industry's selling price and cost of sales are likely to depress domestic prices, erode profitability, reduce sales and market share, and adversely affect production and capacity utilisation. The present improved performance of the domestic industry reflects the remedial effect of the existing measure and does not negate its vulnerability to recurrence of material injury upon cessation of the duty.

L. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST AND OTHER ISSUES

L.1 Views of the other interested parties

127. The other interested parties have made the following submissions with regard to the Indian industry's interest:
- a. **Public interest and impact on users:** Continuation of the duty would not be in the public interest. The subject goods already bear basic customs duty. The duty raises the cost of axles for users and downstream industries and restricts the availability of competitive alternative sources.
 - b. **Duration of protection:** Anti-dumping duty is not meant to provide indefinite protection. The domestic industry has enjoyed the measure for a considerable period and its performance has improved.
 - c. **Availability and competition:** Seamless axles demanded by trailer manufacturers are not produced in India, Indian producers at times fail to meet the requirements of buyers, and the applicant is in a position to dominate the market.

L.2 Views of the domestic industry

128. The domestic industry has made the following submissions with regard to the Indian industry's interest:
- a. **Public interest and impact on users:** The impact of the duty on the price of a trailer is negligible. The duty does not prohibit imports; it only neutralises the unfair price advantage arising from dumping. Basic customs duty is payable irrespective of dumping and serves a different purpose.
 - b. **Duration of protection:** The Act permits continuation of the duty for as long as the statutory test of likelihood is met.
 - c. **Availability and competition:** The Indian producers have sufficient capacity to meet the entire Indian demand, and there is no demand-supply gap.

L.3 Examination by the Authority

129. The Authority notes that the purpose of anti-dumping duty, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practice of dumping, so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. The imposition or continuation of anti-dumping duty does not restrict imports from the subject country in any way. The subject goods have continued to be imported throughout the life of the duty, and the availability of the product to consumers is not affected.
130. The Authority issued the initiation notification inviting views from all interested parties, including importers, users and consumers, and prescribed a questionnaire for users to provide information on the possible effect of the duty on their operations. No user of the subject goods, and no association of users, has filed a response or opposed the continuation of the duty.
131. The Authority notes HDTPL's submission that continuation of the anti-dumping duty may increase import costs, restrict sourcing options and affect downstream competitiveness. However, HDTPL has not furnished any quantified evidence of the impact of the duty on its cost of production, profitability or downstream product prices; accordingly, the submission remains unsubstantiated in quantitative terms.
132. The domestic industry has furnished an estimate of the impact of the duty on the price of trailers of three configurations. The Authority has re-worked the same at the rates of duty presently in force:

Particulars	Unit	Side wall trailer (3 axles)	Tip trailer (2 axles)	Flat bed trailer (3 axles)
Price of trailer	₹ lakh	55.00	56.25	49.00
Impact of duty at US\$ 0.16 per kg	%	0.27	0.17	0.30
Impact of duty at US\$ 0.31 per kg	%	0.51	0.33	0.58

133. The incidence of the duty on the downstream product is thus insignificant. These estimates have not been disputed by any user, and no interested party has furnished any quantification to the contrary.
134. There are six producers of the like article in India, which together supply the predominant share of Indian demand. The other Indian producers have increased their sales and market share during the injury period, which shows that there is active competition in the domestic market. There is no evidence of any shortage of the subject goods, of any type, during the injury period.
135. As regards basic customs duty, the same is payable on all imports irrespective of whether they are dumped, and has been taken into account in the landed value for the purpose of the price comparison and the injury margin. It does not address dumping.

M. POST-DISCLOSURE COMMENTS

136. The Authority has examined the post-disclosure comments filed by interested parties and the domestic industry. The material submissions and the Authority's findings are recorded below:

M.1 Comments by the other interested parties

i. Domestic industry and standing. HDTPL has claimed that the applicant is connected with Chinese producers through the SAF-HOLLAND group and common management. In

support of this claim, it has referred to company reports, ownership records, transactions involving Qingdao YTE Special Products Co. Ltd. and SAF Holland (Yangzhou) Vehicle Parts Co. Ltd., and trade records. HDTPL has requested that the applicant be excluded from the domestic industry under Rule 2(b), that further details of these transactions be disclosed, and that the findings in the Wheel Loaders case be considered.

ii. Bill of lading and trade records. HDTPL has referred to a shipping document from 2019 involving the applicant and Qingdao YTE. It has claimed that this document shows business dealings between the two companies, which were not properly examined in the Disclosure Statement.

iii. Injury and likelihood. HDTPL has submitted that imports from the subject countries have declined and account for only a small share of Indian demand. It has further argued that the domestic industry's production, sales, profits and returns do not show any present material injury. Referring to Rule 5(3), safeguard provisions and the Soda Ash review, HDTPL has argued that anti-dumping duty should not be continued merely because imports may increase in the future.

iv. Price undercutting. HDTPL has questioned the comparison of import prices with domestic prices in the Disclosure Statement. It has referred to selected sales invoices of the applicant and other Indian producers and calculated prices using estimated axle weights. Based on these calculations, HDTPL has claimed that imported goods are not being sold at prices lower than domestic goods (negative price undercutting). It has also requested that the lesser-duty principle be followed, meaning that the duty should not exceed the lower of the dumping margin and injury margin, and that the existing duty should not be increased.

v. Non-cooperating exporters. HDTPL has stated that two Chinese exporters, namely Shijiazhuang Aotong Machinery Manufacturing Co. Ltd. and Shandong Darong Machinery Co. Ltd., did not submit their questionnaire responses. HDTPL has requested separate assessment of these exporters under Rule 22 and provisional assessment of their imports against a guarantee. It has also requested that these exporters be allowed to supply goods at agreed prices that do not cause injury to the domestic industry, through price undertakings under Rule 15.

vi. Injury information and causation. HDTPL has questioned whether the applicant's reported profits relate only to the product under investigation or include profits from its other business activities. It has referred to the applicant's annual reports, increase in production capacity and identical index figures for production and capacity utilisation. HDTPL has also disputed the claim that imports have adversely affected domestic prices. It has requested that changes in demand and competition from other Indian producers also be examined as possible reasons for injury to the domestic industry.

vii. Relief sought. HDTPL has requested the Authority to reconsider its findings, withdraw or reduce the existing anti-dumping duty, disclose further details of related-party transactions, and consider the requests for relief concerning the two Chinese exporters.

M.2 Comments by the domestic industry

i. Applicable review test. The domestic industry has submitted that, under Section 9A(5) and Rule 23(1B), the Authority must examine whether dumping and injury are likely to continue or recur if the existing duty is removed. It has argued that improvement in the domestic industry's performance

during the period of duty does not mean that the duty should be withdrawn. In support of its argument, it has referred to the Rishiroop Polymers and Indian Metal & Ferro Alloys judgments and relevant WTO reports on sunset reviews.

ii. **Product scope.** The domestic industry has requested that the existing product scope covering non-driven trailer axles, including CKD/SKD forms covered under the anti-circumvention measure, should remain unchanged. It has opposed the exclusion of seamless axles merely because they are manufactured differently. It has also requested that observations regarding individual components should neither restrict the existing product scope nor affect the assessment of particular import consignments by Customs authorities.

iii. **Standing and procedure.** The domestic industry has submitted that being part of a foreign group does not automatically make it ineligible under Rule 2(b). Referring to DG Systems data, it has denied that the applicant imported the product under investigation or that the alleged related Chinese company exported the product to India. It has supported the use of official import data and relevant information after the period of investigation (POI). It has also opposed the requests to terminate or reopen the earlier proceedings.

iv. **Normal value and dumping.** The domestic industry has supported the calculation of normal value under paragraph 7 of Annexure I and the use of the cooperating exporter's verified export price after necessary adjustments. For exporters who did not cooperate, it has supported the use of available information under Rule 6(8). It has also disagreed with HDTPL's price comparisons based on invoices of other producers and different periods. The domestic industry has further relied on the positive dumping margins disclosed by the Authority.

v. **Injury and price effects.** The domestic industry has submitted that, if the anti-dumping duty is removed, imported goods would be sold at prices lower than domestic prices and even below its cost of sales. Referring to the positive injury margins, it has argued that such low-priced imports would reduce its profits or result in loss of sales.

vi. **Likelihood and non-attribution.** The domestic industry has submitted that dumping and injury are likely to continue or recur because imports are continuing, Chinese producers have substantial unused production capacity, exporters depend on overseas markets, and export prices to other countries are low. It has also referred to imports made after the POI. Further, it has requested that changes in demand and competition from other Indian producers should be examined separately while assessing injury.

vii. **Common expense allocation.** The domestic industry has objected to the allocation of certain common factory expenses based on sales value instead of the prime-cost method used by it. It has requested that these expenses be allocated using a consistent and appropriate method, based on the nature of the expenses and supporting records.

viii. **Working capital.** The domestic industry has requested that working-capital calculations should be based on the costs accepted by the Authority. It has also requested that deposits made with government authorities should be included wherever such deposits are necessary for the normal operations of the business.

- x. **Public interest and relief.** The domestic industry has submitted that the existing anti-dumping duty has only a limited impact on trailer prices and does not stop imports. It has requested the Authority to maintain the existing product scope, confirm its eligibility as the domestic industry, and uphold the findings regarding the likelihood of continued or renewed dumping and injury. Accordingly, it has requested continuation of the anti-dumping duty for another five years.

M.3 Examination by the Authority

137. The Authority has examined the comments submitted by the interested parties and the domestic industry after the Disclosure Statement. The issues raised have been considered in light of the verified information and the findings already recorded. The Authority's examination of the main issues is given below.

i. Domestic industry and alleged related-party imports

The Authority notes that common ownership or management does not automatically make a domestic producer ineligible under Rule 2(b). The documents submitted by HDTPL indicate relationships between certain companies but do not establish that the applicant imported the subject goods from China PR or that the alleged related Chinese company exported these goods to India. The bill of lading relates to a shipment from India to China, while the other trade records do not establish imports or exports of the product under consideration. The official import data also does not support HDTPL's claims. Further, the facts of the Wheel Loaders case are different from the present case. Accordingly, the Authority finds no reason to exclude the applicant from the domestic industry under Rule 2(b).

ii. Product scope and standalone components

The Authority notes that the existing product scope covers non-driven axles for trailers, including axles in CKD/SKD, unassembled, unfinished or incomplete form. Seamless and welded axles are covered where their essential characteristics, functions and uses are comparable. However, the import of an individual component, such as a beam or tube, does not automatically mean that it is an axle in CKD/SKD form. Whether anti-dumping duty applies to a particular import shall be decided by Customs based on the nature of the imported goods and the applicable notification. Accordingly, no change in the existing product scope is warranted.

iii. Legal standard applicable to the sunset review

The Authority notes that the present sunset review is governed by Section 9A(5) and Rule 23(1B). Under these provisions, the main issue is whether dumping and injury are likely to continue or recur if the existing duty expires. Therefore, the absence of present injury or an increase in imports is not, by itself, sufficient to justify withdrawal of the duty. The provisions relating to original investigations and safeguards, as referred to by HDTPL, do not change this requirement. The Authority notes that the Soda Ash sunset review was decided on different facts. In that case, dumping margins were negative or insignificant for most subject countries, the weighted-average injury margins were negative, and sufficient evidence of likely recurrence of injury was not established. In the present case, however, dumping has continued, positive injury margins have been determined, and the available evidence regarding spare capacity, third-country export prices and likely price effects indicates a likelihood of recurrence of injury. Accordingly, the findings in the Soda Ash case do not alter the conclusions reached in the present review.

iv. Import trends, injury data and non-attribution

The Authority has examined the official transaction-wise import data from DG Systems, which shows that imports from China PR continued despite the existing duty. Imports after the period of investigation (POI) have also been considered, but only as an indication of recent trends. Regarding the identical indices for production and capacity utilisation, the Authority notes that these are due to the installed capacity remaining unchanged and do not indicate any error. Further, the injury assessment is based on data relating to the product under investigation. Changes in demand and competition from other Indian producers have also been examined separately to ensure that any injury caused by these factors is not attributed to dumped imports.

v. Price undercutting and selected invoices

The Authority has determined price undercutting by comparing the verified domestic selling price with the landed value of imports, excluding anti-dumping duty, on a comparable basis. The comparison shows positive price undercutting, indicating that imported goods were priced below the domestic selling price. HDTPL's calculation, which indicates negative price undercutting, is based on selected invoices and assumed axle weights and does not provide a comparable weighted-average price assessment for the period of investigation. Accordingly, the Authority finds no sufficient basis to revise the price undercutting determined in the Disclosure Statement.

vi. Profitability and likelihood of recurrence of injury

The Authority notes that the domestic industry has shown positive performance during the period when anti-dumping duty was in force. However, dumping continued during the POI. The available evidence also shows significant unused production capacity in China PR, exports to other countries at lower prices, and an existing market for Chinese exporters in India. These factors indicate that dumped imports are likely to increase if the duty expires. Such imports are likely to put pressure on domestic prices and adversely affect the domestic industry's performance. Accordingly, the Authority finds that expiry of the duty is likely to result in continuation of dumping and recurrence of material injury.

vii. Normal value, export price and cooperation

The Authority has calculated normal value under paragraph 7 of Annexure I, as explained in the earlier findings. The export price of the cooperating producer has been determined using its verified information after making the necessary adjustments. For producers who did not cooperate, the Authority has used the available information under Rule 6(8). The invoices submitted by HDTPL relate to other producers or different periods and do not provide a suitable basis for changing these calculations. Accordingly, the positive dumping margins disclosed earlier are maintained.

viii. Requests under Rules 22 and 15

The Authority notes that the two Chinese exporters named by HDTPL did not submit questionnaire responses in the present review. Merely claiming that an exporter did not export during the POI does not make it eligible for a new shipper review under Rule 22. Further, provisional assessment against a guarantee can be allowed only in a separate review under Rule 22, subject to the prescribed conditions and approval by the Central Government on the recommendation of the Designated Authority.

Further, Rule 15, which deals with price undertakings, is not applicable to the present sunset review under Rule 23(3). In any case, no valid exporter-specific undertaking has been offered or examined. Accordingly, the requests made by HDTPL cannot be accepted in the present review.

ix. Injury margin and continuation of duty

The Authority has determined the non-injurious price and injury margins using the verified information and the method prescribed under Annexure III. These findings have been considered along with the evidence relating to the likelihood of future dumping and injury. In a sunset review, the Authority must examine what is likely to happen if the duty expires, rather than relying only on the injury margin during the period when duty was in force. Based on the evidence available, the Authority finds no sufficient reason to change the existing duty rates applicable to individual producers. Accordingly, continuation of the existing rates is considered appropriate.

x. Allocation of common factory expenses

The Authority has examined the allocation of factory expenses while determining the cost of the product under investigation. Expenses directly related to the product have been considered separately, while common expenses have been allocated on a reasonable basis in accordance with Annexure III. The method of allocation must be appropriate to the nature of the expense and supported by the available records. The domestic industry has not provided sufficient verified information to establish that the method adopted by the Authority resulted in an incorrect cost calculation. Accordingly, no change is considered necessary.

xi. Working capital and statutory deposits

The Authority has calculated working capital for determining the non-injurious price based on the accepted costs and the assets and liabilities relating to the product under investigation. Regarding deposits with government authorities, the Authority notes that such deposits cannot be included merely because they appear in the company's accounts. Their inclusion depends on whether they are necessary for normal business operations and relate to the product under investigation. The domestic industry has not provided sufficient supporting calculations and records to justify their inclusion. Accordingly, the existing calculation is maintained.

xii. Public interest and remaining requests

The Authority has examined the concerns regarding the impact of anti-dumping duty on trailer manufacturers, availability of the product and competition in the Indian market. The evidence shows that other Indian producers also supply the product and does not establish any shortage caused by the existing duty. The estimated impact of the duty on the final price of trailers is limited, and no user has submitted verified calculations showing otherwise. Further, basic customs duty serves a different purpose and cannot replace anti-dumping duty. The existing measure also does not prohibit imports. The Authority therefore finds no sufficient reason to change its findings or accept the remaining requests, as they relate to earlier proceedings or matters outside the scope of the present review.

N. CONCLUSION

138. Having considered the investigation record, the disclosed facts and the comments received thereon, the Authority concludes as follows:

- (i) The product under consideration and the existing CKD/SKD coverage remain unchanged. York Transport Equipment (India) Pvt. Ltd. qualifies as the domestic industry for the purposes of Rule 2(b).
- (ii) Dumping continued during the period of investigation despite the duty in force. The Authority has also found positive price undercutting in the absence of anti-dumping duty.
- (iii) The domestic industry's positive performance under the existing measure does not remove the likelihood of injury on its expiry. The evidence concerning available capacity, export orientation, lower third-country prices, continuing imports and likely price effects establishes a likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury.
- (iv) The Authority has examined other factors that may have affected the performance of the domestic industry. After considering the post-disclosure comments and the evidence on record, the Authority finds no sufficient reason to change its findings on dumping, injury and the likelihood of their continuation or recurrence. Accordingly, the Authority concludes that the requirements for continuation of anti-dumping duty under Section 9A(5) read with Rule 23(1B) are satisfied.

O. **RECOMMENDATIONS**

139. The Authority has duly considered the oral, written and post-disclosure submissions of all interested parties, along with the verified evidence on record. Upon comprehensive examination, the Authority concludes that expiry of the existing anti-dumping duty is likely to result in continuation or recurrence of dumping and consequent injury to the domestic industry.
140. Since the Authority has recommended continuation of the measure on the basis of the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury, it does not consider it appropriate to re-quantify the duty in force. Accordingly, the Authority recommends continuation of the definitive anti-dumping duty on imports of the product under consideration originating in or exported from China PR, at the existing producer-specific rates and country coverage specified in the duty table below, for a further period of five (5) years under Section 9A(5) of the Customs Tariff Act, 1975, read with Rule 23 of the Anti-Dumping Rules, 1995, unless revoked, amended or superseded earlier. The continuation shall be subject to notification by the Central Government.

DUTY TABLE

S. No.	Tariff item	Description of goods	Country of origin	Country of export	Producer	Amount	Unit of measurement	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	8716 90 10	Axle for Trailers*	China PR	Any country including China PR	Guangdong Fuwa Heavy Industries Co., Ltd.	0.16	Kg	USD
2	8716 90 10	Axle for Trailers*	China PR	Any country including China PR	Any producer other than serial no. 1	0.31	Kg	USD
3	8716 90 10	Axle for Trailers*	Any country other than China PR	China PR	Any producer	0.31	Kg	USD

* “Axle for Trailers” includes all variants of non-driven axles used in trailers, whether of seamless or welded construction, in complete form or in Semi Knocked Down (SKD)/Completely Knocked Down (CKD) condition, i.e., in an unassembled, unfinished or incomplete form, to the extent covered by the existing measure. Axles for vehicles other than trailers, including drive axles used in trucks and prime movers, are excluded.

Note - The application of the individual duty rates specified for the companies mentioned in the above shall be conditional upon presentation to customs authorities of a valid commercial invoice, on which shall appear a declaration dated and signed by an official of the entity issuing such invoice, identified by his/her name and function, drafted as follows:

“I...., the undersigned, certify that the (volume) of (product concerned) sold for export to India covered by this invoice was manufactured by (producer name and address) in the (name of country). I declare that the information provided in this invoice is complete and correct.” If no such invoice is presented, the duty applicable to all other producers shall apply. This requirement is without prejudice to the verification procedures independently undertaken by the Customs authorities under the applicable customs laws and regulations.

P. **FURTHER PROCEDURE**

141. An appeal against the determination or review made by the Designated Authority in these Final Findings shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with Section 9C of the Customs Tariff Act, 1975.

AMITABH KUMAR, Designated Authority